द्वितीय माला, खण्ड ५४—अंक ४९

गुरुवार, २० अप्रैल, १९६१
३० चैत्र, १८८३ (शक)

# लोक-सभा
# वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५४ में अंक ४१ से अंक ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

द्वितीय माला खण्ड ५४—अंक ४१ से ५०—११ से २१ अप्रैल, १९६१/२१ चैत्र से १ वैशाख १८८३ (शक)


पृष्ठ

**अंक ४१—मंगलवार, ११ अप्रैल, १९६१/२१ चैत्र, १८८३ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— . .

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३ से १४३६, १४३८ से १४४१, १४४४ से १४४७ और १४५१ से १४५४ . . ४८३५—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३७, १४४२, १४४३, १४४८, १४४९ और १४५५ से १४५८ . ४८६२—६८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०३६ से ३०७१ . . . ४८६८—८३

नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों को पकड़ लेने के बारे में ४८८३—८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ४८८४

प्राक्कलन समिति—

**एक सौ पचीसवा प्रतिवेदन** . . ४८८४

वित्त विधेयक, १९६१, के बारे में याचिका . ४८८४

**अनुदानों की मांगें** . . . . ४८८५—४९२३

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . ४८८५—९४

**प्रतिरक्षा मंत्रालय** . ४८९५—४९२३

कृषि आयोग के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४९२३—२६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४९२७—३०

**अंक ४२—बुधवार, १२ अप्रैल, १९६१/२२ चैत्र, १८८३ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४५९ से १४६२, १४६५ से १४७६ १४७० से १४७७ . . . . . ४९३१—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६३, १४६४, १४६८, १४६९ और १४७८ से १४८१ . . ४९५५—५८

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७२ से ३१४४ और ३१४६ से ३२१७ ४९५८–५०२६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

एस० एस० दारा जहाज में आग . ५०२७–२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ५०२८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

ब्यासीवां प्रतिवेदन ५०२८

प्राक्कलन समिति––

एकसौ सत्ताइसवां तथा एक सौ इकतीसवां प्रतिवेदन ५०२९

अनुदानों की मांगें ५०२९–६९

प्रतिरक्षा मंत्रालय ५०२९–५९

सामुदायिक विकास तथा सहकार-मंत्रालय . ५०५९–६९

उड़ीसा-भूमि सुधार अधिनियम के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५०७०–७१

दैनिक संक्षेपिका ५०७२–७८

**अंक ४३––गुरुवार, १३ अप्रैल, १९६१ / २३ चैत्र, १८८३ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ––

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२ से १४९०, १४९२ और १४९४ . ५०७९–५१०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १४९१, १४९३, और १४९५ से १५१८ ५१०२–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१८ से ३२९३ . ५११४–४६

दिनांक ९-३-६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२२ में शुद्धि

निधन संबंधी उल्लेख . ५१४६–४७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

कोलार की राष्ट्रीयकृत सोने की खानों के बंद हो जाने की संभावना ५१४७–४८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ५१४८–४९

प्राक्कलन समिति––

एक सौ उन्तीसवां और एक सौ बत्तीसवां प्रतिवेदन . . ५१४९–५००

पृष्ठ

समिति के लिए निर्वाचन--

विश्व-भारती . . ५०१०

अनुदानों की मांगें ५१५०–६४

सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय ५१५०–६४

कार्य मंत्रणा समिति . ५१६५

त्रेसठवां प्रतिवेदन . ५१६६–५२०२

दैनिक संक्षेपिका

**अंक ४४--गुरुवार, १४ अप्रैल, १९६१/२४ चैत्र, १८८३ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५१६, १५२१ से १५२५, १५२८, १५३० से १५३५ और १५३७ ५२०३–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५२०, १५२६, १५२७, १५२९, १५३६ और १५३८ से १५५२ ५२२९–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ से ३३४५ . ५२३७–५८

स्थगन प्रस्ताव--

१३ अप्रैल, १९६१ को दिल्ली में बिजली की व्यवस्था का भंग हो जाना । ५२५८–५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५२५९–६०

प्राक्कलन समिति--

एक सौ चौथा और एक सौ अठारहवां प्रतिवेदन ५२६०

कार्य मंत्रणा समिति--

त्रैसठवां प्रतिवेदन ५२६१

अनुदानों की मांगें ५२६१–७७

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति---

ब्यासीवां प्रतिवेदन . . . ५२७८

कोयला खानों के राष्ट्रीकरण के बारे में संकल्प---अस्वीकृत . ५२७८–८६

धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प . ५२८६–९४

दैनिक संक्षेपिका . ५२९९–५३००

पृष्ठ

**अंक ४५—शनिवार, १५ अप्रैल, १९६१ / २५ चैत्र, १८८३ (शक)**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५३०१–०२

सभा का कार्य . ५३०२–०३

अनुदानों की मांगें . ५३०३–६३

इस्पात खान और ईंधन मंत्रालय ५३०३–४५

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . ५३४५–६३

पूर्वोत्तर रेलवे पर खतरे की जंजीरों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ५३६३–६९

दैनिक संक्षेपिका ५३७०–७१

**अंक ४६—सोमवार, १७ अप्रैल, १९६१ / २७ चैत्र, १८८३ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ से १५५५, १५५८, १५५९, १५६२ से १५६७, १५६९, १५७०, और १५७२ से १५७५ ५३७३–९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५६, १५५७, १५६०, १५६१, १५६८, १५७१ और १५७६ ५३९९–५४०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४६ से ३४१६ और ३४१८ से ३४२० ५४०२–३६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५४३७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ५४३७

प्राक्कलन समिति

एक-सौ-चौतीसवां प्रतिवेदन ५४३७

अनुदानों की मांगें

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ५४३८–९१

केरल राज्य में नारियल की फसल को क्षति के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ५४९१–९३

दैनिक संक्षेपिका ५४९४–९८

**अंक ४७—मंगलवार, १८ अप्रैल, १९६१ / २८ चैत्र, १८८३ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७७ से १५८०, १५८२, से १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१, १५९३ से १९५९५ और १५९९ से १६०२ ५४९९–५५२५

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर --

तारांकित प्रश्न संख्या १५८१, १५८६, १५९०, १५९२, १५९६ से १५९८ और १६०३ से १६१० . . . ५५१५-३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२१ से ३४९१, ३४९३ से ३५०२ और ३५०४ से ३५१३ ५५३१-७२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . ५५७१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५५७१-७२

अनुदानों की मांगें . . . ५५७२-५६२४

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ५५७२-८५

वित्त मंत्रालय . . . . . . . ५५८५-५६२४

डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतन क्रमों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५६२४-२७

दैनिक संक्षेपिका . . . ५६२८-३३

**अंक ४८--बुधवार, १९ अप्रैल, १९६१ / २९ चैत्र, १८८३ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्य १६११ से १६१५, १६१८, १६२०, १६२१ और १६२३ से १६२९ . ५६३५-५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १६१६, १६१७, १६१९, १६२२ और १६३० से १६३५ . . . . . ५६५९-६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५१४ से ३५२३, ३५२५ से ३५५८ और और ३५६० से ३५७१ . ५६६४-९१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५६९२

राष्ट्रपति से सन्देश . . . ५६९२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति--

तिरासीवां प्रतिवेदन . . . . ५६९२

अनुदानों की मांगें . . . . . . ५६९३-५७३०

वित्त मंत्रालय . . . . ५६९३-५७२७

अणु-शक्ति-विभाग . ५७२८

संसद् कार्य विभाग . . ५७२८-३०

विनियोग (संख्या २) विधेयक--पुरस्थापित ५७३०

वित्त विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . ५७३०-३३

दैनिक संक्षेपिका . . . ५७३४-३८

**अंक ४९——गुरुवार, २० अप्रैल, १९६१/३० चैत्र, १८८३ (शक)**


पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ से १६४०, १६४२ से १६४६ और १६४९ से १६५४ . . . ५७३९——६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १६४१, १६४७, १६४८, १६५५ और १६५६ . . . . . . ५७६३——६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७२ से ३६३८ . . . ५७६६——९३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ५७९३–९४

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . . ५७९४–९५

स्थगन प्रस्ताव——

ओटावा में भारतीय उच्च आयोग के प्रथम सचिव की गोली लगने से मृत्यु . . . . . ५७९५–९६

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सिलीगुडी के निकट रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

श्री शाहनवाज खां . . . . . ५७९६–९७

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१——

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५७९७–९८

खण्ड २, ३ और १ . ५७९८

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . ५७९८

वित्त विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव . . . ५७९९——५८३२

सभा का कार्य . ५८३२

दैनिक संक्षेपिका . . . ५८३३——३७


**अंक ५०——शुक्रवार, २१ अप्रैल, १९६१/१ बैशाख, १८८३ (शक)**


प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १६५७ से १६५९, १६६१ से १६७५ और १६७५–क . ५८३९——६९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० और १६७६ से १६८३ . ५८६६—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३६, से ३७०१ ३७०३ से ३७२५ ५८७२—५६०५

स्थगन प्रस्ताव

बेला रोड पर डेरी किशनचंद में आग लग जाना . . ५६०५—०७

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य—

क्यूबा की स्थिति . . . . ५६०७—०६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ५६०६—११

वित्त विधेयक, १६६१—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५६११—६१

दैनिक संक्षेपिका . . ५६६२—६७

---

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

---

GMGIPND—LS III—543 (Ai) LS—23-6-31—126

# लोक-सभा वाद-विवाद

## लोक-सभा

गुरुवार, २० अप्रैल, १९६१
३० चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**रक्त दान**

+

†*१९३९. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :** **श्री श्रीनारायण दास :** **श्री राधा रमण :**

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वेच्छा से रक्त दान करने वाले लोगों का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रक्त दान आन्दोलन के वाणिज्यीकरण की कोई प्रस्थापना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी, हां। जैसा कि अधिकांश राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरों से मालूम होता है।

(ख) जी, नहीं।

मैं इस सम्बन्ध में यह भी बता देना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों में स्थिति अलग अलग है। सम्बन्धित अस्पताल धन अदा कर के रक्त खरीदने का यत्न कर रहे हैं।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : माननीय मंत्री ने बताया है कि कुछ राज्यों में रक्त खरीदा जा रहा है। क्या अन्य राज्यों में भी यही तरीका प्रारम्भ करने का कोई विचार है ?

†**श्री करमरकर** : जी, नहीं। इस समय सभी राज्यों में स्थायी रक्त बैंक हैं। वास्तव में यह दुर्भाग्य है, जोकि रक्त खरीदा जा रहा है। असल में रक्त दान के रूप में दिया जाना चाहिये परन्तु हमारे लोगों के मन अभी संकुचित हैं। कभी कभी तो निकटतम सम्बन्धी जैसे पिता या पति भी रोगियों को अपना रक्त देने के लिये राजी नहीं होते। इस सम्बन्ध में हम जनता को शिक्षा देने का यत्न कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में हम शीघ्र ही स्वेच्छा से रक्त दान सम्बन्धी आन्दोलन प्रारम्भ करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में



539 (Ai) LSD—1.

†श्री श्रीनारायण दास : क्या रक्त की आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो उस मांग को पूरा करने के लिये कितने रक्त दान की जरूरत होगी ?

†श्री करमरकर : स्वेच्छा से रक्त दान बहुत कम हुआ है। रक्त प्राप्त करने के लिये विभिन्न अस्पतालों को राशि अदा करनी पड़ती है। शल्य चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की वृद्धि के साथ ही साथ रक्त की मांग भी निरंतर बढ़ती जा रही है। परन्तु मैं कुछ मांग के सम्बन्ध में निश्चित आंकड़े नहीं बता सकता।

श्रीमती कृष्णा मेहता : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि यहां कुछ रशियन डाक्टर आये थे और उन्होंने यह राय दी थी कि जैसे रशिया में मरे हुए आदमी से छः घंटों के अन्दर खून लिया जाता है वैसे ही यहां इस तरह का कायदा रखा जाय और क्या इस तरह की कोई तजवीज यहां पर है क्योंकि यहां खून का अभाव है ?

श्री करमरकर : जिन्दा आदमी का खून नहीं मिलता है तब मरे हुए का तो नहीं ही मिलता। इस के बारे में रुकावट होती है। जो रोगी अस्पताल में मर जाते हैं उन में से जिन के क्लेमेन्टस नहीं होते हैं उन से यह चीज मिल सकती है, मगर जिन के क्लेमेन्टस होते हैं उन के पोस्ट मार्टम के लिये भी क्लेमेन्टस की मर्जी जरूरी होती है।

## हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम

†*१६३७. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० के दौरान हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम में हुए उत्पादन का कुल मूल्य कितना था;

(ख) १९५९ की तुलना में कितना लाभ हुआ;

(ग) क्या यह सच है कि शिपयार्ड को अपेक्षित इस्पात प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन): (क) १९५९–६० में ४०१.४८ लाख रुपयों की कीमत का उत्पादन किया गया था।

(ख) शिपयार्ड को १९५९–६० में ६८,८७३ रुपयों की आय हुई थी जबकि उससे पहले वित्तीय वर्ष में ४,७६४ रुपयों की शुद्ध हानि हुई थी।

(ग) सिवाय इस्पात की उन मदों के, जिनकी मांग कम है, यार्ड को अन्य मदों की प्राप्ति में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

(घ) स्टैण्डर्ड किस्म के इस्पात के स्टाक को इकट्ठा करने के लिय प्रबन्ध कर लिया गया है। विशेष साइज की इस्पात की प्लेटों की अत्यधिक मांग के सम्बन्ध में सरकार आवश्यकतानुसार आयात करने की अनुमति दे देती है।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है या कि कुछ कमी रह गयी है ? यदि कमी रह गयी है तो क्या सरकार उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिये या देश में एक और शिपयार्ड स्थापित करने का कोई विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० प० सुब्बरायन : मैं यह प्रश्न नहीं समझा ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : इस शिपयार्ड पर कुल कितनी पूंजीगत लागत आयी है ? क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती कि उतनी अधिक लागत से होने वाली आय बहुत कम है ?

†डा० प० सुब्बरायन : मैं इस कथन से सहमत हूं कि लगायी गयी पूंजी की अपेक्षा बहुत कम आय हुई है, परन्तु अब हमें अधिक आय की आशा होने लगी है ?

†श्री रामकृष्ण गुप्त : चालू वर्ष में जहाजों के निर्माण के लिये कितने आर्डर प्राप्त हुए हैं और क्या वे सभी आर्डर पूरे कर दिये गये हैं ?

†डा० प० सुब्बरायन : वास्तविक कठिनाई तो इस्पात की प्लेटों के सम्बन्ध में है । केवल लगभग १५,००० टन प्लेटों का आयात किया जा रहा है । और हमें आवश्यकता लगभग २८,००० टनों की है । परन्तु विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों को देखते हुए इतनी मात्रा में उनका आयात करना असम्भव है । रूरकेला के पूर्णरूपेण चालू हो जाने पर १५,००० टन की और प्राप्ति हो सकेगी और उससे स्थिति में सुधार हो जायेगा ।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : शिपयार्ड पर कुल कितनी पूंजीगत लागत आयी है ?

†डा० प० सुब्बरायन : इस सम्बन्ध में इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

†श्री कासलीवाल : इस यार्ड में इस समय कितने जहाज़ बनाये जा रहे हैं ?

†डा० प० सुब्बरायन : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री तंगामणि : १९६१ में कितनी कीमत का उत्पादन किया जायगा और क्या यह १९६० से अधिक होगा ?

†डा० प० सुब्बरायन : १९६०-६१ के सम्बन्ध में अभी तक आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : यह वर्ष अभी-अभी समाप्त हुआ है । इसके सम्बन्ध में इसी समय कैसे उत्तर दिया जा सकता है ।

## चीनी का निर्यात

*१६३८. श्री विभूति मिश्र: क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८, १९५९, १९६० और १९६१ के जनवरी तक भारत से कितना चीनी का निर्यात हुआ और कौन-कौन से देशों को चींनी भेजी गई;

(ख) उन देशों को किस दर पर चीनी निर्यात की गई;

(ग) चीनी मिलों को सरकार ने चीनी का कितना मूल्य दिया; और

(घ) क्या यह सच है कि चीनी की मिलों के मालिकों ने सरकार द्वारा दी गई कीमत को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) विवरण सदन के समक्ष रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७९]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जिन भावों पर चीनी निर्यात की जाती है वह समय समय पर और देश देश में, विभिन्न होते हैं, और बेचने के समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव की स्थिति पर आधारित होते हैं। १९५८, १९५९ और १९६० में निर्यात की गई चीनी औसत नौतल पर्यन्त निशुल्क प्राप्ति निम्न प्रकार थी :—

१९५८ ४३५ रुपये प्रत्येक मीट्रिक टन
१९५९ ४३७ रुपये प्रत्येक मीट्रिक टन
१९६० ४०० रुपये प्रत्येक मीट्रिक टन

(ग) निर्यात की गई चीनी का मूल्य सरकार नहीं देती । निर्यात, शूगर एक्सपोर्ट प्रोमोशन एक्ट १९५८ के अन्तर्गत किया जाता है । इस अधिनियम के अन्तर्गत, कारखानों को उनके निर्यात अभ्यंश का मूल्य, अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से की गई प्राप्ति के अनुसार दिया जाता है ।

(घ) मिल मालिकों ने चीनी के वर्तमान मूल्य को चालू वर्ष में अपेक्षित निर्यात की हानि पूरी करने के लिये पर्याप्त स्वीकार नहीं किया ।

†**श्री विभूति मिश्र** : चीनी फैक्टरियों को प्रतिमन कितनी हानि हुई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : हमारे देश में उत्पादन पर लगभग ७०० रुपये प्रति मीट्रिक टन की लागत आयेगी जबकि अन्तर्राष्ट्रीय कीमत १९६० में ४०० रुपये प्रति मीट्रिक टन थी ।

†**श्री विभूति मिश्र** : फैक्टरियों के मालिकों को हो रही हानि को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : जहां तक निर्यात में होने वाली हानि का सम्बन्ध है, जिन क्षेत्रों में कारखाना द्वारा मूल्य निर्धारित किये गये हैं उन में कारखाना द्वारा मूल्य और प्राप्त किये जाने वाले मूल्य में बड़ा अन्तर है और उससे नुकसान पूरा किया जा सकता है ।

## टेलीफोन विभाग

†*१९३९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस आम शिकायत के बारे में जानकारी है कि सामान और सम्भरण की कमी के कारण और इंजीनियर अधीक्षकों को सामान का उपयोग करने और स्थानीय रूप से सामान की खरीद करने के अपर्याप्त अधिकार होने के कारण टेलीफोन विभाग द्वारा साधारण मरम्मत कार्यों, टेलीफोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने और मंजूरशुदा टेलीफोन को लगाने में बहुत समय लिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) मुझे ज्ञात है कि स्टोर की कुछ एक वस्तुओं की कमी है जिसके परिणामस्वरूप टेलीफोन के कार्यों में विलम्ब हो रहा है । कर्मचारियों के अधिकारों का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(ख) इन वस्तुओं की कमी का कारण यह है कि इस समय देश में सामान्यतया सभी वस्तुओं की कमी है और उसका कारण यह है कि देश में वस्तुओं के निर्माण की क्षमता सीमित है और विदेशी मुद्रा की कमी है । जहां तक विदेशी मुद्रा उपलब्ध है, देश में कम वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या यह सच नहीं है कि इंजीनियरिंग और क्लेरीकल कर्मचारियों के कार्यों में दुहरापन है और क्योंकि अधीक्षण इंजीनियरिंग कर्मचारियों पर क्लेरीकल काम भी भार है, वे स्थापना कार्यों की ओर उचित ध्यान नहीं दे सकते ।

†डा० प० सुब्बरायन : मैं माननीय सदस्य के कथन से सहमत नहीं हूं ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार उन सभी कमियों को पूरा करने के लिये एक और टेलीफोन फैक्टरी लगाना चाहती है ?

†डा० प० सुब्बरायन : मैं तो तारों के सम्बन्ध में कह रहा था, टेलीफोन उपकरणों के सम्बन्ध में नहीं ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : टेलीफोन लगाने और मरम्मत कार्यों को गति देने के लिये कुछ सीमा तक स्थानीय रूप से खरीद करने के लिये सुपरवाइजरों को अनुमति देने का विचार है ?

†डा० प० सुब्बरायन : जी, हां । जहां भी आवश्यकता होती है, हम स्थानीय रूप से वस्तुएं खरीद लेते हैं ।

## ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज को ऋण

†*१६४०. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या परिवहन तथा संचार तथा संचार मन्त्री ६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस योजना का, जिसके लिये ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज़ को २ करोड़ रु० ऋण देने की मंजूरी दी गयी है, ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस ऋण की अदायगी की क्या शर्तें हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज़ पुराने जरूरी बोर्ड के स्थान पर नया बेड़ा चलाने के लिये १४ नये स्वयं प्रोपैल करने वाले कैरियर और ६ बन्दरगाह के रस्से बनवाने का विचार रखती है और इस पर लगभग ५.६६ करोड़ रुपयों की लागत आयेगी । उसके लिये ३.६६ करोड़ रुपये स्वयं कम्पनियों द्वारा अपनी ओर से खर्च किये जायेंगे और शेष २ करोड़ रुपये सरकार द्वारा ऋण के रूप में दिये जायेंगे ।

(ख) यह ऋण सात वार्षिक किस्तों में वसूल किया जायेगा और इसकी पहली किस्त कम्पनियों को ऋण की अन्तिम किस्त मिलने के १२ महीने बाद से प्रारम्भ होगी ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन कम्पनियों ने इतना अधिक लाभ प्राप्त किया है और इतना अधिक धन रिजर्व रखा है, उन्हें इतनी अधिक राशि ऋण के रूप में क्यों दी जा रही है ?

†डा० प० सुब्बरायन : उन्होंने अत्यधिक लाभ नहीं कमाया है । वे सभी स्टीमर पुराने हैं और उन्हें बदलने की जरूरत है । उनके पास इसके लिये पर्याप्त धन नहीं है, इसीलिये यह ऋण दिया जा रहा है ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि उन ऋणों के अतिरिक्त उन्हें पर्याप्त राजकीय सहायता भी दी जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बरायन** : जी हां। कभी कभी राजकीय सहायता भी दी जाती है। परन्तु ऋण देने में कठिनाई यह है कि ये कम्पनियां भारत में पंजीबद्ध नहीं हैं ? वे इंग्लैण्ड में पंजीबद्ध हैं और भारतीय तथा पाकिस्तानी जल मार्गों पर अपने जहाज चलाती हैं। इसीलिये ऋण देने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, परन्तु अब कठिनाइयां हल हो गयी हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि ज्वाएंट स्टीमर कम्पनीज़ ने सरकार को यह धमकी दी है कि यदि सरकार उन्हें ऋण नहीं देगी, तो वे ब्रह्मपुत्र तथा अन्य नदियों में जलयान सेवा समाप्त कर देंगी और सरकार को बाध्य होकर यह ऋण देना पड़ा है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : बाध्य होने का तो कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। उन्होंने हमें कोई धमकी भी नहीं दी है। हमने तो ये ऋण इसलिये दिये हैं कि हम ऋण देना आवश्यक समझते थे।

†**श्री हेम बरुआ** : उन्होंने वास्तव में धमकी दी और यह कहा था कि वे कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर देंगे, तो उस समय एक भी प्रतिनिधि मण्डल यहां आया। मैं भी उसका एक सदस्य था।

†**डा० प० सुब्बरायन** : मुझे इस बारे में ज्ञात नहीं है।

†**श्री अ० चं० गुह** : यह एक विदेशी कम्पनी है जो कि भारत और पाकिस्तान में काम करती है। क्या सरकार ने इसे ऋण देने से पहले इस कम्पनी द्वारा कमाये गये धन और इकट्ठे किये गये रिजर्व को भी ध्यान में रखा गया है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जी, हां। इन सभी पर विचार कया गया है। वे हमारी मरजी के बिना कुछ नहीं कर सकते।

†**श्री त्यागी** : कम्पनियों द्वारा लगायी जा रही कुल पूंजी में से कितनी राशि ऋण के रूप में दी जा रही ह और कितना ऋण पाकिस्तान द्वारा दिया जा रहा है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, मेरे पास उनका हिसाब नहीं है अतः मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

†**श्री अ० चं० गुह** : कम्पनी के स्टीमर तो पाकिस्तान में भी चलते हैं, तो फिर पाकिस्तान भी तो कुछ राशि दे रहा होगा।

†**डा० प० सुब्बरायन** : वे भी राशि दे रहे होंगे, परन्तु मेरे पास इस सम्बन्ध में आंकड़े नहीं हैं, इसलिये मैं बता नहीं सकता। हमने उन्हें २ करोड़ रुपये इस शर्त पर देने का वचन दिया है कि वे इस राशि के बदले अपने स्टीमर हमारे नाम बन्धक रखेंगे।

†**श्री त्यागी** : वे कुल कितनी राशि लगा रहे हैं।

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैं बता चुका हूं कि वे कुल ३·६६ करोड़ रुपये लगा रहे हैं और उनमें से हम २ करोड़ रुपये दे रहे हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इन कम्पनियों द्वारा कुल कितना लाभ कमाया गया है, उनका रिजर्व धन कितना है और वे अपने लाभ में से कितनी राशि विदेशों को भेजते हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : इन सभी बातों पर विचार किया गया था और हमने यह देखा है कि उनके पास इतना अधिक धन नहीं है कि वे नये स्टीमर खरीद सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० चं० गुह : इस वर्ष उस कम्पनी को कितना लाभ हुआ था और उसकी कितनी रिजर्व राशि है ?

†डा० प० सुब्बरायन : मैं यह जानकारी प्राप्त करके सभा-पटल पर रख दूंगा ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता कि उस कम्पनी की धन अदा करने की कितनी क्षमता है ?

†डा० प० सुब्बरायन : वे इंग्लैण्ड में पूंजीबद्ध हैं । वे काम दोनों देशों में करती हैं । उनकी लाभ हानि के हिसाब की हमने अपने अफसरों के द्वारा जांच करायी है । परन्तु ये आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं । मैं उन्हें सभा-पटल पर रख दूंगा ।

## मूंगफली का मक्खन

†*१६४२. श्री रामशंकर लाल : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य विभाग द्वारा मूंगफली से मक्खन तैयार करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मक्खन का पोषक गुण क्या होगा ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रयोगात्मक आधार पर मूंगफली के मक्खन के विकास के लिये दिल्ली में एक कारखाना लगाने का विचार है और उसमें भारतीय परिस्थितियों के अधीन उसके प्रमापीकरण के सम्बन्ध में अनुसन्धान किये जायेंगे ।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८०]

†अध्यक्ष महोदय : यह क्या चीज होती है । क्या यह डालडे से अलग प्रकार का होता है ?

†श्री अ० म० थामस : यह मूंगफली का मक्खन होता है ।

†अध्यक्ष महोदय : लोग तो डालडे से ही अधिक सन्तुष्ट होंगे ।

## एयर इंडिया इंटरनेशनल के लन्दन-टोकियो बोइंग मार्ग की रंगीन फिल्म

†*१६४३. श्री जीनचन्द्रन : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया इण्टरनेशनल ने अपने लन्दन-टोकियो बोइंग मार्ग की १६ एम० एम० की रंगीन फिल्म तैयार करने के लिये एक जापानी फिल्म कम्पनी को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय फिल्म कम्पनियों से फिल्म तैयार करने को कोई बातचीत की गयी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (घ). एयर इंडिया इण्टरनेशनल ने यह रिपोर्ट दी है कि एक जापानी फिल्म कम्पनी उनकी टोकियो से लन्दन तक की बोइंग सेवा को दिखाने वाली १६ एम० एम० की एक रंगीन फिल्म तैयार कर रही है। क्योंकि वह फिल्म केवल जापानी मार्केट के लिये ही थी और वह जापान में टेलीविजन के द्वारा दिखाने के लिये है, वह जापानी भाषा में ही बनानी पड़ी है और एक जापानी फर्म द्वारा बनवानी पड़ी है। इसीलिये किसी भी भारतीय फिल्म कम्पनी से उस बारे में कहने की अपेक्षा जापानी सर्व प्रसिद्ध फिल्म निर्माण कम्पनी से इस बारे में कहा गया है।

†श्री जीनचन्द्रन : इस फिल्म पर कितनी लागत आयेगी ?

†श्री मुहीउद्दीन : लगभग ९,५०० रुपयों की लागत आयेगी।

†श्री जीनचन्द्रन : क्या किसी और मार्ग के सम्बन्ध में भी कोई फिल्म बनायी जा रही है ?

†श्री मुहीउद्दीन : यूरोप के मार्गों के सम्बन्ध में भी कुछ प्रचार फिल्में बनाने का उनका विचार है।

†श्री राधा रमण : इस फिल्म को तैयार होने में कितना समय लग जायेगा और यह भारत में कब दिखायी जायेगी ?

†श्री मुहीउद्दीन : यह फिल्म जापानी भाषा में है और जापान में ही दिखायी जायेगी। मैं नहीं समझता कि भारत में इसे दिखाना सम्भव हो सकेगा।

†श्री अंसार हरवानी : जब भारतीय कम्पनियों ने फिल्म उद्योग में इतनी अधिक सफलता प्राप्त की है तो एयर इण्डिया इण्टरनेशनल विदेशी कम्पनियों से फिल्में क्यों बनवा रही है ?

†श्री मुहीउद्दीन : मैं इस फिल्म को विदेशी फर्म को देने के कारण बता चुका हूं।

†श्री जीनचन्द्रन : क्या यह पर्याप्त नहीं था कि फिल्म किसी भारतीय फर्म से बनवायी जाती और केवल आवाज़ जापानी फर्म से भरवायी जाती ?

†श्री मुहीउद्दीन : मैं नहीं समझता कि वैसा करना पर्याप्त होता। जापानी प्रभाव की भी आवश्यकता थी।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस फिल्म में टोकियो से लन्दन तक के सम्पूर्ण मार्ग को दिखाना है, तो फिर यह कार्य केवल एक जापानी फर्म को ही क्यों दिया गया है ?

†श्री मुहीउद्दीन : बोइंग सेवा अभी इस फरवरी मास में ही प्रारम्भ की गयी है। जापानी लोगों को इण्डियन एयरलाइन्स की ओर आकर्षित करने के लिये ही यह जापानी में बनवायी जा जा रही है।

### अन्तर्राष्ट्रीय पत्तनों पर भोजन-प्रबंधक

†*१६४४. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय पत्तनों पर भोजन आदि की व्यवस्था के ठेके किन किन लोगों के पास हैं और वे कहां पर कब से हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ठेकों की शर्तें क्या हैं और इन ठेकेदारों द्वारा कितनी पूंजी लगायी गयी है ;

(ग) मूल्य सूची क्या है और मूल्य किस प्रकार निश्चित किये जाते हैं; और

(घ) भोजन-व्यवस्था सेवा में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). मैं सभा-पटल पर दो विवरण रखता हूं । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८१**]

(घ) जिन ठेकेदारों के विरुद्ध शिकायतें थीं, उन्हें कह दिया गया है कि ३१–१२–६० के बाद ठेके के विस्तार के लिये आवेदन करने से पहले अपनी सेवा की किस्म को सुधार दिया जाये । इसके अतिरिक्त ठेकेदारों से किये गये करारों में भी यह लिखा है कि सेवा व्यवस्था के असन्तोषजनक होने पर असैनिक उड्डयन के महानिदेशक उन पर जुर्माना लगा सकते हैं या उनका ठेका समाप्त कर सकते हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : विवरण से यह ज्ञात होता है कि पालम में एक ही व्यक्ति का ठेका पिछले १२ वर्षों से चल रहा है, दमदम में १६४६ से चल रहा है और सान्ताक्रूज में १६५० से चल रहा है । उन ठेकों को खुले मुकाबले के लिये क्यों नहीं अनुमति दी जाती ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यदि किसी ठेकेदार की सेवा व्यवस्था संतोषजनक है, तो उस ठेके को बार-बार बदलने की कोई जरूरत नहीं है । और फिर ठेकेदारों को धन भी तो लगाना पड़ता है । अतः यही उचित है कि यदि व्यवस्था संतोषजनक हो तो उसी व्यक्ति को सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या इससे यह तात्पर्य नहीं है कि उन्हें एकाधिकार दिया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम प्रश्न से नीति के मामले की ओर जा रहे हैं । यहां नीति के मामले पर हमें विचार नहीं करना है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस में नीति का कोई प्रश्न नहीं है । माननीय मंत्री यह कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने धन लगाया है, इसलिये उन्हें रखा जा रहा है । मैंने यह पूछा था कि प्रत्येक ठेकेदार द्वारा कितनी राशि लगायी गयी है । और उत्तर यह मिला है कि चारों ठेकेदारों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है । मैं माननीय उपमंत्री से निवेदन करता हूं कि वे उस पर कुछ प्रकाश डालें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक ठेका कितनी अवधि के लिये होता है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : तीन वर्ष के लिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि क्या उनके लिये कोई विज्ञापन दिया गया था या टेण्डर मांगे गये थे ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : नीति यह है कि यदि किसी ठेकेदार की व्यवस्था गत तीन वर्षों में संतोषजनक रही है तो हम उसके लिये नये टेण्डर नहीं मांगते । उसी ठेकेदार को तीन वर्ष के लिये और ठेका दे दिया जाता है । इसका कारण यह है कि ठेकेदार को पर्याप्त धन लगाना पड़ता है । अतः यदि उसका कार्य संतोषजनक है तो उसे बदलने का कोई कारण नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त० ब० विट्ठल राव : विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने का क्या आधार है, क्योंकि चाय के एक प्याले के लिये १२ आने लिये जाते हैं, जबकि अन्य अच्छे से अच्छे होटलों में भी ६ आने से अधिक नहीं लिये जाते ?

†श्री मुहीउद्दीन : कीमतें सम्बद्ध विवरण में दे दी गयी हैं । यह सच है कि कीमतें कुछ अधिक है, परन्तु वे शहर के प्रथम श्रेणी के होटलों के समान ही हैं ।

†कई माननीय सदस्य : जी, नहीं, नहीं ।

†श्री मुहीउद्दीन : मैंने आज सुबह ही पूछ-ताछ की है । उदाहरणार्थ वोलगा में कोका कोला के ८५ नये पैसे लिये जाते हैं जब कि पालम में उसके लिये केवल ३७ नये पैसे लिये जाते हैं और एल्प्स तथा वेंजर में ५० नये पैसे लिये जाते हैं ।

†श्री जयपाल सिंह : प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस का उत्तर पहले ही दे चुके हैं कि उन्हें इस बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है ।

†श्री जयपाल सिंह : जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है, माननीय मंत्री यह कह देते हैं कि उन्हें ज्ञात नहीं है तो फिर प्रश्न पूछने से क्या लाभ है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस जानकारी को शीघ्र ही प्राप्त करने का यत्न करें ।

†श्री जयपाल सिंह : मुख्य बात यह है कि माननीय मंत्री वर्तमान ठेकेदार को बचाने का मुख्य कारण यह बता रहे हैं कि उसने धन लगाया है और इसलिये उसे सदा जारी रखना चाहिये । परन्तु यह ज्ञात नहीं है कि उन ठेकेदारों ने कितना धन लगाया है ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में अधिक चर्चा के लिये अनुमति नहीं दे सकता ।

†डा० प० सुब्बरायन : उसके बचाव का मुख्य कारण यह नहीं है, अपितु यह है कि उसकी व्यवस्था संतोषजनक है ।

†श्री त्यागी : उन वस्तुओं के बारे में निर्णय करना ठेकेदार की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाता है या कि इस बारे में भी पहले से ही करार कर लिया जाता है ?

†डा० प० सुब्बरायन : कीमतें असैनिक उड्डयन के महानिदेशक के परामर्श से निर्धारित की जाती हैं ।

### दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डाक्टर

*१६४५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विलिंगडन हस्पताल, सफदरजंग हस्पताल तथा इरविन हस्पताल आदि सरकारी हस्पतालों में रोगियों का संख्या को, जो कि निन्तर बढ़ रही है, ध्यान में रखते हुए सरकार डाक्टरों को बढ़ाने का विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जानने का प्रयत्न किया है कि वर्ष में जितने रोगी आते हैं और डाक्टरों के काम करने के समय को देखते हुए एक डाक्टर एक मिनट भी रोगी की स्थिति को देखने में नहीं दे पाता;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार दिल्ली में कुछ और नये हस्पतालों को बनाने का भी विचार कर रही है अथवा वर्तमान हस्पतालों को और अधिक बढ़ाने का विचार कर रही है; और

(घ) तृतीय पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये सरकार ने क्या और कोई हस्पताल बनाने का कुछ निश्चय किया है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) इन तीनों अस्पतालों में वर्तमान मेडिकल अफसरों की संख्या पर्याप्त है । फिर भी कर्मचारियों की संख्या पर हर समय ध्यान दिया जाता है, तथा आवश्यकता समझने पर उसमें परिवर्द्धन किया जा रहा है और भविष्य में भी किया जाता रहेगा ।

(ख) कुछ अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालयों में किये गये कालाध्ययन से पता चला है कि प्रत्येक बहिरंग रोगी को देखने में औसतन लगभग ३.५ मिनट का समय दिया जाता है ।

(ग) सफदरजंग अस्पताल की मौजूदा शय्याओं में निकटतम भविष्य में ४१० और शय्यायें बढ़ाने का विचार है तथा विलिंगडन अस्पताल में भी वर्तमान शय्याओं में २४० और शय्याओं की वृद्धि की जायेगी । विलिंगडन अस्पताल के विस्तार के निर्माण कार्यक्रम के पूर्ण होने पर २५० और शय्याओं की व्यवस्था करने का भी विचार है । जहां तक इर्विन अस्पताल का प्रश्न है ३५० शय्या वाले एक वार्ड के निर्माण की योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर दी गई है ।

(घ) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम तथा अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के अधीन नये अस्पतालों को खोलने अथवा विस्तार करने के लिये निम्नलिखित योजनाओं को अस्थायी रूप से तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर दिया गया है :—

**दिल्ली प्रशासन के अधीन**

(१) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन ३०० शय्याओं वाले एक सामान्य तथा प्रसूति अस्पताल का निर्माण ।

(२) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन १५० शय्याओं के एक क्षय रोग अस्पताल का निर्माण ।

(३) इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली में ३५० शय्याओं के एक खण्ड का निर्माण (जिसका पहले ही ऊपर उल्लेख कर दिया गया है) ।

**दिल्ली नगर निगम के अधीन**

(१) उपनगर अस्पतालों में १०० अतिरिक्त शय्याओं का निर्माण ।

(२) हिन्दू राव अस्पताल, शाहदरा तथा किशनगंज/पूसारोड अस्पतालों में दुर्घटना विभागों की स्थापना ।

(३) डिफेन्स कालोनी में ५० शय्याओं का एक औषधालय खोलना ।

(४) ५ एलोपैथिक औषधालयों की स्थापना ।

(५) २ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ।

(६) ४ दन्त क्लिनिकों की स्थापना ।

(७) १ आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना ।

(८) क्षय रोगियों के पृथक्करण के लिये १२५ अतिरिक्त शय्याओं का निर्माण ।

(९) हिन्दू राव अस्पताल में रुधिर-कोष की स्थापना ।

(१०) दक्षिण दिल्ली में १०० शय्याओं के संक्रामक रोग अस्पताल का निर्माण ।

(११) किंग्जवे में संक्रामक रोग अस्पताल का विस्तार (५० शय्यायें) ।

(१२) ३ मातृ एवं शिशु कल्याण तथा परिवार नियोजन केन्द्रों का निर्माण ।

(१३) २ नये रति-रोग क्लिनिकों की स्थापना ।

(१४) कुष्ठ रोगियों के लिये एक कुष्ठाश्रम का निर्माण ।

**अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान-संस्था के अधीन**

भवन निर्माण के पूर्ण होने पर, जिसे शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के ३५० शय्याओं के अस्थायी अस्पताल को ७०० शय्याओं का अस्पताल बना दिया जायेगा ।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : मैंने इस प्रश्न के द्वारा विशेष रूप से यह जानना चाहा था कि इरविन, सफदरजंग और विलिंगडन, दिल्ली और नई दिल्ली के इन तीन बड़े बड़े हास्पिटल्ज़ में रोगियों की संख्या और वहां कार्य करने वाले डाक्टरों की संख्या को दृष्टि में रखते हुए क्या इस बात का अनुमान लगाया गया है कि एक रोगी को देखने में डाक्टर कितने मिनट लगाता है । प्रश्न के उत्तर में जो विवरण दिया गया है, उस में लिखा है कि सी० एच० एस० की डिस्पेंसरीज में एक रोगी को देखने में ३.५ मिनट लगते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन तीन हास्पिटल्ज़ का मैंने अभी उल्लेख किया है, उन में एक रोगी को देखने में कितना समय लगता है, क्या इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े एकत्रित किये गये हैं ।

**श्री करमरकर** : जी नहीं, उनके बारे में नहीं किये हैं ।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : जहां तक मेरी जानकारी है, इन तीनों बड़े हास्पिटल्ज़ में जो रोगी पहुंचते हैं, उनकी संख्या और वहां काम करने वाले डाक्टरों की संख्या को देखते हुए एक रोमी को देखने में एक मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाता है । इन तमाम बातों को दृष्टि में रखते हुए क्या इन हास्पिटल्ज़ में डाक्टरों की संख्या को बढ़ाया जायेगा ?

**श्री करमरकर** : मुझे यह पसन्द नहीं है कि डाक्टर घड़ी पर आंख रख कर रोगी को देखें । अगर रोगी को देखने और रोग का निदान करने के लिये ज्यादा वक्त चाहिए, तो ज्यादा वक्त दिया जाता है । यह ठीक है कि जितने रोगी वहां आते हैं, उनके मुताबिक हम डाक्टरों की संख्या नहीं बढ़ा सके हैं और आर्थिक कारणों से इम्मीडिएट फ्यूचर में बढ़ा भी नहीं सकते हैं । मैं चाहता हूं कि जो रोगी, जो मरीज़ वहां आते हैं, उनकी संख्या को देखते हुए डाक्टरों की संख्या काफी बढ़े । दस बरस पहले जो स्थिति थी, उससे दस गुनी तरक्की हुई है और शायद अगले पांच दस बरसों में इस बारे में और भी दुगुनी तरक्की हो जायेगी । आज तो वह स्थिति नहीं है ।

**श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : इस विवरण के अन्तिम भाग में बताया गया है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के अधीन एक नये हास्पिटल की स्थापना होने जा रही है और उसको भवन-निर्माण के पूर्ण होनेपर शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि भवन-निर्माण-कार्य कब से आरम्भ हो जायेगा ।

**श्री करमरकर** : मैं आशा करता हूं कि भवन-निर्माण-कार्य का प्रारम्भ इस बरस हो जायगा । आजकल वहां ३५० बैड्ज़ का हास्पिटल मौजूद है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में वह खत्म हो जायगा, कम्पलीट हो जायगा ।

†**श्री कोडियान** : क्या यह सच है कि हालांकि विलिंगडन अस्पताल विस्तार कार्यक्रम दूसरी योजना में शामिल था, काम अभी तक आरम्भ नहीं किया गया और यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्री करमरकर** : कारण सरल है । स्थान उपलब्ध नहीं हुआ है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : इन अस्पतालों में कितने डाक्टर हैं, और औसतन से कितने रोगी आते हैं तथा डाक्टर प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं ?

†**श्री करमरकर** : वर्ष १९६० के लिये मैं यह सूचना सभा पटल पर रख दूंगा या यदि माननीय सदस्य किसी पहले वर्ष की सूचना पूछते हैं तो मैं वह दे दूंगा ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : यह बड़ी सरल सूचना है कि कितने डाक्टर काम करते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कैसे यह अपेक्षा करते हैं कि माननीय मन्त्री वह सूचना लिये हुए हैं ?

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : जब प्रश्न है तो सूचना माननीय मन्त्री के पास तैयार होनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह घंटों और डाक्टरों आदि की संख्या मांग रहे हैं । मैं नहीं समझता यह मन्त्री जी के पास तैयार होगी ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : जब यह कहा जाता है कि बहुत भीड़ होती है, तो माननीय मन्त्री को सूचना भी तैयार रखनी चाहिये कि कितने रोगी प्रतिदिन आते हैं और इतने मामले होते हैं और वहां इतने डाक्टर हैं और वह इतने घंट प्रतिदिन काम करते हैं । यदि यह सूचना उपलब्ध नहीं है तो माननीय मन्त्री क्या सूचना देंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने सूचना दे दी है । प्रत्येक रोगी पर औसतन लगभग एक मिनट खर्च होता है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : यह नहीं । कितने रोगी आते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जो सूचना वह चाहते हैं कि कितने डाक्टर, रोगी आदि हैं, उसका सार दे दिया गया है । यदि एक को दूसरे पर भाग दिया जाए तो परिणाम यह होगा कि प्रत्येक रोगी पर कितना समय खर्च हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**कृषि-विश्वविद्यालय**

+
†*१६४६. { श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री बहादुर सिंह :

**क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के विभिन्न भागों में नये कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थापना के बारे में क्या अन्तिम निर्णय किया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के विरोध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग ने पहले तीन ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार किया था। इन में से एक उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा चुका है और अन्य दो की स्थापना विचाराधीन है। इन में से किसी भी मामले में आयोग ने ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना का विरोध नहीं किया। यदा कदा कोई नये विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे, सरकार आयोग के विचारों पर समुचित ध्यान देगी।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : समाचार पत्रों में एक समाचार था कि आयोग ने इन विश्वविद्यालयों की स्थापना का विरोध किया था और माननीय मंत्री ने खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय सम्बन्धी मांगों की चर्चा का उत्तर देते हुए इसका उल्लेख भी किया था और कहा था कि यह सच हो सकता है और सरकार को शासकीय तौर पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, मैं इस सिलसिले में यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी को वे आधार या कारण मालूम है जिनसे आयोग ने इन विश्वविद्यालयों की स्थापना का विरोध करना उचित समझा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : वह केवल समाचार पत्र की खबर थी। यह बात नहीं कि आयोग ने हमें लिखा है। जैसा कि मेरे साथी ने कहा है जहां तक इन तीनों उल्लिखित विश्वविद्यालयों का सम्बंध है, एक आरम्भ हो चुका है और दूसरे विचाराधीन हैं, अन्य आयेंगे। इसलिये समाचार पत्र में एक केवल सुझाव के कोई मत नहीं बन जाता।

**श्री विभूति मिश्र** : दो यूनिवर्सिटीज़ जो अण्डर कन्सिड्रेशन हैं, उनको खोलने में कौन से सिद्धान्त प्रमुख रखे जायेंगे ?

**डा० पं० शा० देशमुख** : इसके लिये एक कमेटी बनाई गई है। उसका एक बिल्यू-प्रिंट है। एक बड़े अमरीकी एक्सपर्ट डीन हना भी आए थे, उन्होंने भी उसके लिये कुछ क्राइटीरिया रखा है। इन सब के मुताबिक काम किया जा रहा है।

†**श्री राधेलाल व्यास** : जो योजना बनाई गई है क्या वह सब राज्य सरकारों को भेजी गई है और क्या उन के राज्यों में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये उनके सुझाव मांगे गये हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : वे राज्य सरकारों को भेजी गई हैं। वास्तव में राज्यों में इस बारे में एक लगातार प्रतियोगिता है कि प्रत्येक में इस किस्म का एक विश्वविद्यालय होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या केन्द्रीय सरकार या आयोग उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर विश्वविद्यालय को नियमित रूप से कुछ सहायता देगा और यदि हां, तो कितनी राशि देगा ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** आवर्त्तक व्यय एक राज्य सरकारों की जिम्मेवारी पर है । हमने अनावर्त्तक व्यय का ७५ प्रतिशत दिया है और २५ प्रतिशत ऋण के रूप में हैं । भूमि और वर्तमान इमारतें राज्य सरकारों द्वारा दी जायेंगी ।

†**डा० मा० श्री० अणे :** माननीय मन्त्री ने अपने भाषण में बताया था कि आयोग भारत सरकार नहीं हैं । भारत सरकार कुछ और चीज है । यह बात कहने का क्या कारण था ? क्या इन कृषि विश्व-विद्यालयों के बारे में आयोग की ओर से कुछ विरोध हुआ है । यदि नहीं तो उन्होंने यह बात क्यों कही ?

†**श्री स० का० पाटिल :** बात इसलिये कही गई क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों ने मेरे भाषण के बीच में यह कहा कि आयोग ने इस का विरोध किया था । उस समय मेरे सामने यह प्रश्न नहीं था अतः मैंने कहा कि यदि उसने इस का विरोध भी किया है, तो कृषि के दृष्टिकोण से ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें या न किये जायें, इस प्रश्न का फैसला अन्त में भारत सरकार द्वारा किया जाएगा ।

**श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** जिस तरह से रुद्रपुर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना में अमरीका से अच्छा आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है, इसी तरह से जो दो अन्य कृषि विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहे हैं, उनके लिये भी बाहर से कुछ आर्थिक सहयोग प्राप्त होने की सम्भावना है ?

**श्री स० का० पाटिल :** जरूर सम्भावना है । इसका कारण यह है कि दो चार यूनिवर्सिटीज़ जिन के बारे में चर्चा चल रही है, अमरीका के एक्सपर्ट वगैरह उस बातचीत में शामिल हैं । मैं मानता हूं कि सम्भावना जरूर है ।

**श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** जिस तरह से अमरीका से आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है, उसी तरह से किसी अन्य देश से भी आर्थिक सहयोग प्राप्त होने की सम्भावना है ?

**श्री स० का० पाटिल :** अन्य देश का तो मुझे कुछ मालूम नहीं है । लेकिन जो लैंड ग्राण्ट यूनि-वर्सिटीज़ अमरीका में हैं, उनमें एक प्रकार की विशिष्टता है । इसलिये वह गवर्नमेंट इस में दिलचस्पी ले रही हैं ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या सरकार के सामने किसी नगर के पास एक गांव में जहां सब सुविधाएं प्राप्त हों एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** हम गांव या नगर आदि का विचार नहीं करते क्योंकि वहां ऐसी स्थितियां होनी चाहियें, जो ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये अनिवार्य हों, अर्थात् कृषि कालेज, शालिहोत्री कालेज, और अन्य चीजें अर्थात् भूमि आदि । मैं ने कुछ दिन पूर्व अपने भाषण में आनन्द और उसके आस पास के स्थान का उल्लेख किया था, जहां से माननीय सदस्य निर्वाचित हो कर आये हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रुद्रपुर विश्वविद्यालय को कोई अनुदान या सहायता दी है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या कृषि विश्वविद्यालयों को भी सहायता देना इस आयोग का काम है या केवल दूसरी किस्म के विश्वविद्यालयों को ही सहायता देना इस आयोग का काम है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिन सब मदों के लिये अनुदान देता है उनको बताना कठिन होगा, परन्तु जहां तक मुझे पता है, मैं नहीं समझता कि इस आयोग ने रुद्रपुर विश्वविद्यालय को कोई सहायता दी है ।

†श्री राधे लाल व्यास : क्या ये नवीन कृषि विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की श्रेणियां और डाक्ट्रेट की श्रेणियां भी रखेंगी, जैसा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में श्रेणियां हैं ?

†डा० पं० शा० देशमुख : इरादा यह है कि ये विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षा दें, जिसका यह अर्थ है कि उन में ये श्रेणियां होंगी । चूंकि अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा मिले जुले विषय हैं अतः इन में पी० एच० डी० पाठ्यक्रम भी होंगे ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि इन दो यूनिवर्स्टीज़ के लिये कौन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मांग की है ?

डा० पं० शा० देशमुख : काफी स्टेटस ने मांग की है । राजस्थान है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और और स्टेट्स भी इसकी मांग कर रही हैं ।

†श्री स० मो० बनर्जी : इन विश्वविद्यालयों के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अब तक कुल कितनी राशि दी है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : दूसरी योजना अवधि में केवल ५० लाख रुपये देना स्वीकार किया गया था । तथापि संभावना है कि सरकार कुल २ करोड़ रुपया देगी, १.४२ करोड़ रुपये अनुदान के तौर पर और ७३ लाख रुपये ऋण के रूप में । अब तक मेरा विचार है कि केवल ५० लाख रुपये दिये गये हैं ।

डा० गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इन इन स्टेट्स से मांगें आई हैं । मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश से भी ऐसी कोई मांग आई है ? इन विश्वविद्यालयों का जो पाठयक्रम होगा, उस पाठयक्रम को बनाने के लिए क्या कोई विशेषज्ञ नियुक्त हुए हैं और इनका माध्यम कौन सी भाषा रहेगी ?

डा० पं० शा० देशमुख : जहां तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, हमारे पास उसका ब्यौरा है, डिटेल्ज़ हैं क्योंकि यह सब लैंड ग्रांट कालेज जो अमरीका में हैं, उसकी बेसिस पर है । मगर और जो दीगर डिटेल्ज़ हैं, वे तो यूनिवर्स्टी ही तय करेंगी प्रोपोजल्ज़ जब स्टेट गवर्नमेंट्स से आयेंगे, तब तय किये जायेंगे । मध्य प्रदेश से कोई मांग नहीं आई है ।

## हसन-मंगलौर रेल सम्पर्क

+

†*१६४९. { श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को देखते हुए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में मंगलौर पत्तन का विकास वर्ष भर खुला रहने वाले एक मुख्य पत्तन के रूप में करने की योजना को शामिल कर लिया गया है, हसन और मंगलौर के बीच रेल सम्पर्क के निर्माण-कार्य को कब हाथ में लिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस काम के विभिन्न दौरों की समय-सूची तैयार कर ली गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तैयार किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हसन और मंगलौर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण तथा मंगलौर पत्तन परियोजना में की जाने वाली प्रगति के साथ मेल खाने के लिये इसका प्रावस्था भाजन विचाराधीन है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह निश्चित रूप से बताया गया था कि यदि मंगलौर पत्तन का विकास किया जा रहा है तो इस परियोजना को तीसरी योजना में शामिल किया जायेगा। जब माननीय परिवहन तथा संचार मंत्री ने यह कहा था कि मंगलौर पत्तन का तीसरी योजना में विकास किया जायेगा, तो विचाराधीन क्या बात है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हमें जो कुछ बताया गया है मैं उसे पढ़ सकता हूं। यह फैसला किया गया है कि मंगलौर पत्तन परियोजना तीसरी योजना में शामिल की जायेगी किन्तु परियोजना में आगे तभी बढ़ा जा सकता है जब कुछ प्रविधिक जांच पूरी कर ली जायें। हसन से मंगलौर तक की रेलवे लाइन भी रेलवे योजना में शामिल की जायेगी परन्तु योजना अवधि में इस का प्रवस्था भाजन तथा लाइन के लिये उपबंध ये पत्तन परियोजना में की जाने वाली प्रगति पर निर्भर होंगे। कार्य के प्रावस्था भाजन की कोई समय-अनुसूची अभी तक निर्धारित नहीं की गई हैं। यह विभिन्न सम्बद्ध प्राधिकारियों अर्थात् परिवहन मंत्रालय, योजना आयोग आदि के परामर्श से यथासमय किया जायेगा।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : योजना आयोग ने क्या आवंटन किया है ? क्या कोई और आवंटन किया गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी, नहीं और अधिक आवंटन नहीं किया गया है।

†**श्री शिवनंजप्पा** : हसन और मंगलौर के बीच किन प्रसिद्ध नगरों को मिलाया जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अन्तिम स्थान सर्वेक्षण किया जाना है और तभी हमें मालूम होगा कि लाइन किस दिशा में जाती है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : योजना सम्बन्धी सलाहकार समिति में, उन्होंने विभिन्न आवंटनों को दर्शाने वाला एक टिप्पण परिचालित किया है, जिस में रेलवे को २५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी गई है। इस अतिरिक्त राशि की दृष्टि से किन लाइनों को प्राथमिकता दी गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंगलौर-हसन रेलवे लाइन शामिल है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं प्राथमिकता के बारे में जानना चाहता हूं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : योजना आयोग ने यह किया है कि निम्न नई लाइनों को तीसरी योजना में शामिल करने के लिये विचार किया जायेगा :

१. हसन–मंगलौर, २. बंगलौर-सलेम, ३. पानवेल–कारपाडा।

†**श्री आचार** : क्या हसन-मंगलौर लाइन तीसरी योजना में शामिल है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैंने कहा है कि इसे शामिल किया जायेगा, परन्तु इस का प्रावस्था भाजन पत्तन के विकास पर निर्भर होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री आचार : मैं समझ नहीं सका ।

†अध्यक्ष महोदय : इसे शामिल तो किया जायेगा परन्तु इस का प्रावस्था भाजन पत्तन के विकास पर निर्भर होगा ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : यह १२३ मील लम्बी लाइन है । क्या कोई अनुमान लगाया है कि यह आरम्भ किये जाने के बाद कब तक पूरी हो सकेगी ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : अनुमान किये जाते हैं । लम्बाई १२३ मील मीटर गेज और लगभग १३७ मील ब्राड गेज है । मीटर गेज का अनुमान १०.२४ करोड़ रुपये है यदि यह ब्राड गेज है तो अनुमान १५.७३ करोड़ रुपये है । परन्तु इसे मीटर गेज लाइन बनाया जायेगा ।

†श्री दी० चं० शर्मा : अन्य लाइनों की आवश्यकता के अतिरिक्त इस लाइन के बारे में बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और . . . .

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । वह अधिक प्रश्न पंजाब के बारे में पूछें । अगला प्रश्न ।

## दिल्ली में पानी के दूषित होने की रोकथाम

†*१६५०. श्री गोरे : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेड्डी समिति के सदस्यों ने दिल्ली नगर के प्राधिकारियों को यह चेतावनी दी है कि उनकी सिफारिशों, विशेषत: गन्दे पानी के मार्ग को बारापुला नाला के साथ जोड़ने सम्बन्धी सिफारिशों को क्रियान्वित न किया गया तो पीलिया रोग जैसी महामारियों के किसी भी समय, विशेषत: आगामी वर्षा ऋतु के पहले कुछ सप्ताहों में, फैलने का खतरा है ; और

(ख) रेड्डी समिति की सिफारिशों को देखते हुए, दिल्ली में पानी को दूषित होने से बचाने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं श्रीमान । रेड्डी समिति ने नदी में गंदगी के डाले जाने को रोकने के लिये कुछ कार्यों की सिफारिश की है, परन्तु उसने बारापुला नाला के साथ सीवर का निश्चित रूप से उल्लेख नहीं किया है और न ही पीलिया जैसी महामारी फैलने के विरुद्ध चेतावनी दी है ।

(ख) नदी में गंदगी के गिरने को रोकने के लिये दिल्ली नगरपालिका निगम ने यह काम हाथ में लिये हैं :—

(१) दिल्ली गेट-रिंग रोड सीवर का निर्माण । इस काम के चार महीने में पूरा होने की आशा है ।

(२) रिंग रोड पर पम्पिंग स्टेशन । इस काम के जून, १९६१ तक पूर्ण होने की आशा है ।

(३) रिंग रोड से हाईलैवल ग्रेविटेशन डक्ट तक राइजिंग मेन। यह कार्य पूर्ण हो चुका है ।

(४) ओखला में शुद्धिकरण संयंत्र का विस्तार । इस काम के जून, १९६१ तक पूर्ण होने की आशा है ।

(५) पुराने और नये सीवरों के बीच क्रास कनैक्शन । काम प्रगति पर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री गोरे : रेड्डी समिति ने बताया था कि चूंकि यह बड़ा पेचीदा मामला है। काम का समन्वय करने और इसे यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये। सरकार ने इस कार्य के लिये, कि गृह-कार्य मंत्रालय इस काम का निरीक्षण करे क्योंकि रेड्डी समिति के प्रतिवेदन में इस आशय की सिफारिश की गई थी, क्या ठोस कार्यवाही की है ?

†श्री करमरकर : ये सब विभिन्न मंत्रालयों और सम्बद्ध प्रशासनों के बीच समन्वय का परिणाम है। शीघ्रता से कार्यान्वित किये जाने के बारे में मैं समझता हूं कि मैंने प्रश्न के अपने उत्तर के उत्तरार्द्ध में पढ़ा था, उस से पता चलता है कि उसमें काफी तेजी है।

†श्री गोरे : क्या सरकार के पास निगम द्वारा किये जाने वाले कार्य के अतिरिक्त यमुना नदी में गिरने वाली गन्दगी को रोकने का कोई स्वतंत्र तंत्र है ?

†श्री करमरकर : भारत सरकार का भी इससे सम्बन्ध है। जैसा कि मैंने कहा, इसे ऊंचे स्तर पर उठाया जा रहा है, दिल्ली प्रशासन को दिलचस्पी है और भारत सरकार को भी दिलचस्पी है। परन्तु स्वभावतः इस काम से दिल्ली नगरपालिका निगम निकाय का सम्बन्ध होने के कारण यह निगम ही मूलतः इस काम को करता है।

†श्री आसर : क्या यह सच है कि निगम द्वारा आरम्भ किया गया कुछ काम बन्द कर दिया गया है और सरकार ने काम आरम्भ करवाने के लि` क्या कार्यवाही की है ?

†श्री करमरकर : क्या काम रुका है ?

†श्री आसर : निगम ने अब कुछ काम बन्द किया है, कुछ काम बारापुल्ला के बारे में है।

†श्री करमरकर : मुझे किसी काम के बन्द होने का पता नहीं है। यदि मा० सदस्य को कोई विशेष जानकारी है, तो मैं उसे लेना चाहता हूं। और यदि वह मुझे सूचना देंगे तो मैं उसकी जांच करवाऊंगा। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, कोई काम बन्द नहीं किया गया है। वास्तव में यह पूरा किया जा रहा है।

†श्री गोरे : जहां तक मुझे मालूम है, बारापुल्ला नाला का काम पिछले छः महीनों से रुका हुआ है। मा० मंत्री कृपया जांच कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं। ग्रीष्म ऋतु में यमुना में प्रति दिन १००० क्यूसेक जल के कुल प्रवाह में लगभग २० प्रतिशत या अधिक गन्दगी मिल जाती है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कब काम को पूरा करने की आशा करती है। अन्यथा पहले की तरह फिर दूसरी विपत्ति आ जायेगी।

†श्री करमरकर : जहां तक मैं समझ सकता हूं कोई विपत्ति नहीं होगी। जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा।

### भाखड़ा नियन्त्रण बोर्ड

+

†*१६५१. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० सिं० दौलता :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब के भूतपूर्व कानूनी सलाहकार, श्री पा० इस्माइल,

†मूल अंग्रेजी में

द्वारा अपनी पदावधि में दी गयी इस राय की ओर दिलाया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद ५४ अथवा किसी अन्य विधि के अन्तर्गत भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड का कोई संवैधानिक अथवा वैधानिक अस्तित्व नहीं है और इसका सम्पूर्ण व्यय अनधिकृत है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

**†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) नहीं श्रीमान् । तथापि केन्द्रीय सरकार को विदित है कि भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड केवल एक सलाहकार निकाय है और सांविधानिक या वैध निकाय नहीं है ।

भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस रूप में कोई व्यय नहीं किया जाता क्योंकि भाखड़ा परियोजना को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी संबद्ध राज्य सरकार की है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**†श्री दी० चं० शर्मा :** यदि भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड एक सलाहकार निकाय है और उसे कोई धन खर्च करने की की शक्ति नहीं है, तो किसी वैध या सांविधानिक अभिकरण के द्वारा भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड का धन खर्च किया जाता है ?

**†श्री हाथी :** इस नियंत्रण बोर्ड की रचना इस प्रकार है : सरकारों के संबद्ध शासी और विभिन्न विभागों के सचिव तथा केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय का सचिव इस नियंत्रण बोर्ड में होते हैं । बोर्ड फैसले करता है परन्तु वास्तविक आदेश राज्य सरकारों द्वारा जारी किये जाते हैं, जहां सिंचाई सचिव और वित्त सचिव सदस्य होते हैं । प्रथा यह है कि बोर्ड के फैसले राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किये जाते हैं । अतः अन्त में राज्य सरकार आर्डर देती है और ठेके देती है ।

**†श्री दी० चं० शर्मा :** सिंचाई मंत्रालय ने ऐसे निकायों, भाखड़ा और अन्य निकायों के नियंत्रण के लिये क्या विभिन्न व्यवस्थाएं सोची हैं और इसका क्या कारण है कि भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड केवल सलाहकार निकाय है और इसका क्या कारण है कि अन्य विद्युत् परियोजनाओं के लिये सरकार ने कुछ दूसरी किस्म की व्यवस्थाएं की है ?

**†श्री हाथी :** दूसरी किस्म की व्यवस्था केवल दामोदर घाटी निगम की है । यह निगम संसद् की एक संविधि के द्वारा स्थापित किया गया था । अन्य सब बोर्ड भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड के समान सलाहकार निकाय हैं । भाखड़ा के बारे में एक से अधिक राज्य हैं । हीराकुड के लिए केवल एक राज्य है । फिर भी वहां नियंत्रण बोर्ड है । नियंत्रण बोर्डों का उद्देश्य काम को शीघ्र करवाना है, परन्तु निर्णय विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा इकट्ठे बैठ कर किये जाते हैं । तब निर्णय संबद्ध विभागों द्वारा कार्यान्वित किये जाते हैं ।

**†श्री दी० चं० शर्मा :** यह बड़ी विचित्र बात है । यदि भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड शीघ्रतापूर्वक काम करवाने में समर्थ है तो क्या कारण है कि वही व्यवस्था अन्य सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को क्यों नहीं दी गई ? यदि ऐसी बात नहीं, और

†मूल अंग्रेजी में

यदि यह केवल एक सलाहकार निकाय है और कोई राशि खर्च नहीं कर सकता, तो इसका क्या कारण है कि अन्य संविहित व्यवस्थाएं भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड पर क्यों लागू नहीं की गई हैं?

†**श्री हाथी :** नियंत्रण बोर्ड के अतिरिक्त केवल एक संविहित बोर्ड है, दामोदर घाटी निगम। और कोई संविहित निकाय नहीं है। वे सब भाखड़ा बोर्ड के ढांचे पर हैं और सब कुशलतापूर्वक चल रहे हैं, क्योंकि यदि एक से अधिक राज्यों का संबंध होता है, तो राज्यों के प्रतिनिधि बोर्ड में होते हैं। बोर्ड निर्णय देता है जिन्हें राज्य सरकारें कार्यान्वित करती हैं।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या मैं जान सकता हूं कि भाखड़ा बांध पर अब तक कुल कितना धन व्यय हो चुका है, और यह धन आरम्भ में जितना आंका गया था उस से कितना अधिक है, और कितना और अधिक व्यय होने की संभावना है?

†**श्री हाथी :** यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। वह कुल व्यय जानना चाहते हैं। यह इस प्रश्न में नहीं आता।

**श्री विभूति मिश्र :** अभी मंत्री जी ने बतलाया कि विभिन्न विभागों के अफसर इकट्ठे होते हैं तो उस के बाद जो बोर्ड बनता है वह एडवाइजरी हो जाता है। तो यह जो एडवाइजरी बोर्ड काम करता है यह केवल एडवाइस देने का ही काम करता है। वही अफसर जब अलग अलग काम करते हैं तो उनको ताकत रहती है। मैं जानना चाहता हूं कि आप वैसा ही बोर्ड क्यों नहीं बनाते जैसा कि डी० वी० सी० के लिए बंगाल और बिहार का बनाया है ताकि उसको काम करने की ताकत भी रहे?

†**श्री हाथी :** हमारा अनुभव यह है कि बोर्ड बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं—चंबल नियंत्रण बोर्ड, कोसी नियंत्रण बोर्ड, हीराकुड नियंत्रण बोर्ड और भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या यह सच है कि प्रविधिक मामलों और निर्माण संबंधी मामलों के लिये एक सलाहकार बोर्ड है? यदि हां, तो उस बोर्ड के क्या कृत्य हैं और नियंत्रण बोर्ड के क्या काम हैं? क्या उनका प्रशासनिक मामलों से भी संबंध होता है?

†**श्री हाथी :** सलाहकार बोर्ड का उद्देश्य केवल प्रविधिक मामलों पर सलाह देना है, जब कभी प्रविधिक महत्व का कोई प्रश्न आता है, तो वह सलाहकार बोर्ड को भेजा जाता है। नियंत्रण बोर्ड महीने दर महीने लगातार बैठकें करता है, कार्यान्विति की देख भाल करता है और निर्णय करता है, जिनको राज्य सरकारें कार्यान्वित करती हैं।

## बर्मा से चावल

+

†*१६५२. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

**क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-बर्मा करार के अन्तर्गत बर्मा से चावल का संभरण जारी है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या चीन और बर्मा के बीच अभी हाल में हुए समझौते का, जिस के अन्तर्गत बर्मा चीन को चावल का संभरण करेगा, भारत को चावल के संभरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अनुमान किया जाता है कि बर्मा सरकार ने नवम्बर १९६० में भारत सरकार के साथ २ लाख टन चावल के संभरण के लिये समझौता करते समय अपने अन्य वचनों का ध्यान रखा था और संविदागत मात्रा के संभरण में कमी नहीं होगी।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या बर्मा के साथ किया गया वचन जारी है ? क्या इस का पालन किया जा रहा है ?

†**श्री अ० म० थामस** : हमें आशा है कि बर्मा सरकार वचन का पालन करेगी। अब तक हम ने इस संविदागत मात्रा में से लगभग ३२००० टन का आयात किया है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : बर्मा ने कितना चावल देने का वचन दिया था ? क्या संभरण उस के अनुसार किया जा रहा है या यह लक्ष्य से कम है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह सच है कि १९५६ के दीर्घकालीन करार द्वारा बर्मा सरकार द्वारा संविदागत मात्रा के बारे में कुछ कमी है । उन्होंने २० लाख टन का संविदा किया है किन्तु वे केवल १७ लाख टन से कुछ अधिक दे सके हैं। इस बार उन्होंने चालू वर्ष में २ लाख टन और अवशिष्ट मात्रा में से ५०००० टन देने का संविदा किया है ताकि यह मिल कर २½ लाख टन हो जाए जिस में से हम ३२००० टन का आयात कर सकें हैं। आशा है कि बर्मा सरकार हमें २½ लाख टन से बकाया चावल दे सकेगी।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : बर्मी चावल का भाव क्या है ?

†**श्री अ० म० थामस** : एस० एम० एस० सफेद चावल का मूल्य ३३ बर्मी पौण्ड और पूरे उबले चावल का ३२–१२–० बर्मी पौण्ड हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : बर्मी चावल के आयात में काफी कमी रही है, मैं समझता हूं दो अवसरों पर और इस वर्ष भी । उपमंत्री ने यह कैसे सोचा है कि पिछले साल में जो कमी हुई है वह इस वर्ष पूरी कर दी जाएगी।

†**श्री अ० म० थामस** : मैं ने यह नहीं कहा कि लगभग ३ लाख टन की कमी पूरी की जाएगी । मैंने केवल इतना कहा है कि कमी में से ५०००० टन दिया जाएगा और २ लाख टन और दिया जाएगा जो इस वर्ष में दिया जाना है। यह पिछले वर्ष की तुलना में कम मात्रा है । यह प्रतिवर्ष ३ लाख टन और ५ लाख टन के बीच थी।

†**श्री विश्वनाथ राव** : देश में खुराक की अच्छी हालत को ध्यान में रखते हुए, अब बर्मा से चावल मंगवाने की क्या जरूरत है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स० का० पाटिल)** : जैसा कि मेरे साथी ने कहा हम ५ लाख टन का आयात करते रहे हैं अर अब हम ने इसे घटा कर २ लाख टन कर दिया है । यह हमारी बेहतर हालत का द्योतक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

### नहर संख्या ८ को मोड़ने के बारे में दिल्ली-पंजाब विवाद

+

†*१६५३. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नहर संख्या ८ को मोड़ने के बारे में दिल्ली-पंजाब विवाद को सुलझाने के लिए, उनकी अभी हाल की चंडीगढ़--यात्री के दौरान, पंजाब सरकार के साथ हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला है ;

(ख) क्या इस बारे में अन्तिम फैसला हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) चंडीगढ़ में चर्चाओं के पश्चात् मामला पुनः किये गये निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अग्रेतर परीक्षण के लिये प्रविधिक विशेषज्ञों को सौंप दिया गया ।

(ख) अभी तक नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** इतने अधिक विलम्ब को ध्यान में रखते हुए क्या वर्षा ऋतु आने के पहले नहर संख्या ८ का मार्ग बदलने की कोई संभावना है ?

†**श्री हाथी :** हां, श्रीमान् ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या इस बैठक में इस नहर की टेल पर एक बांध बनाने का भी कोई प्रस्ताव था, ताकि महेन्द्रगढ़ और गुड़गांव जिलों के सूखे क्षेत्र को जल दिया जा सके ?

†**श्री हाथी :** कोई बांध विचाराधीन नहीं है । केवल नहर के किनारों पर बांध बनाये जायेंगे ।

### गाड़ियों में तीसरी श्रेणी के यात्रियों के सोने के लिये डिब्बे

†*१६५४. **श्री जीनचन्द्रन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लम्बे सफर वाली सभी गाड़ियों में तीसरी श्रेणी के यात्रियों के सोने के लिए डिब्बों की व्यवस्था की गयी है ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा कब किया जायेगा ; और

**(ग)** क्या सोने की सुविधा वाले सवारी डिब्बों के उत्पादन की मौजूदा दर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) से (ग). ब्राड गेज पर गाड़ियों के ३० जोड़ों में से २८ में सोने के डिब्बे लगाये गये हैं और मीटर गेज पर गाड़ियों के सब जोड़ों

---

†मूल अंग्रेजी में

में से, जो ८०० किलोमीटर से अधिक चलते हैं, ८ में सोने के डिब्बे लगाये गये हैं, और प्रत्येक गाड़ी में एक डिब्बा होगा। शेष गाड़ियों में लगभग एक महीने के अन्दर इस सुविधा की व्यवस्था किये जाने की आशा है ।

**†श्री जीनचन्द्र:** क्या सरकार कोचीन एक्सप्रेस जैसी सब रात्रि गाड़ियों में जो सारी रात्रि चलती हैं। सोने के डिब्ब लगाएगी ?

**†श्री शाहनवाज खां :** प्रारम्भ में, इरादा उन गाड़ियों में सोने के डिब्बे लगाने का है जिन्हें ब्राड गेज पर ५०० मील से अधिक चलना है। हम अनुभव करते हैं कि मीटर गेज पर ३०० मील के लि सोने के डिब्बे होने चाहियें। हम इस समय इन लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं ।

**†श्री जीनचन्द्रन:** बंगलौर और मद्रास के बीच दूरी केवल २०० मील की है और आप सोने के डिब्बे लगा रहे हैं, किन्तु कोचीन ऐक्सप्रेस में दूरी ४५० मील की है ।

**†श्री शाहनवाज खां:** सोने के डिब्बे कम दूरी के लिये भी लगाये जा सकते हैं, किन्तु लोगों को उन के लिये प्रभार देना होग । परन्तु जहां निशुल्क-सोने के स्थान का प्रबन्ध होगा, वहां दूरी मीटर गेज पर ३०० मील और ब्राड गेज पर ५०० मील होगी ।

**†श्री हेडा :** क्या सरकार ने मीटर और ब्राड गेज लाइनों पर सोने के डिब्बों की आवश्यकता का अनुमान लगा लिया है और यदि हां, तो उनके पास डिब्बे आवश्यकता से कितने कम हैं ?

**†श्री शाहनवाज खां :** यह एक सुविधा प्रदान करता है। कोई निश्चित अनुमान नहीं किया गया है । हम अनुभव करते हैं कि ब्राड गेज पर ५०० मील से अधिक यात्रा करने वालों और मीटर गेज पर ३०० मील से अधिक यात्रा करने वालों को निशुल्क सोने का स्थान दिया जाना चाहिये ।

**†डा० मा० श्री अणे :** मद्रास और दिल्ली के बीच डी लक्स गाड़ी में, पहली श्रेणी का डिब्बा भी लगा होता है किन्तु कोई नौकरों का डिब्बा नहीं लगा होता, जिस के परिणामस्वरूप नौकरों को न साधारण डी लक्स गाड़ी में स्थान मिलता है और न ही सोने के डिब्बों में और उनके लिये गाड़ी में कहीं कोई जगह नहीं होती । क्या सरकार इस बात पर ध्यान देगी और सोने वाले डिब्बों में उन लोगों के लिये किसी स्थान का कुछ प्रबन्ध करेगी ?

**†श्री शाहनवाज खां :** हां, श्रीमान् । मैं इस मामले की पड़ताल करवाऊंगा।

**†श्री तंगामणि :** मा० उपमंत्री ने कहा कि मीटर गेज में ३०० मीलों के लिये सोने के डिब्बे होने चाहियें । भूतपूर्व एस० आई० आर० में चार ऐक्सप्रेस गाड़ियां थी और अब केवल एक में सोने के डिब्बे हैं। अन्य तीन ऐक्सप्रेस गाड़ियों को भी ३०० मील से अधिक जाना होता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन तीन गाड़ियों में भी सोने के डिब्बों की व्यवस्था की जायेगी ।

**†श्री शाहनवाज खां :** हां श्रीमान् । जितनी जल्दी सोने के डिब्बे मिल जाएंगे हम लगा देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

### स्कूल भोजन कार्यक्रम

†*१६४१. **श्री कालिका सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्कूल भोजन कार्यक्रम के, जिसकी सिफारिश स्कूल स्वास्थ्य समिति द्वारा की गयी थी, मंजूर होने और अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो विद्यार्थियों को संभवतः किस वर्ष से यह लाभ प्राप्त होना प्रारम्भ हो जायेगा ;

(ग) इस भोजन में क्या चीजें होंगी और इस कार्यक्रम पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(घ) इस कार्यक्रम के कालेजों में कब लागू किये जाने की संभावना है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर):** (क) से (घ). स्कूल स्वास्थ्य समिति का अन्तिम प्रतिवेदन प्रतीक्षित है । सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी और उचित कार्यवाही करेगी। कुछ राज्यों में जैसे, मद्रास, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में और संघ-राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्कूल के बच्चों को मध्यान्ह भोजन देने की सीमित योजना चल रही है ।

### ताम्बरम्-विल्लुपुरम लाइन का विद्युतीकरण

†*१६४७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे द्वारा ताम्बरम–विल्लुपुरम मार्ग पर बिजली से रेलगाड़ियां चलाने की व्यवस्था करने के लिए विश्व भर से टेंडर मांगे गये हैं ;

(ख) इस योजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है ;

(ग) इन टेंडरों के पहुंचने की अन्तिम तिथि क्या है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) ४.६३ करोड़ रुपये ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

### कलकत्ता पत्तन

†*१६४८. { **श्री जगदीश अवस्थी :**
　　　　{ **श्री मुहम्मद इलियास :**

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन पर १९५९–६० में जहाजों से खाद्यान्न उतारने और कोयला लादने की प्रति दिन प्रति जहाज दर, १९५८–५९ की तुलना में कम हो गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सामान को लादने और उतारने की गति में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० पं० सुब्बरायन्)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) वर्ष १९५८-५९ की अपेक्षा वर्ष १९५९-६० में खाद्यान्न, कोयला और अयस्क के संभालने सम्बन्धी आंकड़ों में कमी के कारण निम्न प्रकार हैं :

**खाद्यान्न :**

(१) परिवहन शेडों से खाद्यान्न निकाल में विलम्ब ।

(२) वर्ष १९५९-६० में वर्ष १९५८-५९ की अपेक्षा अधिक जहाजों में कम मात्रा में खाद्यान्न आया ।

(३) ज्वार-भाटा के समय जहाजों का इकट्ठा हो जाना ।

**कोयला :**

(१) कोयला वैगनों का अव्यवस्थित ढंग से आना ।

(२) भरे हुए खुले वैगनों की कमी के कारण कोयला बर्थ संख्या १८ में यंत्रीकृत कोयला संयंत्र के पूरे इस्तेमाल की असमर्थता ।

(३) कोयला खानों का एक स्थान पर होना ।

(४) भारवहन प्रतिबन्ध जिनसे जहाजरानी की तिथि पर असर पड़ता है ।

**अयस्क :**

(१) नौवहन के लिये खानों से पत्तन तक अयस्क के परिवहन के लिये वैगनों का अपर्याप्त और अनियमित संभरण ।

(२) पत्तनों तक अयस्क वैगनों का अनियमित रूप से पहुंचना जिसके कारण कई अयस्क जहाजों को कम माल के साथ जाने के लिये इन्तजार करना पड़ा ।

(३) अयस्क वैगनों के अपर्याप्त संख्या में आने के कारण पर्याप्त मात्रा में कुशन स्टाक बनाने में असमर्थता ।

**स्थिति को सुधारने के लिये की गई कार्यवाही**

खाद्यान्न के मामले में सड़क और रेल के जरिये परिवहन शेडों से खाद्यान्न के तेजी से निकालने के लिये दिन प्रति दिन निरन्तर ध्यान रखा जाता है । खाद्य विभाग को सहायता देने के लिये पत्तन आयुक्तों ने पत्तन क्षेत्रों में सभी उपलब्ध भंडार स्थानों को उनको किराये पर दे दिये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्यान्न और कोयला और अयस्क के लिये खुले वैगनों समेत पर्याप्त संख्या में वैगनों के संभरण के लिये पत्तन समेकन समिति की बैठकों के जरिये या अन्य प्रकार से रेलवे पर निरन्तर जोर दिया जा रहा है ।

स्टीमर एजेंटों से कहा गया है कि जहां तक हो सके वे जहाजों का 'बंचिंग' न होने दें ।

पत्तन आयुक्तों के पास उपलब्ध जहाजों द्वारा लगातार तलकर्षक करके नदी की गहराई को सुधारने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है।

पत्तन की समूची स्थिति का एक उच्च स्तरीय पत्तन समेकन समिति द्वारा पुनरविलोकन किया जा रहा है जिसमें जहाज मालिकों, रेलवे, सीमा-शुल्क, खाद्य-विभाग, राज्य व्यापार निगम, कोयला नियंत्रक, लोहा और इस्पात नियंत्रक, आयात और निर्यात नियंत्रक आदि के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इस समिति की सिफारिशों को, जहां कहीं संभव होता है, क्रियान्वित किया जाता है ।

**अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक सम्मेलनों में भारतीय पदाधिकारी**

†१६५५. { **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
**श्री बहादुर सिंह :** }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने कितने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक सम्मेलनों में भाग लिया ;

(ख) इन सम्मेलनों में शामिल होने के लिए नियुक्त किये गये पदाधिकारियों के पद क्या थे ;

(ग) ये सम्मेलन किन किन देशों में हुए ; और

(घ) इन पदाधिकारियों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गयी ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन्) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८२]**

**पटसन में आत्म निर्भरता**

†१६५६. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे पटसन के उत्पादन में आत्म-निर्भर बनने के लिये कोई योजना अथवा कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी, हां । तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल के लिये ६५ लाख गांठें पटसन की और १० लाख गांठें मेस्टा की लक्ष्य है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिये गहन योजनाओं की व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं में सुधरी हुई किस्म के बिजों का संभरण, उर्वरकों का वितरण, अच्छी किस्म के कृषि तरीकों को अपनाना और रेशे की किस्म सुधारने के लिये अच्छी तन्तुवेचन सुविधायें देना शामिल हैं।

**दिल्ली जंक्शन से गाड़ियों का देर से चलना**

†३५७२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ में दिल्ली जंक्शन स्टेशन से मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां कितने दिन देर से रवाना हुईं ;

(ख) देर से चलने का न्यूनतम और अधिकतम समय क्या है ; और

(ग) दिल्ली जंक्शन स्टेशन से गाड़ियों के ठीक समय पर चलने में सुधार के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) वर्ष १९६०-६१ में दिल्ली जंक्शन स्टेशन से मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां ७४९ अवसरों पर देर से रवाना हुईं।

(ख)

| न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|
| ५ मिनट | २७५ मिनट |

(ग) दिल्ली जंक्शन स्टेशन से यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ियों के समय पर चलने को सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है। कर्मचारियों पर समय पर यात्री गाड़ियां चलाने के महत्व के बारे में जोर डाला जा रहा है। उस विलम्ब के बारे में, जिसको टाला जा सकता है, जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाती है।

इस के अतिरिक्त दिल्ली मेन स्टेशन से गाड़ियों के ठीक समय पर चलने के लिये निम्नलिखित पग उठाये गये हैं।

(१) गाड़ियों के आने और जाने के लिये और रेक्स ने संधारण के लिये अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये दिल्ली यार्ड का नव-निर्माण किया जा रहा है।

(२) दिल्ली जंक्शन पर गाड़ियों के जल्दी जल्दी पहुंचने और वहां से रवाना होने के लिये दिल्ली-गाजियाबाद सेक्शन पर इन्टरमीडियेट ब्लाक होम सिगनलों की व्यवस्था की गयी है।

(३) दो अतिरिक्त बड़ी लाइन के प्लैटफार्म बनाये गये हैं।

(४) दिल्ली-सब्जी मंडी, दिल्ली-दिल्ली किशनगंज, दिल्ली-नई दिल्ली के बीच सतत ट्रैक सर्किटिंग लगाये गये हैं।

(५) पहले से ही सिगनल की पूर्व-चेतावनी देने के लिये सदर केबिन द्वारा नियंत्रित सेक्शन पर तीन अर्ध-स्वचालित आस्पेक्ट सिगनल लगाये गये हैं।

**पंजाब में परिवार नियोजन**

†३५७३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के महेन्द्रगढ़ जिले में वर्ष १९५६-६१ की अवधि में कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये और उन स्थानों के क्या नाम हैं—जहां पर वे केन्द्र खोले गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर): वर्ष १९५६–६१ की अवधि में पंजाब के महेन्द्रगढ़ जिले में नारनौल और बोंड कलां में एक शहरी और एक ग्रामीण—दो परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये हैं ।

**पंजाब में चीनी के कारखाने**

†३५७४. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजितसिंह सरहदी :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में सहकारी क्षेत्र में चीनी के कितने कारखाने स्थापित किये गये और उनकी स्थापना के स्थान, क्षमता और प्राक्कलित लागत का क्या ब्यौरा है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८३]

**पंजाब को चीनी का सम्भरण**

†३५७५. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में केन्द्र द्वारा पंजाब सरकार को कितनी चीनी का संभरण किया गया ;

(ख) यह चीनी किस मूल्य पर दी गयी ; और

(ग) पंजाब सरकार ने उपभोक्ताओं को यह किस मूल्य पर बेची ?

†खाद्य तथा कृषि उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस): (क) नवम्बर, १९६० से मार्च १९६१ तक ५४,३६१ टन चीनी का आवंटन किया गया ।

(ख) यह चीनी पंजाब में कारखानों से कारखाने से बाहर के नियंत्रित मूल्य ३८.३५ रुपये प्रति मन और उत्तर प्रदेश के कारखानों से आई० एस० डी०–२९ श्रेणी की चीनी ३७.८५ रुपये प्रति मन के हिसाब से दी गयी । अन्य श्रेणियों के लिये निर्धारित विभिन्न मूल्य हैं ।

| | |
|---|---|
| (ग) आई०एस०एस०डी–२९ और निम्न श्रेणियां | १.१३ रुपये प्रति किलोग्राम |
| आई०एस०एस०श्रेणी डी–२९ से बढ़िया | १.१८ रुपये प्रति किलोग्राम |
| उपभोक्ताओं और संस्थानों को उनके सामान्य अभ्यंश से अधिक अतिरिक्त संभरण | १३-११-१९६० तक १.२० रुपये प्रति किलोग्राम<br>१४–११–१९६०से ११–१–६१ तक १.२८ रुपये प्रति किलोग्राम । इसके बाद उच्च मूल्य पर अतिरिक्त मात्रा की बिक्री की पद्धति को समाप्त कर दिया गया । |

†मूल अंग्रेजी में

## औरंगाबाद स्टेशन का नव-निर्माण

†३५७६. श्री पांगरकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के मनमाड-काचिगडा सेक्शन पर औरंगाबाद स्टेशन के नव-निर्माण की कोई प्रस्थापनायें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और उस पर कितनी लागत आयेगी ?

†रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्थापना को अन्तिम रूप देते ही यह कार्य शीघ्र आरम्भ किया जायेगा । इस कार्य की अनुमानित लागत ८०,००० रुपये है ।

## डाक तथा तार घर

†३५७७. श्री पांगरकर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में (जिले वार) वर्ष १९६० में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल के अन्त तक कितने डाक घर तथा तार घर खोले गये ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन्) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८४]

## बम्बई-आगरा सड़क

†३५७८. श्री पांगरकर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गोदावरी नदी पर एक नया पुल बना कर नासिक में बम्बई-आगरा सड़क को मोड़ने में अब तक क्या प्रगति की गयी है ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री लाल बहादुर) : व्यपवर्तन के लिये अभी तक आधा मिट्टी का काम और पत्थरों को इकट्ठा करने का काम पूरा हुआ है ।

इस समय पुल की नींव के लिये दो भारावलम्ब और छः प्रस्तम्भ खोदने का काम जारी है । पुल के निर्माण के लिये उस स्थान पर सामान इकट्ठा करने का काम आरम्भ कर दिया गया है ।

## मध्य रेलवे पर स्टेशनों के नामों का बदला जाना

†३५७९. श्री पांगरकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे पर कुछ स्टेशनों के नाम बदले गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन स्टेशनों के, परिवर्तित नाम सहित, क्या नाम हैं ?

†रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) जी, हां । एक विवरण संलग्न है ।

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

१–१–१९५९ से २८–२–१९६१ की अवधि में मध्य रेलवे पर रेलवे स्टेशनों के नाम में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये :

| क्रम संख्या | स्टेशन का पुराना नाम | स्टेशन का नया नाम | तिथि जिससे यह परिवर्तन आरम्भ हुआ |
|---|---|---|---|
| १ | सूपा | चरखरी रोड | १–२–१९५९ |
| २ | अमूला | अमला खुर्द | १–८–१९५९ |
| ३ | एलोरा रोड | पोतूल | १–२–१९६० |

रेलवे आउट एजेन्सियां

†३५८०. **श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में अब तक बिहार में कितनी रेलवे आउट-एजेन्सियां खोली गयी हैं ; और

(ख) वर्ष १९६१–६२ में कितनी नयी आउट-एजेन्सियां खोली जायेंगी ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें रामस्वामी)** : (क) जी, कोई नहीं।

(ख) बिहार में १७ स्थानों पर आउट-एजेन्सियां खोलने की प्रस्थापनाओं की जांच की जा रही है। परन्तु इस समय निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ये १७ आउट एजेन्सियां वर्ष १९६१–६२ में खोली जायेंगी या कुल १७ एजेन्सियां ही खोली जायेंगी। यह भी संभव है कि इस वर्ष के दौरान अन्य स्थानों पर भी आउट-एजेन्सियां खोली जायें।

दक्षिण रेलवे पर स्टेशनों का विद्युतीकरण

†३५८१. **श्री नारायण स्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलवे स्टेशनों के क्या नाम हैं जिनका दक्षिण रेलवे के मदुरै-बोदिनर्यक्कनूर सेक्शन पर वर्ष १९६०–६१ में विद्युतीकरण किया गया है ; और

(ख) वर्ष १९६१–६२ में विद्युतीकृत किये जाने वाले स्टेशनों के क्या नाम हैं ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) दक्षिण रेलवे के मदुरै-बोदिनर्यक्कनूर सेक्शन पर ११ स्टेशन हैं जिनमें से मदुरै, उसिलमपट्टी, टेनी और बोदिनर्यक्कनूर स्टेशनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। अन्द्रीपट्टी स्टेशन के विद्युतीकरण का कार्य वर्ष १९६०–६१ के कार्यक्रम में शामिल किया गया है और कार्य प्रगति पर है।

(ख) इस सेक्शन पर बाकी स्टेशनों के विद्युतीकरण के प्रश्न की उचित दरों पर स्थानीय संसाधनों से बिजली मिलने पर जांच की जावेगी।

†मूल अंग्रेजी में

## अम्बला में ऊपरी पुल

†३५८२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बाला ऊपरी पुल योजना को राज्य सरकार के साथ मिल कर अन्तिम रूप देने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इसके कब तक पूरा किये जाने की आशा है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). इस कार्य के रेलवे के भाग के वास्तविक-सम्पादन का कार्य अर्थात्, पुल रोक दिया गया है क्योंकि आवश्यक व्यपवर्तन सड़क पूरी नहीं हुई है यद्यपि राज्य सरकार ने यह काम अपने हाथ में ले रखा है। तथापि, यह आशा है कि पुल ३१–३–१९६२ तक पूरा हो जायेगा।

## पंजाब में परिवार नियोजन केन्द्र

†३५८३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में होशियारपुर जिले में वर्ष १९६०–६१ में कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये हैं और उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर वे केन्द्र खोले गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : वर्ष १९६०–६१ में पंजाब में होशियारपुर जिले में कोई परिवार नियोजन केन्द्र नहीं खोला गया। तथापि द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल के आरम्भ में होशियारपुर जिले में क्रमशः होशियारपुर, नंगल, और गागरेट में दो नगरीय और १ ग्रामीण, तीन परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये।

## नई दिल्ली की सड़कों के नाम

३५८४. { **श्री भक्त दर्शन** :
**श्री नवल प्रभाकर** :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २८ नवम्बर १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली नगर पालिका समिति के अधीन क्षेत्र में सड़कों के भारतीय नाम रखने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : नई दिल्ली नगरपालिका ने निम्नलिखित और सड़कों का नाम बदल दिया है:—

| पुराना नाम | नया नाम |
|---|---|
| १. ओल्ड मिल रोड | रफी मार्ग |
| २. कीलिंग रोड | टालसटाय मार्ग |
| ३. क्लाइव रोड | त्यागराज मार्ग |
| ४. बाजार रोड | तानसेन मार्ग |

†मूल अंग्रेजी में

## रेलवे दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति

†३५८५. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री ६ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देने की नई योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## रेनीगुण्टा-तिरुपति लाइन

†३५८६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री ६ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेनीगुन्टा—तिरुपति मीटर गेज रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : दक्षिण रेलवे से प्राप्त पुनरीक्षित प्रतिवेदन की अभी जांच हो रही है।

## कुठ को लोकप्रिय बनाना

३५८७. **श्री पद्म देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुठ को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या-क्या साधन बरते जा रहे हैं ; और

(ख) हिमाचल प्रदेश में कहां-कहां इसकी काश्त होती है और वहां इसका भविष्य क्या है ?

**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) कुठ को लोकप्रिय बनाने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(१) लाहौल वादी पंजाब में कुठ की काश्त के लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा ३६,६०० रुपयों की लागत की एक योजना १ अप्रैल, १९६० से ३ वर्ष के लिये मंजूर की गई है। यह खर्च परिषद् द्वारा किया जायेगा। इस योजना का उद्देश्य क्षारभीय और आवश्यक तेल मात्राओं युक्त अधिक उपज वाली किस्मों को एकत्र करना, उगाना और फसल की कृषि सम्बन्धी उत्तम आवश्यकताओं का पता लगाना और विपणन-सुविधाओं का विकास करना भी है।

(२) पंजाब सरकार कुठ बीज के क्रय के लिये उपदान दे रही है। इस कार्य के लिये पिछले वर्ष, कृषि के उप-निदेशक, कुल्लू ने २५०० रुपये की राशि वितरण की।

(३) हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने अनेक स्थानों पर प्रयोगात्मक ढंग पर कुठ की काश्त शुरू की है और भावी कृषकों में अच्छी किस्म के कुठ बीजों को नाम-मात्र भावों पर वितरण करने के लिये कदम उठाये हैं तथा इसकी काश्त के अनेक तरीकों के सम्बन्ध में तकनीकी सलाह वह मुफ्त देता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) हिमाचल प्रदेश में ऐन-पुखरी, देवरी खर्रान और अपर बुशहर वन प्रभागों में कुठ की काश्त शुरू कर दी गई है।

जहां तक काश्त का सम्बन्ध है ऐन पुखारी में उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं, और उस क्षेत्र में इसका भविष्य अच्छा है।

### हिमाचल प्रदेश में बाग

**३५८८. श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के पास कितने छोटे बड़े बाग हैं;

(ख) इन बागों में कौन-कौन से फल पैदा होते हैं; और

(ग) वर्ष १९६०–६१ में इन से कितनी आय हुई?

**कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) दो। एक बड़ा और एक छोटा।

(ख) बड़े में सेब और छोटे में आम और चीकू।

(ग) ओलावृष्टि के कारण छोटे वाले से कोई आय नहीं हुई। बड़ा वाला ५ वर्ष के लिये १० रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पट्टे पर दे दिया गया था। पट्टे की शर्तों के अनुसार जो २० जून, १९६० को समाप्त हो गया, १९६०–६१ में १० रुपये की आय हुई। वन विभाग ने इस फलोद्यान का कार्य अब अपने हाथ में ले लिया है।

### सिंचाई और विद्युत् योजनायें

**३५८९. श्री पद्म देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई और विद्युत की बड़ी-बड़ी योजनाओं में से कितनी योजनायें पूर्णतः कार्यान्वित हो चुकी हैं; और

(ख) बाकी योजनाओं के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २८६२/६८]**

### थाईलैण्ड से मछली का आयात

**†३५९०. श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में मछली पालन के सुधार के लिये थाईलैण्ड से एक विशेष प्रकार की मछली का आयात किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो ये प्रयोग किन राज्यों में किये जायेंगे?

**†कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) अगस्त, १९५७ में प्रयोग-कार्य के लिये केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य गवेषणा संस्था के कटक उप-केन्द्र को बैंगकाक, थाईलैण्ड से कामन कार्प (स्केल कार्प) साईप्रिनस कारपियो खरीदी गयी थी, जहां उनका प्रचार किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, आसाम, मैसूर, पंजाब, मध्य प्रदेश, मद्रास और पश्चिम बंगाल राज्यों ने और संघ-राज्य क्षेत्र दिल्ली और त्रिपुरा ने अपने अपने, राज्यों, क्षेत्रों में पैदा करने के लिये कटक से इस मछली की फ्राई और फिंगरलिंग्स मछली के प्रयोगात्मक प्रेषण लिये हैं।

### जापान से उर्वरक

†३५६१. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ जापानी सार्थों ने दीर्घ-कालीन ऋण पर उर्वरक बेचने की अपनी इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो यह वार्ता किस प्रक्रम पर है ?

†कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

### उड़ीसा में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

†३५६२. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार वर्ष १९६१–६२ में उड़ीसा में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पर कितना धन खर्च करेगी; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में इस कार्यक्रम पर उड़ीसा में कुल कितना धन खर्च किया गया है ?

†स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) लगभग ९९.८२ लाख रुपये ।

(ख) २,५३,२०,३०३ रुपये ।

### उड़ीसा में सामुदायिक विकास खंड

†३५६३. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में प्रथम प्रक्रम वाले उन सामुदायिक विकास खंडों के नाम क्या हैं, जिनके लिये १९६१–६२ की अवधि के लिये ३.९ लाख रु० के स्थान पर ४.५ लाख रु० की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है ; और

(ख) इस अतिरिक्त व्यवस्था की सहायता से ये खंड कौन से अतिरिक्त उत्पादन कार्यक्रमों को हाथ में लेंगे ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) संभवतः इस प्रश्न का संबंध ३.९ लाख रु० के स्थान पर की गयी ४.५ लाख रु० की उस अतिरिक्त व्यवस्था से है, जो प्रथम प्रक्रम के खंडों के योजनाबद्ध बजट के कृषि-क्षेत्र में की गयी है और जिसकी गुंजाइश तीसरी योजना के सम्पूर्ण खंडों के अन्य क्षेत्रों से कटौती करके की गयी है। राज्यों को खंडों का आवंटन वर्ष में दो बार क्रमशः अप्रैल और अक्तूबर में किया जाता है। अप्रैल, १९६१ में उड़ीसा के लिये प्रथम प्रक्रम के खंडों का आवंटन अभी तक नहीं किया गया।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## दिल्ली उपभोक्ता कोआपरेटिव स्टोर्स फेडरेशन

†३५९४. **श्री सूर्य प्रसाद :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने १९५९ में उपभोक्ता कोआपरेटिव स्टोर्स की एक फेडरेशन की स्थापना की थी ;

(ख) इस फेडरेशन की स्थापना जिस उद्देश्य के लिये की गयी थी, वह कहां तक पूरा हुआ है ;

(ग) क्या फेडरेशन से दिल्ली के कोआपरेटिव स्टोर्स को किसी किस्म का लाभ पहुंचा है ; और

(घ) क्या जो लोग सितम्बर, १९६० में फेडरेशन के सदस्य बने थे, उन्हें अभी तक शेयर प्रदान नहीं किये गये ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):** (क) जी हां । सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा सितम्बर, १९५९ में दिल्ली में उपभोक्ता कोआपरेटिव स्टोर्स की एक फेडरेशन रजिस्टर की गयी थी ।

(ख) फेडरेशन की स्थापना मुख्यतः इस उद्देश्य से की गयी थी कि फेडरेशन प्राथमिक-स्टोर्स सदस्यों के लिये सामान प्राप्त करके उन्हें इसकी सप्लाई की जाये । सितम्बर, १९५९ में इसके पंजीयन से लेकर फेडरेशन ने लगभग २.९ लाख रु० की चीनी और ०.३६ लाख रु० के गेहूं का व्यापार किया है । इस समय यह कोई काम नहीं कर रही । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गयी थी, यह उसे पूरा कर सकी है ।

(ग) फेडरेशन से थोड़ा सा लाभ उठा कर सदस्य स्टोर्स को चीनी की सप्लाई की थी । सदस्य स्टोर्स को फेडरेशन से इतना लाभ पहुंचा है ।

(घ) समाचार यह है कि उन अंशधारियों को, जिन्होंने सितम्बर, १९६० में इसकी सदस्यता स्वीकार की थी, अभी तक अंशों के प्रमाणपत्र जारी नहीं किये गये ।

## पंजाब के गांवों में जल संभरण

†३५९५. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**<br>**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को १९६०–६१ में गांवों में जल संभरण के लिये क्या सहायता प्रदान की ;

(ख) इस अवधि में इसमें से कितनी सहायता का उपयोग किया गया और किन योजनाओं के लिये उपयोग किया गया ; और

(ग) १९६१–६२ के लिये कितना आवंटन किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १९६०–६१ में केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को केन्द्रीय सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं के लिये, जिनमें राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता कार्यक्रम (ग्राम्य) के अन्तर्गत मंजूरशुदा ग्राम्य जल संभरण योजनायें भी शामिल हैं, कुल ३४.५४ लाख रु० दिया गया है ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता कार्यक्रम (ग्राम्य) के अन्तर्गत ग्राम्य जल संभरण योजनाओं पर ३० लाख रु० व्यय किया जा चुका है। इन योजनाओं की एक सूची [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८५**], जो राज्य सरकार से प्राप्त हुई है, संलग्न की जाती है ।

(ग) १९६१–६२ के आवंटन के बारे में अभी तक निश्चय नहीं किया गया ।

## ढकौली में फ्लैग स्टेशन

†३५९६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुये कि घग्गर नदी में वर्षा ऋतु में आने वाली बाढ़ के समय सामने के किनारे पर रहने वाले गांववासी घग्गर रेलवे स्टेशन पर नहीं जा सकते, उत्तर रेलवे की अम्बाला-कालका लाइन पर चंडीगढ़ और घग्गर रेलवे स्टेशनों के बीच ढकौली नामक स्थान में फ्लैग स्टेशन बनाने की प्रस्थापना के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : इस प्रस्थापना की जांच की गयी है किन्तु पर्याप्त औचित्य न होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया ।

यह बताया जाता है कि अभी हाल में उस क्षेत्र में घग्गर नदी पर एक पुल की व्यवस्था की गयी है और अब यात्रियों को घग्गर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

## उड़ीसा में गैर-सरकारी बस-सेवा

†३५९७. **श्री कुम्भार** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य की सरकारी परिवहन सेवा की बसों में भीड़भाड़ को दूर करने के लिये और राज्य की सभी और अच्छे मौसम में चलने वाली सड़कों पर बसें चलाने के लिये उड़ीसा में गैर-सरकारी बस संचालकों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उड़ीसा राज्य में इस समय प्रत्येक जोन में कुल कितनी गैर-सरकारी बसें चलायी जा रही हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न मार्गों पर २४५ गैर-सरकारी बसें चलायी जा रही हैं, जिनका ब्योरा नीचे दिया जा रहा है :—

| | |
|---|---|
| १. कटक | १०४ |
| २. पुरी | २१ |
| ३. बालासोर | ४६ |
| ४. सम्बलपुर | ११ |
| ५. गंजम | ९ |
| ६. कोरापुट | ६ |
| ७. सुन्दरगढ़ | ७ |
| ८. मयूरभंज | २७ |
| ९. धेनकनल | ४ |
| १०. फूलबानी | २ |
| ११. कलहांडी | — |
| १२. कोयनझार | ८ |
| १३. बोलनगीर | — |
| | २४५ |

### भू-संरक्षण के लिये अनुदान

†३५९८. **श्री संगण्णा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को विदित है कि आदिमजाति क्षेत्रों में भू-संरक्षण के लिये दिये गये अनुदानों में से भूमि पर काम करने वाले श्रमिकों को जो अदायगी की जाती है, उसकी दर प्रत्येक राज्य में भिन्न है जैसे कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा इन अनुदानों के इस्तेमाल के बारे में क्या नीति अपनायी गयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). भू-संरक्षण उपायों और योजनाओं को क्रियान्वित करने का दायित्व राज्य सरकारों पर है। केन्द्रीय सरकार केवल मंजूरशुदा योजनाओं के लिये धन देती है। यह अनिवार्य है कि इन योजनाओं को क्रियान्वित करने की स्थिति और ब्योरा प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न हो।

### एशियाई राजपथ परियोजना

†३५९९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया और दूर-पूर्व के लिये आर्थिक आयोग के तेरह सदस्य-राज्यों ने एशियाई राजपथ परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये और इस कार्य की पूर्ति के लिये वित्तीय और प्रविधिक संसाधनों को जुटाने में क्या प्रगति की है ; और

(ख) क्या इस मामले में सभी सदस्य-राज्य सहमत हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). एशियाई राजपथ-व्यवस्था के लिये सामान्यतः जिन मार्गों का चुनाव किया गया है वे मुख्यतः विभिन्न देशों में मौजूद मुख्य सड़कों का अनुसरण करते हैं। मुख्य समस्या यह है कि टूटी हुई कड़ियों और पुलों का निर्माण करके और सड़कों की सतह का सुधार अपेक्षित न्यूनतम स्तर तक करके इन सड़कों के जाल को पूरा किया जाये। उपलब्ध धन और यातायात की स्थिति को देख कर इस राजपथ का अग्रेतर विकास का कार्य बाद में हाथ में लिया जा सकता है।

एशिया और दूर-पूर्व के आर्थिक आयोग के सत्रहवें अधिवेशन में, जो ८ से २० मार्च, १९६१ तक नई दिल्ली में हुआ था, इस क्षेत्र के तेरह सदस्य देशों ने, जिन का इस परियोजना से सम्बन्ध है, एशियाई राजपथ परियोजना के बारे में एक संकल्प रखा था, जो सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया था। इस संकल्प में यह सिफारिश की गयी है कि सम्बन्धित देशों को अपनी समूची आर्थिक योजनाओं में उन सड़कों के विकास को, जिन्हें इस अन्तर्राष्ट्रीय राजपथ में शामिल करने के लिये मनोनीत किया गया है, उच्च प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिये। एशिया और दूर-पूर्व के आर्थिक आयोग द्वारा विशेषज्ञ-कार्यकारी दलों को इस सड़क-व्यवस्था की टूटी हुई कड़ियों के बारे में आंकड़े इकट्ठे करने एवं उन पर विचार करने, इन कड़ियों के निर्माण की आर्थिक एवं इंजीनियरी सम्भाव्यताओं का अनुमान लगाने और अपेक्षित वित्तीय और प्रविधिक संसाधनों को प्राप्त करने के मार्गोपायों के बारे में सिफारिशें करने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त एशिया और दूर-पूर्व के आर्थिक आयोग के निष्पादक-सचिव से, सहायता देने वाले अभिकरणों और सहयोग देने वाले देशों की मदद से अपेक्षित सहायता प्राप्त करने की संभावनाओं की जांच करने और तदोपरान्त इस परियोजना को क्रियान्वित करने में विभिन्न देशों के कार्य में तालमेल और सामन्जस्य स्थापित करने के लिये, वह जो कदम उठाना आवश्यक समझें उसे उठाने का अनुरोध किया गया है।

एशिया और दूर-पूर्व के आर्थिक आयोग के सचिवालय ने इस संकल्प के अनुसार काम का श्रीगणेश कर दिया है। यह सचिवालय सम्बन्धित देशों से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी करने और इस जानकारी पर विचार करने तथा इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये वित्तीय और प्रविधिक संसाधनों को जुटाने के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिये विशेषज्ञ-कार्यकारी दलों की बैठकों का आयोजन करने की व्यवस्था करेगा।

इस अन्तर्राष्ट्रीय राजपथ का मंजूरशुदा रास्ता मुख्यतः हमारे मौजूदा राष्ट्रीय राजपथों का अनुसरण करता है और हम अपनी आर्थिक विकास योजना के अंग के रूप में इन का पहले से ही विकास कर रहे हैं।

## डाक और तार विभाग के भूतपूर्व महा-निदेशक को दिये गये बंगले

†३६००. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**<br>**श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक और तार विभाग के भूतपूर्व महा-निदेशक को पिछले तीन वर्षों में जो बंगले अलाट किये गये थे, उनमें परिवर्तन आदि करने पर कुल कितना धन व्यय किया गया ?

**†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : १०,४२० रु०।

†मूल अंग्रेजी में

**कृषकों को राज-सहायता**

†३६०१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषकों को खेती करने के नये तरीकों को अपने खेतों में अपनाने के लिये प्रोत्साहन देने के वास्ते राज-सहायता देने के लिये १९६१–६२ के लिये कितनी धन-राशि निर्धारित की गयी है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी धन-राशि आवंटित की गयी है अथवा की जा रही है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). १९६१–६२ के लिये इस प्रयोजन के लिये कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया। भारत सरकार इस मामले पर राज्यों की सरकारों के परामर्श से विचार कर रही है और इस बारे में राज्य सरकारों के विचार मांगे गये हैं।

**पंजाब में मेडिकल कालेज**

†३६०२. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में तीसरी योजना की अवधि में एक तीसरा मैडिकल कालेज खोलने के बारे में पंजाब सरकार की प्रस्थापना को केन्द्रीय सरकार ने मंजूर कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी धन-राशि निर्धारित की गयी है और इसे कहां पर स्थापित किया जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). पंजाब में अमृतसर, पटियाला और रोहतक में पहले से ही तीन मैडिकल कालेज हैं। रोहतक कालेज में दाखिल किये गये विद्यार्थियों को इस समय पटियाला के मडिकल कालेज में शिक्षा प्रदान की जा रही है क्योंकि रोहतक कालेज की इमारतें अभी बन कर तैयार नहीं हुईं। तीसरी योजना की पुनरीक्षित प्रस्थापनाओं में राज्य सरकार ने रोहतक मैडिकल कालेज के लिये १७५.०० लाख रु० की व्यवस्था की है।

**रिवाड़ी जंक्शन पर पुल**

†३६०३. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
**श्री रामेश्वर टांटिया** :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिवाड़ी जंक्शन पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिये कोई पुल नहीं है और यात्रियों को रेलवे लाइन को पार करके जाना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्टेशन पर पुल बनाने की कोई प्रस्थापना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) इस स्टेशन पर एक ऊपर का पुल है किन्तु अभी इस का विस्तार नव-निर्मित प्लेटफार्म तक नहीं किया गया।

(ख) इस पुल का विस्तार नवनिर्मित प्लेटफार्म तक करने का विचार है और इस कार्य के जून, १९६१ तक पूरा हो जाने का विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

**पंजाब के गांवों में बिजली लगाना**

†३६०४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब को दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रतिवर्ष ग्राम्य विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत क्या वित्तीय तथा प्रविधिक सहायता प्रदान की गयी ;

(ख) निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार अब तक प्रत्येक जिले के किन स्थानों पर बिजली लगायी गयी है अथवा लगायी जानी है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस राज्य को तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये कितना आवंटन कया जा रहा है ?

†**सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) अभी तक इस कार्य के लिये विशिष्ट रूप से कोई सहायता नहीं दी गयी । राज्य सरकार ने ग्राम्य विद्युतीकरण योजनाओं के लिये, जिन्हें १९५९-६० में हाथ में लिया गया था, ७७.०९ लाख रु० का ऋण मांगा है । इस पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) पंजाब के गांवों में बिजली लगाने के लिये पंजाब की तीसरी योजना में ७.०० करोड़ रु० निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

**उड़ीसा बाढ़ नियंत्रण जांच समिति की रिपोर्ट**

†३६०५. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री एस० एन० भंजदेव की प्रधानता में नियुक्त की गयी उड़ीसा बाढ़ नियंत्रण जांच समिति ने बाढ़ का नियंत्रण करने के लिए अल्प-कालीन उपायों के बारे में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) इस रिपोर्ट की एक प्रति संसद-पुस्तकालय में पहले से ही रखवा दी गयी है अतः इस रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

**त्रिपुरा में बाजारों का विकास**

†३६०६. **श्री दशरथ देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतला के महाराजगंज बाजार, बाटतला बाजार, मठ चौमोहिनी बाजार और दुर्गा चौमोहिनी बाजार के विकास के लिए किन योजनाओं को हाथ में लिया गया है; और

(ख) इन योजनाओं को कहां तक क्रियान्वित किया जा चुका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अगरतला नगरपालिका द्वारा अगरतला में मार्केट के स्थानों का सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा मंजूर किये गये ५.६४ लाख रु० के ऋण की सहायता से महाराजगंज बाजार, बाटतला बाजार, मठ चौमोहिनी बाजार और दुर्गा चौमोहिनी मार्केट के विकास का कार्य हाथ में लिया गया है और स्थिति इस प्रकार है:—

**(एक) महाराजगंज बाजार :** एक यातायात चक्र, एक भूमिगत नाली और एक सौ स्टालों की इमारतों के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। अन्य निर्माण कार्यों अर्थात् बूचड़खाना आदि का विकास कार्य चल रहा है। महाराजगंज हाकर्स कार्नर मार्केट की जमीन में मिट्टी डालने का लगभग ८० प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और निर्माण-कार्य के प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं।

**(दो) बाटतला बाजार :** इस बाजार में मछली और मांस के स्टाल, पंसारियों की दुकानें और सब्जियों के शैड, अन्दर की सड़कें, नालियां और शौचालय बनाने का विचार है। मछली और मांस के स्टालों के निर्माण के लिए नगरपालिका द्वारा टैंडर मांगे गये हैं। इस क्षेत्र से अनधिकृत दुकानदारों को हटाने की कठिनाइयों के कारण नगरपालिका विकास कार्य को हाथ में नहीं ले सकी।

**(तीन) मठ चौमोहिनी बाजार :** इस बाजार का विकास करने की कोई योजना नहीं है। किन्तु इस बाजार में मांस मछली और सब्जियों के स्टाल तथा पंसारियों की दुकानें, सड़कें, नालियां, नलकूप और एक शौचालय के निर्माण का विचार है। इस प्रयोजन के लिए स्थान का चुनाव कर लिया गया है और भूमि अधिग्रहण करने की प्रस्थापना भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, अगरतला को भेज दी गयी है।

**(चार) दुर्गा चौमोहिनी बाजार :** इस बाजार में दो पंसारियों की दुकानें, दो सब्जियों के खुले शैड, एक मांस, मछली का स्टाल, शौचालय, अन्दर की सड़कें, नालियां, भूमिगत नालियां और नलकूप बनाने का विचार है। मिट्टी की भरती करके जमीन का विकास कर लिया गया है। दो पंसारियों की दुकानों और दो सब्जियों की दुकानों का आंशिक रूप से निर्माण हो चुका है। मछली, मांस के स्टालों और शौचालयों के प्राक्कलन तैयार किये जा चुके हैं।

## असैनिक उड्डयन केन्द्र, इलाहाबाद

†३६०७. **श्री ब्रजराज सिंह :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलाहाबाद के असैनिक उड्डयन केन्द्र पर, उसकी स्थापना से लेकर अब तक उसकी स्थापना और संचालन पर कुल कितना व्यय किया गया है, जिसमें इस बात का ब्योरा भी हो कि प्रतिवर्ष कितना आवर्तक और अनावर्तक खर्च किया गया है; और

(ख) क्या जितना व्यय किया गया है, उसके परिणाम उससे मेल खाते हैं ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८६] सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

(ख) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

### डाक-तार गाइड

३६०८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर के डाकघरों व तारघरों को बतलाने वाला डाक-तार गाइड (पी० एण्ड टी० गाइड) का सबसे पिछला प्रकाशन कब किया गया था और किस तारीख तक उसमें संशोधन किये गये;

(ख) ३१ मार्च, १९६१ तक संशोधित डाक-तार गाइड के कब तक प्रकाशित कर दिये जाने की आशा की जाती है; और

(ग) इस गाइड को प्रतिवर्ष समय पर प्रकाशित करने के लिय क्या व्यवस्था की जा रही है ?

**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १ अप्रैल, १९५७ तक संशोधित पिछला संस्करण अक्तूबर, १९५९ में प्रकाशित किया गया था। गाइड को अब डाकघर गाइड भाग ३ तथा तारघर गाइड भाग २ में अलग-अलग कर दिया गया है। तारघर गाइड भाग २ का १ जनवरी, १९६० तक संशोधित पिछला संस्करण नवम्बर, १९६० में प्रकाशित किया गया था।

(ख) ३१ मार्च, १९६१ तक संशोधित डाकघर तथा तारघर दोनों गाइड के इस वर्ष के अन्त तक प्रकाशित हो जाने की आशा है।

(ग) प्रकाशन में शीघ्रता बरतने तथा उन्हें समय पर छापने के लिए सरकारी प्रेसों के बजाय प्राइवेट प्रेसों में छापने का प्रश्न विचाराधीन है।

### कुड्डालोर डिवीजन में डाकियों की भरती

†३६०९. **श्री इलयापेरूमाल**: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मद्रास राज्य के कुड्डालोर डिवीजन में १९६० और १९६१ में डाकियों के चयन के लिए जो परीक्षाएं हुईं, उनके लिए कितने आवेदन-पत्र आये थे; और

(ख) कितने व्यक्तियों का चयन किया गया और कितनों का नहीं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) मद्रास मंडल के दक्षिण अर्काट डिवीजन (कुड्डालोर) में १९६० और १९६१ के दौरान डाकियों की पदालि में कोई भरती नहीं हुई।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

### इम्फाल नगर का विस्तार

†३६१०. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इम्फाल नगर का विस्तार लाम्फेल पट की दलदल-भूमि की ओर करने के बारे में अन्तिम-रूप से निश्चय कर लिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस इलाके का क्षेत्रफल कितना है और यहां पर कौन से सरकारी क्वार्टरों और इमारतों का स्थानान्तरण तथा निर्माण किया जायेगा; और

(ग) क्या इस विषय में किसी नगर-आयोजन-विशेषज्ञ की राय ली गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) यह निश्चय किया गया है कि इम्फाल नगर का विस्तार लाम्फेलपट के इर्द-गिर्द किया जाये। यह इलाका दलदली नहीं है बल्कि यह तो ऊंचे स्थान पर स्थित है।

(ख) लाम्फेलपट का कुल क्षेत्रफल २२०० एकड़ है जिसमें से ८५० एकड़ भूमि का, जो ऊंचे स्थान पर स्थित है, निम्नलिखित इमारतों के निर्माण के लिए उपयोग किया जायेगा:—

(१) सामान्य अस्पताल और कर्मचारियों के क्वार्टर

(२) जिला न्यायालय

(३) सहकारी समिति

(४) केन्द्रीय एक्साइज-कार्यालय

(५) क्षेत्रीय परिषद् की इमारत

(६) मनीपुर राइफल्स

(७) कृषि कालेज

(८) जेल (बन्दीगृह)

(९) एयर ट्रांसमिटर (प्रस्तावित)

(१०) मत्स्य पालन विभाग

(११) सरकारी और पुलिस क्वार्टर ।

(ग) जी हां। विकास योजनाएं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली के मुख्य भवन-निर्माण और नगर नियोजक के परामर्श से तैयार की गयी है।

**मनमाड में औजार और संयंत्र डिपो**

†**३६११. श्री यादव नारायण जाधव** : क्या रेलवे मंत्री २१ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८५२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनमाड में औजार और संयंत्र डिपो स्थापित करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कार्य कब पूरा होगा ; और

(ग) इस डिपो में रोजगार के क्या अवसर प्राप्त होंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) मनमाड में औजार और संयंत्र डिपो स्थापित करने के सिलसिले में सिविल इंजीनियरी कार्यों की प्रगति ६० प्रतिशत है।

(ख) इस कार्य का सिविल इंजीनियरी हिस्सा ३१–८–१९६१ तक पूरा हो जायेगा। आवश्यक औजार और संयंत्र प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस डिपो में रोजगार के नये अवसर अधिक नहीं होंगे क्योंकि मनमाड की केन्द्रीय इंजीनियरी वर्कशाप में आजकल जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें इस डिपो में ही लगा लिया जायेगा ।

## 'ड्राई फ्रीज़' टीके

†३६१२. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सूखे जमाये हुये टीकों (ड्राई फ्रीज़ वेक्सीन) की कुल मांग कितनी है ;

(ख) इनका कुल कितना आयात होता है ; और

(ग) इस संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) चेचक के उन्मूलन के आंदोलन में 'ड्राई फ्रीज़' टीकों के इस्तेमाल के प्रश्न पर भारत सरकार द्वारा १९५८ में नियुक्त की गयी विशेषज्ञ समिति ने विचार किया था । समिति ने यह मत प्रकट किया था कि यदि 'ड्राई फ्रीज़' टीके उपलब्ध हों, तो उनसे सामूहिक रूप से टीके लगाने के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में, विशेषतः दूरस्थ और तुलनात्मक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों में, काफी सुविधा प्राप्त होगी किन्तु तरल टीकों से भी, जिनका आजकल प्रयोग किया जाता है और जो अधिक आसानी से तैयार हो जाते हैं, हमारा प्रयोजन समान रूप से सिद्ध हो सकता है यदि उनका परिवहन एवं परिरक्षण उपयुक्त दशा में किया जाये । यदि चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के लिये केवल 'ड्राई फ्रीज़' टीकों का ही प्रयोग किया जाये तो हमें इन टीकों की लगभग ४० करोड़ मात्राओं की आवश्यकता पड़ेगी ।

(ख) अभी तक 'ड्राई फ्रीज़' टीकों का बिल्कुल आयात नहीं किया गया किन्तु १९६० में विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से नीदरलैंड की सरकार से इस टीके की दस लाख मात्राओं का उपहार मिला था ।

भारत सरकार को एक अन्य देश की सरकार से इस टीके की २५ करोड़ मात्राओं की पेशकश प्राप्त हुई है ।

(ग) देश में दो केन्द्रों अर्थात् वेक्सीन इंस्टीट्यूट, पटवाडांगर (उत्तर प्रदेश) और किंग इंस्टीट्यूट, गिंडी (मद्रास) में 'ड्राई फ्रीज़' टीकों के निर्माण के लिये कदम उठाये गये हैं । इन केन्द्रों में शीघ्र ही उत्पादन शुरू होने की संभावना है । अनुमान है कि इनमें से प्रत्येक केन्द्र में प्रतिवर्ष इन टीकों की १५ लाख मात्राओं का उत्पादन होगा ।

## सिद्ध वैद्य प्रणाली

†३६१३. **श्री नारायणस्वामी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने देश में सिद्ध वैध प्रणाली के विकास के लिये १९६०-६१ में कितना आवंटन किया है ;

(ख) अनुदान किन मदों के लिये मंजूर किया जाता है ; और

(ग) प्रत्येक मद के लिये कितनी रकम मंजूर की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार ने मद्रास के एकीकृत चिकित्सा कालेज (जिसे आजकल किलपाक मैडिकल कालेज कहा जाता है) में १० पलंगों की व्यवस्था कर रखी है । केन्द्रीय सहायता का समायोजन मार्गोपाय अग्रिमों द्वारा किया जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रीय देशी चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्था, जामनगर में सिद्ध प्रणाली के लिये एक पृथक विभाग है। इस विभाग पर इस संस्था के समेकित बजट अनुदानों में से व्यय किया जाता है।

### सोमेसर और जावली स्टेशनों के बीच गाड़ी का पटड़ी से उतरना

†३६१४. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २५ मार्च, १९६१ को अथवा इसके आसपास आबू रोड से सोजात रोड जाने वाली एक मालगाड़ी पश्चिम रेलवे के सोमेसर और जावली स्टेशनों के बीच पटड़ी से उतर गयी और उलट गयी ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के परिणामस्वरूप जान और माल का कितना नुक्सान हुआ ;

(ग) क्या इसके कारणों के बारे में कोई जांच की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां। गाड़ी सोजात रोड से आबू रोड जा रही थी।

(ख) किसी की मृत्यु नहीं हुई। रेलवे सम्पत्ति की लगभग १७,६४५ रु० की हानि होने का अनुमान है।

(ग) और (घ). डिवीजनल पदाधिकारियों की संयुक्त जांच की उपपत्तियों के अनुसार यह दुर्घटना मशीनी उपकरणों की खराबी के कारण हुई।

### मद्रास में बीज फार्म

†३६१५. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास सरकार को बीज फार्म स्थापित करने के लिये १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में कुल कितना धन दिया गया ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : १९५८–५९ में लागू की गयी पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न योजनाओं के लिये प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की जानकारी राज्य सरकारों को वर्ष के प्रारम्भ में समूह-वार दी जाती है और वर्ष के अन्त में उनकी समूह-वार मंजूरी दी जाती है योजनावार नहीं। अतः मद्रास सरकार को १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में बीज फार्म स्थापित करने के लिये दिये गये धन के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

### मद्रास में लघु सिंचाई योजनायें

†३६१६. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत सरकार को मद्रास सरकार से १९६१–६२ के लिये लघु सिंचाई परियोजनाओं संबंधी कोई नयी योजनायें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के नाम क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) और (ख). स्वीकृत आयोजना में शामिल की गयी किसी योजना को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। अतः इस बात की जानकारी उपलब्ध नहीं है कि मद्रास सरकार १९६१–६२ के दौरान किन नई लघु सिंचाई योजनाओं को हाथ में लेना चाहती है। किन्तु मद्रास राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में निम्नलिखित योजनाओं को नई लघु सिंचाई योजनाओं के रूप में शामिल किया है क्योंकि दूसरी योजना में से उनके लिये कोई रकम नहीं बची थी :—

१. नवकूप राजसहायता योजना
२. 'बोर वैल'
३. नलकूप और उत्पीड़ कूप
४. 'फिल्टर प्वाइंट'
५. नदी से जल 'पम्प' करना
६. बिजली की मोटरों के लिये पम्पों की किराया-खरीद योजना
७. भूमिगत जल की खोज और सर्वेक्षण।

## मद्रास को गेहूं का संभरण

†३६१७. श्री इलयापेरुमाल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८, १९५९ और १९६० में केन्द्रीय सरकार द्वारा मद्रास राज्य को गेहूं का कितना संभरण किया गया?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : मद्रास राज्य को १९५८, १९५९ और १९६० के दौरान केन्द्रीय भंडार से गेहूं की (जिसमें आटा-कारखानों को दिया गया गेहूं भी शामिल है) निम्नलिखित मात्रा का सम्भरण किया गया:—

(हजार मीट्रिक टनों में)

| वर्ष | मात्रा |
|---|---|
| १९५८ | ८१·७ |
| १९५९ | १३७·७ |
| १९६० | १६४·४ |

## त्रिपुरा में कैंसर के रोगी

†३६१८. श्री दशरथ देव : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में कैंसर के रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या कैंसर के रोगियों का इलाज कलकत्ता के अस्पतालों में भेज कर कराना पड़ता है ; और

(ग) क्या सरकार का निर्धन रोगियों को वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९५८, १९५९ और १९६० में वी० एम० अस्पताल, अगरतला में कैंसर के २, ४० और ३७ रोगियों का निदान किया गया।

(ख) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) निर्धन रोगियों को वित्तीय सहायता देने की कोई प्रस्थापना नहीं है। किन्तु विस्थापित व्यक्तियों को त्रिपुरा प्रशासन के पुनर्वास विभाग द्वारा यात्रा भत्ता दिया जाता है। कलकत्ता जाने वाले निर्धन रोगियों का चित्तरंजन कैंसर अस्पताल में मुफ्त इलाज किया जाता है।

**दामोदर घाटी निगम**

†३६१९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के पास इस समय सप्लाई करने के लिये अतिरिक्त बिजली है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कितनी है और इसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**सम्भलपुर-टिटिलागढ़ रेलवे लाइन के लिये श्रमिक**

†३६२०. **श्री कुम्भार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दैनिक मजदूरी कम होने के कारण सम्भलपुर-टिटिलागढ़ रेलवे लाइन के निर्माण कार्य के लिये पर्याप्त संख्या में श्रमिक नहीं मिल रहे ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार मजदूरी बढ़ाने के बारे में क्या कदम उठा रही है ताकि अधिक मजदूर प्राप्त हो सकें ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**उड़ीसा में चावल और धान का फालतू स्टाक**

†३६२१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार १९५९-६० के खरीफ वर्ष के दौरान उगाही योजना के अन्तर्गत संग्रह किये गये चावल और धान के फालतू स्टाक को बेचने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक इसमें से कितना स्टाक बेचा जा चुका है ; और

(ग) क्या यह स्टाक पूर्वी ज़ोन के बाहर के ग्राहकों को बेचा गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां।

(ख) ९३९४ टन चावल पश्चिम बंगाल सरकार को बेचा गया है और ९४७ टन धान और २८५ टन चावल व्यापारियों को बेचे गये हैं।

(ग) जिन व्यापारियों ने उड़ीसा सरकार से चावल और धान के स्टाक खरीदे हैं उनमें से कुछ उस ज़ोन के हैं और कुछ उस जोन के बाहर के।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

## दामोदर में बाढ़

†३६२२. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर नदी में अकस्मात बाढ़ आने के कारण सदर घाट पुल बह गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) दामोदर नदी में अभी हाल में बाढ़ आने की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

## परदीप पत्तन

†३६२३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदीप पत्तन के अग्रेतर विकास के लिये उड़ीसा सरकार को १९६१--६२ में कितनी रकम दी गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : छोटे पत्तनों के विकास के लिये ऋण समुद्र के किनारे पर स्थित राज्यों को सामान्यत: वित्तीय वर्ष के अन्त में दिये जाते हैं, अत: परदीप पत्तन के अग्रेतर विकास के लिये १९६१–६२ के लिये ऐसी कोई सहायता नहीं दी गयी ।

## पर्यटन का विकास

†३६२४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में पर्यटन के विकास सम्बन्धी योजनाओं के भाग १ के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में किन कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया ; और

(ख) उड़ीसा में १९६१–६२ में भाग १ की योजनाओं के अन्तर्गत किन कार्यक्रमों को हाथ में लेने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के प्रथम भाग में शामिल योजनाओं के क्रियान्वित करने के बारे में जानकारी देने वाला एक विवरण [**परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८७**] सभा-पटल पर रखा जाता है ।

(ख) उड़ीसा में कोनार्क और भूवनेश्वर में उच्च श्रेणी के विश्राम-गृह का निर्माण, जो दूसरी योजना के दौरान शुरू हो गया था, १९६१–६२ में पूरा हो जायेगा ।

## सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति

†३६२५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति की किसी सिफारिश को अब तक क्रियान्वित किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने किस सिफारिश को क्रियान्वित किया है और कहां तक ?

**†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

## उड़ीसा में सड़क परिवहन

**†३६२६. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में मार्च, १९६१ तक सड़क परिवहन सेवाओं के मार्ग की कुल लम्बाई कितनी थी ;

(ख) इस राज्य में मार्च, १९६१ तक सरकारी सड़क परिवहन सेवाएं कितने लम्बे मार्गों पर चलती थीं ; और

(ग) उड़ीसा में सरकारी सड़क परिवहन सेवाओं को १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में कितनी आमदनी हुई ?

**†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

## भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्

†३६२७. { **श्री तंगामणि :**
**श्री धर्मलिंगम :**

**क्या स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् प्रत्येक वर्ष अनुसंधान की योजनाओं का फैसला करती है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९६० के अनुसंधान का क्या ब्योरा है ;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी रकम का आवंटन किया गया ; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस परिषद् की बैठकें किन स्थानों पर हुईं ?

**†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की प्रबन्ध समिति इस परिषद् के वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करके यह फैसला करती है कि प्रत्येक वर्ष अनुसंधान की किन योजनाओं का वित्तपोषण किया जाये ।

(ख) वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये परिषद् द्वारा मंजूर की गयी अनुसंधान योजनाओं की एक सूची [पुस्तकालय में रखवा दी गयी—**देखिये एल० टी०-२८६३/६१**] संलग्न की जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) भारत सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् को पिछले पांच वर्षों में निम्नलिखित सहायता अनुदान दिया गया है :

| वर्ष | रु० |
|---|---|
| १९५६–५७ | ३१,१७,५०० |
| १९५७–५८ | ५१,३०,००० |
| १९५८–५९ | ५०,५५,००० |
| १९५९–६० | ३४,००,००० |
| १९६०–६१ | ५०,००,००० |

(घ) परिषद् की प्रबन्ध समिति की बैठक हर वर्ष दिल्ली में होती है किन्तु परिषद् की विभिन्न सलाहकार समितियों की बैठकें विभिन्न स्थानों पर होती रहती हैं। पिछले पांच वर्षों में इन सलाहकार समितियों की बैठकें निम्नलिखित स्थानों पर हुई :—

| | |
|---|---|
| १९५६ | मैडिकल कालेज, मैसूर |
| १९५७ | के० जी० मैडिकल कालेज, लखनऊ |
| १९५८ | एम० जी० एम० मैडिकल क़ालेज, इन्दौर |
| १९५९ | बी० जे० मैडिकल कालेज, पूना |
| १९६० | उस्मानिया मैडिकल क़ालेज, हैदराबाद (दक्षिण) |

### पोली क्लिनिक

†३६२८. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के किसी सरकारी अस्पताल ने दिल्ली के बड़े अस्पतालों के बाहर के रोगियों का और अन्दर दाखिल किये गये रोगियों का इलाज करने वाले विभागों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए अस्थायी रोगियों को स्थान देने के लिए पोलीक्लिनिक खोलने की योजना बनाने की कोई प्रस्थापना पेश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

### होम्बल स्टेशन के निकट गाड़ी का पटरी से उतर जाना

†३६२९. { **श्री अगाड़ी** :
**श्री सुगन्धि** :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३० मार्च, १९६१ को अथवा इसके आस पास दक्षिण रेलवे मीटर गेज लाइन के हुबली-शोलापुर सैक्शन के होम्बल स्टेशन के निकट मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उत्तर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने माल डिब्बे पटरी से उत्तर गये थे और इससे रेलवे को अनुमानतः कितनी हानि हुई ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९६०-६१ में हुबली डिवीजन और विशेषतः हुबली-शोलापुर सक्शन में पटरी से उतरने की कितनी घटनायें हुई ; और

(घ) इस अवधि में कुल कितने माल डिब्बे पटरों से उतरे और अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां, २९-३-१९६१ को ।

(ख) १५ माल डिब्बे पटरी से उतर गये । अनुमान है कि रेलवे सम्पत्ति को केवल १३ हजार रु० की क्षति पहुंची है ।

(ग) हुबली डिवीजन के हुबली-शोलापुर सैक्शन पर ऐसी ९ दुर्घटनाएं हुईं।

(घ) अड़तालीत । अनुमाननः १३ हजार रुपये की हानि हुई ।

## उखाड़ी गई रेलवे लाइनें

३६३०. श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय महायुद्ध के बाद उखाड़ी हुई रेल लाइनों में से कितने मील अब तक पुनः बिछा दी गई हैं और कितने मील बिछाना शेष है ; और

(ख) इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) दूसरे महायुद्ध में जो लाइनें उखाड़ी गयी थीं, उनमें से लगभग कुल ५३४ मील लाइनें फिर बिछा दी गयी हैं। बाकी लाइनें जिनकी कुल लम्बाई ३२२ मील है, अभी नहीं बिछायी गई हैं।

(ख) यह तय किया गया है कि दो लाइनों को छोड़कर जिनकी कुल लम्बाई ३० मील है और जिनको फिर बिछाने के बारे में अभी विचार किया जा रहा है, दूसरी लाइनें फिर न बिछायी जायें, क्योंकि जिन क्षेत्रों में ये लाइनें थीं वहां परिवहन के दूसरे साधन मौजूद हैं और वहां फिर लाइन बिछाने का पर्याप्त औचित्य नहीं है ।

## पश्चिम रेलवे में जनता एक्सप्रेस का कुछ स्थानों पर रुकना बन्द किया जाना

३६३१. श्री डामर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक (जनरल मैनेजर), मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक (चीफ कर्माशियल सुपरिन्टेंडेंट) बम्बई, रेलवे बोर्ड और मंत्रालय को लोगों से ऐसे तार और पंजीबद्ध पत्र आये हैं जिन में १ अप्रैल, १९६१ से पश्चिम रेलवे के बामन्या, उदयगढ़ और मेघ नगर स्टेशनों पर जनता एक्सप्रेस का रुकना बन्द किये जाने के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया बतायी गयी है ;

(ख) उपरोक्त कार्यालयों में से प्रत्येक को इस सम्बन्ध में अब तक कितने तार और पंजीबद्ध पत्र मिले हैं ;

(ग) ये तार और पत्र कहां-कहां से आये हैं ; और

(घ) इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक बयान साथ नत्थी है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८८**]

(घ) इन स्टेशनों पर जनता एक्सप्रेस गाड़ियों का रुकना बन्द कर दिया गया है । इसलिए इस सेक्शन की यातायात सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने के लिये इन गाड़ियों के बदले १–४–१९६१ से २१ डाउन और २२ अप बड़ौदा-गोधरा सवारी गाड़ियां रतलाम तक चलायी जा रही हैं ।

## मद्रास राज्य में सिद्ध वैद्य प्रणाली

†३६३२. **श्री नारायण स्वामी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मद्रास राज्य में चिकित्सा की सिद्ध वैद्य प्रणाली के विकास के लिए कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए कितना आवंटन किया जा रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) केन्द्रीय सरकार एकीकृत चिकित्सा कालेज, मद्रास (जिसे अब किलपाक मैडिकल कालेज कहा जाता है) में सिद्ध प्रणाली के बारे में जांच करने के लिए १० अनुसन्धान पलंगों की व्यवस्था कर रखी है । केन्द्रीय सहायता का समायोजन मार्गोपाय अग्रिमों द्वारा किया जाता है ।

(ख) सिद्ध पद्धति के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया । तीसरी योजना में देसी चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गयी है ।

## राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड, बिंझरपुर

†३६३३. **श्री बै० च० मलिक** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य के कटक जिले में बिंझरपुर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड में वर्ष १९६०–६१ के लिए जितनी रकम निर्धारित की गयी थी उसमें से ६०,००० रु० वापिस कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या रकम का उपयोग न किये जाने के कारणों की जांच की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** : (क) १९६०–६१ के बजट में इस खंड के लिए निर्धारित राशि में से ५६,१८२ रु० व्यय नहीं किये जा सके।

(ख) राज्य सरकार ने व्यय में कमी होने के निम्नलिखित कारण बताये हैं :

(एक) कर्मचारियों का बाढ़ सहायता कार्य पर लगा दिया जाना ।

(दो) इस क्षेत्र में पानी जमा हो जाने के कारण योजनाओं की क्रियान्विति न हो सकना ।

(ग) और (घ). राज्य सरकार द्वारा इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## होटल उद्योग

†३६३४. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री आचार :

**क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि पर्यटन के कार्य को विकसित करने के लिये भारत के प्रमुख नगरों तथा पर्यटन केन्द्रों में अच्छे होटलों की कमी को पूरा करने की अत्यधिक आवश्यकता है, तो क्या सरकार बड़े पैमाने पर होटल उद्योग में प्रवेश करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि की व्यवस्था की गयी है ?

**†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) और (ख). होटल उद्योग में प्रवेश करने के सम्बन्ध में सरकार की फिलहाल कोई इच्छा नहीं है । गैर-सरकारी उद्योगपति नये होटल बनाने के सम्बन्ध में यत्न कर रहे हैं, परन्तु अभी तक कोई विशेष परिणाम नहीं निकले हैं । सरकार तो अपनी ओर से सभी संभव सहायता दे रही है । आशा है कि होटलों को छुट्टी के दिन के आय कर की छूट देने से उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेगा ।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । वर्तमान सरकारी वित्त निगमों के द्वारा होटल उद्योग को सहायता देने के सम्बन्ध में यत्न किये जा रहे हैं । औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम को पहले ही संशोधित कर दिया गया है ताकि लिमिटिड कम्पनियों पर सहकारी समितियों द्वारा चलाये जा रहे होटल भी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण ले सकें ।

## आसाम में ग्लाईडिंग क्लब

†३६३५. **श्री प्र० चं० बरुआ : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में एक ग्लाईडिंग क्लब प्रारम्भ करने के संबंध में कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या यत्न किये गये हैं ;

**†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) फिलहाल ऐसी कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

### दिल्ली में आदमी का गाड़ी के नीचे आ जाना

†३६३६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ अप्रैल, १९६१ को नई दिल्ली के लोदी कालोनी स्टेशन के निकट रेलवे लाइन को पार करते हुए एक व्यक्ति गाड़ी के नीचे आ गया था;

(ख) यह दुर्घटना कैसे घटित हुई थी; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). यह दुर्घटना एक ऐसे स्थान पर रेलवे लाइन को पार करते समय हुई है जहां लैवल क्रासिंग नहीं है और उसकी देख भाल करने वाला भी कोई नहीं है ।

### देश के झरनों के नीरोगकारी गुण

†३६३७. श्री हेम बरुआ : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न प्राकृतिक झरनों के नीरोगकारी गुणों के संबंध में अनुमान लगा लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं;

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८९]

### उड़ीसा में महामारियां

†३६३८. डा० सामन्त सिंहार : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के किन किन स्थानों पर हैज़ा, चीचक आदि महामारियां फैली हैं ;

(ख) मार्च, १९६१ में उन महामारियों से कितने व्यक्ति रोगी हुए थे और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी; और

(ग) उक्त रोगों की रोक थाम के संबंध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी मांगी गयी है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

## स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†अध्यक्ष महोदय : एक स्थगन प्रस्ताव है जिसकी सूचना श्री हेम बरुआ द्वारा दी गई है । माननीय प्रधान मंत्री इस समय दूसरे सदन में व्यस्त हैं । ज्योंहीं वह यहां आयेंगे मैं उस स्थगन प्रस्ताव को लूंगा ।

एक माननीय सदस्य : यह किस विषय में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मैं उन के आने पर ही पढ़ कर सुनाऊंगा । अब आगे की कार्य-वाही शुरू की जायेगी।

†**श्री च० द० पांडे (नैनीताल)** : यह कल सुबह लिया जाना चाहिये ।

---

## विशेषाधिकार का प्रश्न

†**श्री खुशवक्त राय** (खेरी) : अध्यक्ष महोदय; मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति चाहता हूं । इसकी सूचना मैं ने कल दी थी। मेरा निवेदन है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में संसद-सदस्य, आचार्य कृपालानी ने जो वक्तव्य दिया था, उस के बारे में "ब्लिटज़" पत्रिका के १५ अप्रैल, १९६१ के अंक में आचार्य कृपालानी के सम्बन्ध में अपमानजनक बातें कही गयी हैं। उस लेख का शीर्षक है "दि कृपालानी इम्पीचमेंट" (कृपालानी का महाभियोजन ) । उस में आचार्य जी, असत्यत के भाषण को बुरे, धृष्टता पूर्ण तथा सरासर असारता पर आधारित तथा उग्र मिरगी के दौरे की स्थिति में दिया गया भाषण बताया गया है । उस में यह भी कहा गया है कि उनका यह भाषण उन के संसद-सदस्य होने के कार्यकाल में उनका सब से ओछा और अनर्गल भाषण था । यह भी कहा गया है कि माननीय मंत्री के भाषण के पश्चात इस भाषण की इस प्रकार की सभा में खिली उड़ाई गयी, जिस प्रकार एक बाजारू विदूषक की उड़ाई जाती है ।

मेरा निवेदन है कि यह बहुत ही अपमान जनक बातें हैं। सभा की कार्यवाही को जान बूझ कर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है । इस के द्वारा लोगों में उनका अनादर कर के सभा के सदस्य के रूप में उन के कार्यों में बाधा भी उत्पन्न की गयी है । इस प्रकार के बहुत से मामलों में लोक सभा ने मामलों को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा है । १७०१ में ब्रिटेन की लोक-सभा में एक निर्णय हुआ था कि किसी सदस्य के बारे में अथवा सभा में दिये गये उस के किसी वक्तव्य के बारे में अपमान जनक बातें छापना अथवा प्रकाशित करना सभा के सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का बहुत भारी उल्लंघन है ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये जो उस पर विचार कर के एक सप्ताह में प्रतिवेदन दे"।

मेरा विचार है कि यह मामला केवल सभा के विशेषाधिकारों से ही नहीं प्रत्युत समाचार पत्रों की स्वतंत्रता से भी सम्बद्ध है, अतः इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपना ही ठीक प्रक्रिया है ।

†**श्री श्री० अ० डांगे** : (बम्बई नगर—मध्य) : यह मामला इतना गम्भीर नहीं है कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाय।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मामले पर सदन में विचार किया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस मामले को दो भागों में बांट कर दोनों को अलग अलग मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न यह है :

"कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाय जो उस पर विचार करके प्रतिवेदन दे ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरा भाग यह है :

"कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाय जो उस पर विचार करके ३० अप्रैल, १९६१ तक प्रतिवदन दे ।"

†**कुछ माननीय सदस्य** : इस मास के अन्त तक ।

†**श्री अन्सार हरवानी** (फतेहपुर) : कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जानी चाहिये । यह बात स्वयं समिति के ऊपर छोड़ दी जानी चाहिय ।

†**श्री श्री० अ० डांगे** : मैं भी इसी पक्ष में हूं कि समय का निश्चय स्वयं समिति द्वारा किया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या हम यह बात समिति पर ही छोड़ दें या समय सीमा निर्धारित कर दें ।

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : एक सप्ताह का समय पर्याप्त नहीं होगा ।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : हमें इस मामले को इस सत्र के दौरान निबटा देना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसलिये फिलहाल हमें समिति से इस मास के अन्त तक प्रतिवेदन देने के लिये कहना चाहिये ।

प्रश्न यह है :

"कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाय जो उस पर विचार करके ३० अप्रैल, १९६१ तक प्रतिवदन दे ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

---

## स्थगन प्रस्ताव

### ओटावा में भारतीय उच्च आयोग के प्रथम सचिव की गोली लगने से मृत्यु

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। उसका संबंध ओटावा स्थित भारतीय उच्च आयोग के प्रथम सचिव को गोली मार कर उनकी हत्या कर दिये जाने के समाचार से है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): इस मामले में स्थगन प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में वक्तव्य दिया जा सकता है। मैं इसके बारे में जो कुछ जानता हूं वह सदन के समक्ष रखता हूं। मुझे सभा को यह सूचित करते हुये काफी खेद अनुभव होता है कि ओटावा स्थित हमारे उच्चायोग में प्रथम सचिव की हैसियत से काम करने वाले श्री शंकर पिल्ले की गोली मार कर हत्या कर दी गयी है। वह हमारे विदेश सेवा के एक प्रसिद्ध सदस्य थे। वह होनहार नवयुवक थे। अभी तक जो जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार इस हत्या के पीछे कुछ विशेष कारण दिखाई नहीं देता। यह बात है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें गोली मारी है, उसकी शायद पदावनति कर दी गयी थी। उस व्यक्ति ने यह कहा था कि उसे भारत जाने के लिय बीसा दे दिया जाय और उसे भारत में कोई अच्छी नौकरी दिला दी जाय। उस व्यक्ति से एसा किये जाने का कोई आश्व सन नहीं दिया गया था।

हत्यारा किसी प्रकार श्री पिल्ले के कमरे में पहुंच गया। वहां वह अकेले ही बैठे थे। उसने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी और इसके बाद वह बाहर चला गया। आजकल जो राइफल चलती है उसकी आवाज बहुत तेज नहीं होती। कुछ समय तक किसी को इस बात का पता भी न लगा कि श्री पिल्ले की हत्या हो गयी है। कुछ समय पश्चात् हत्यारे ने स्वयं ही अपने आप को पुलिस के पास समर्पित कर दिया। उस व्यक्ति के बारे में अभी तक बहुत कुछ मालूम नहीं हुआ। इतना ही पता चला है कि वह यूगोस्लावियन जन्म से कनाडा का नागरिक था।

यह बड़ी असाधारण बात है। कनाडा के प्रधान मंत्री ने भी दुःख और खेद का तार भेजा है। यह सारा मामला किस प्रकार हो गया इसकी जांच की जायगी।

†अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री ने सारे तथ्य सदन के समक्ष रख दिये हैं। बाद में जो होगा वह सदन को बतायेंगे। अब इस मामले को और आगे ले जाना अनावश्यक है।

---

## पूर्वोत्तर रेलवे पर सिलीगुड़ी के निकट रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): कल रात पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के सिलीगुड़ी स्टेशन के निकट एक गम्भीर रेल-दुर्घटना हो गई है। रात को लगभग १० बजकर १० मिनट पर, जब उत्तर बंगाल एक्सप्रेस संख्या ६ डाउन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अलीपुर द्वार–सिलीगुड़ी सैक्शन में सिवोक और गुल्मा स्टेशनों के बीच जा रही थी, तब उसका इंजन और ७ डिब्बे पटरी से उतर कर उलट गये। उसके परिणामस्वरूप, अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार, १० व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और ८३ हताहत हुये, जिनमें से २८ को गम्भीर चोटें आई हैं। घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के बाद सिलीगुड़ी और अलीपुर द्वार अस्पतालों में भेज दिया गया है।

दुर्घटना-स्थल पर चिकित्सीय सहायता गाड़ी तुरन्त भेज दी गई थी। उसके साथ रेलवे जिला अधिकारी और रेलवे डाक्टर लोग गये थे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महा प्रबन्धक भी अपने विभागीय प्रधानों के साथ वहां के लिये रवाना हो गये हैं। असैनिक और पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर प्रारम्भिक जांच कर रहे हैं। सन्देह यह है कि पटरी की तोड़फोड़ की गई थी। रेलवे का सरकारी पर्यवेक्षक इस दुर्घटना की संविहित जांच करेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं कि इस दुर्घटना के शिकार बनने वाले यात्रियों को अधिकतम सहायता दी जाये।

आज रेलवे मंत्री भी उस स्थल पर जा रहे हैं।

---

## विनियोग (संख्या २) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** (खम्मम) : रेलवे द्वारा नित्य ही लगभग ४० लाख यात्री सफर करते हैं। उनकी सुरक्षा का दारोमदार रेलवे पर्यवेक्षण विभाग की कार्यक्षमता पर ही है।

१९५८–५९ में ७,७९७ और १९५९–६० में ७,७१९ रेलवे दुर्घटनायें हुई थीं। पहले वर्ष में १७७ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, और दूसरे वर्ष में २०६ की।

रेलवे के वरिष्ठ पर्यवेक्षक का कर्त्तव्य है कि वह नियमित रूप से रेलवे मार्ग का पर्यवेक्षण करे। लेकिन उसने ३५,००० मील में से केवल १५,००० मील के मार्ग का ही पर्यवेक्षण किया है। मार्ग ठीक न होने के कारण दुर्घटनायें होती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि शेष २०,००० मील के मार्ग का पर्यवेक्षण क्यों नहीं किया गया है।

खानों में किसी भी सुरक्षा विधि को हटाने के लिये, खानों के मुख्य पर्यवेक्षक की अनुमति लेनी पड़ती है। इसी तरह रेलवेज़ में भी खतरे की जंजीर को निष्प्रभावी बनाने के लिये रेलवेज़ के मुख्य पर्यवेक्षक की अनुमति ली जानी चाहिये।

बड़ी विचित्र सी बात है कि लखनऊ पर्यवेक्षण सर्किल का कार्यालय कलकत्ता में रखा गया है। उसे लखनऊ ही में होना चाहिये।

रेलवेज़ के मुख्य सरकारी पर्यवेक्षक का वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाना चाहिये, जिससे कि सभा उस पर चर्चा कर सके।

रेलवे सर्किलों का पुनर्गठन किया जाना चाहिये। कोई सर्किल तो, बम्बई सर्किल की भांति १०,००० मील रेलवे मार्ग तक फैला हुआ है और किसी में केवल ७,००० मील लम्बा मार्ग है। इसका क्या औचित्य है।

दक्षिण पूर्व रेलवे में दो नई लाइनों का निर्माण हो रहा है। उनके महा प्रबन्धक का कार्यालय तो वाल्टेयर में है लेकिन सर्किल का प्रधान कार्यालय कलकत्ता में। इसका क्या कारण है?

किसी भी नई रेलवे लाइन के निर्माण के बाद, उसे चालू करने की अनुमति रेलवेज के मुख्य सरकारी पर्यवेक्षक से लेनी पड़ती है। लेकिन मुख्य पर्यवेक्षक की अनुमति मिलने में बड़ा विलम्ब हो जाता है। यह नहीं होना चाहिये।

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि रेलवेज़ के सरकारी पर्यवेक्षकों का वेतन बढ़ा दिया गया है। आशा है अब इन पदों पर अधिक प्रतिभाशाली इंजीनियर आयेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ।

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) : माननीय सदस्य ने कहा है कि लखनऊ पर्यवक्षण सर्किल कलकत्ता जैसे शहर में है जहां स्थान का इतना अभाव है। अभाव अवश्य है, पर रेलवेज के पास लखनऊ में स्थान का जितना अभाव है, उतना कलकत्ता में नहीं। दुर्घटना होने पर पर्यवेक्षक कलकत्ता से दुर्घटना स्थल पर बड़ी शीघ्रता से जा सकता है। हम अपनी ओर से हर दुर्घटना की जांच कराते हैं। माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि लखनऊ में ही सर्किल का कार्यालय स्थानांतरित किया जा सके।

सर्किलों का विस्तार पर्यवेक्षकों की सहूलियत देखकर निश्चित किया जाता है। इसीलिये बम्बई सर्किल में १०,००० मील और दक्षिण रेलवे के एक सर्किल में केवल ७,००० मील रखे गये हैं।

रेलवे अधिकारियों द्वारा सूचित किये जाने पर, हम लाइनों की जांच कराते हैं। पर्यवेक्षक का अधिकार है कि वह लाइनों की जांच करे।

श्री रघव ने कहा है कि अभी तक केवल १५,००० मील लम्बे मार्ग का ही पर्यवेक्षण किया गया है। प्रतिवेदन में यह भी दिया गया है कि शेष रेलवे मार्ग का पर्यवेक्षण स्वयं महाप्रबंधकों ने किया है। महाप्रबंधकों का प्रतिवेदन संतोषप्रद न होने पर ही, रेलवे पर्यवेक्षक उसका पर्यवेक्षण करने जाता है।

दूसरी शिकायत है कि नई लाइनों को चालू करने की अनुमति मिलने में विलम्ब होता है। मैं इसकी जांच करूंगा। कोशिश यही होगी कि नयी लाइनों का पर्यवेक्षण अविलम्ब पूरा हो जाये।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में व्यय के लिये भारत की संचित निधि में में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।**

†श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

†मूल अंग्रेजी में

## वित्त विधेयक--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री मोरारजी देसाई द्वारा १६ अप्रैल, १६६१ को प्रस्तावित वित्तीय वर्ष १६६१-६२ के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर आगे विचार करेगी ।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर): मैं इस सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। क्या वित मंत्री द्वारा घोषित विमुक्ति एक पाली चलने वाले सभी शक्ति-चालित करघों पर लागू होगी?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: घोषणा से स्पष्ट है कि विमुक्ति केवल उन शक्ति-चालित करघों को ही मिलेगी जो एक पाली चलते हैं।

†**श्री खाडिलकर** : एक औचित्य प्रश्न है। यह रियायत विभेदकारी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस रियायत के कारण इस विधेयक में कोई संशोधन करना पड़ेगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : जी, नहीं। केवल एक अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। इससे अधिक कुछ नहीं। इसके तो उल्लेख की भी आवश्यकता नहीं थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह रियायत वित्त विधेयक से बिलकुल असम्बद्ध ढंग से दी जा सकती है। इसलिये उसके विभेदकारी होने न होने का विषय इस चर्चा से उत्पन्न नहीं होता। माननीय सदस्य इसका उल्लेख सामान्य चर्चा के समय कर सकते हैं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना): पिछले दस वर्ष में खाद्य उत्पादन की औसत वृद्धि केवल १ करोड़ टन ही रही है। फिर हम तृतीय योजना का दस करोड़ टन का लक्ष्य कैसे पूरा कर पायेंगे? इसके लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि-उत्पादन की वृद्धि के लिये अत्यावश्यक है कि कृषि सम्बन्धी प्रशासकीय व्यवस्था का पुनर्गठन किया जाये। उसमें कार्यक्षमता पैदा की जाये। कृषीय प्रशासन समिति के प्रतिवेदन में, १६५८ में ही, कहा गया था कि कृषि विभाग को समुचित महत्व देना जरूरी है और कृषीय प्रशासनिक सेवाओं में अधिकारियों के वेतन समुचित होने चाहियें।

**[पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

उसकी एक सिफारिश यह भी थी कि एक अखिल भारतीय कृषि सेवा बनाई जाये।

लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। राज्यों के कृषि मंत्रियों ने इन सिफारिशों को स्वीकार भी कर लिया था। इन पर तुरंत विचार किया जाना चाहिये।

मूल्यों में स्थायित्व लाने के प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने अप्रैल १६६० में कहा था कि किसानों को भी समुचित मूल्य मिलना चाहिये। उन्होंने बताया था कि अन्य देशों में मूल्यों को स्थिर बनाये रखने के लिये सरकार कितनी-कितनी सहायता देती है। इसी प्रश्न पर विचार करने के लिये मुख्य मंत्रियों और योजना आयोग की बैठक बुलाई गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अजित सरहदी]

लेकिन पूरे एक वर्ष तक उसके बारे में कुछ नहीं किया गया है। वचन देने के बाद भी, मूल्य-निर्धारण समिति नियुक्त नहीं की गई है। वचन दिया गया था कि किसानों के लिये खाद्य उत्पादों का समुचित मूल्य निर्धारित करने के लिये एक समिति नियुक्त की जायेगी। हमारे यहां यह हाल है, जबकि अमरीका अपने यहां मूल्यों के स्थिरीकरण के लिये ३,००० करोड़ पये व्यय करता है?

कृषि का आधार सुदृढ़ बनाये बिना देश औद्योगिक प्रगति नहीं कर सकता। वित्त मंत्री ने स्वयं कहा है कि १९६० में कारखानों द्वारा तैयार वस्तुओं के मूल्य ११ प्रतिशत बढ़े और चावल के भाव ७ प्रतिशत तथा गेंहू के भाव ११ प्रतिशत गिरे हैं। वित्त मंत्री को इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

कृषि-श्रम जांच समिति द्वारा जुटाये गये आंकड़ों के अनुसार खेतिहर परिवारों की औसत आय १९५६-५७ में ४९२ रुपये, अर्थात् ९८ रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष थी। उसकी तुलना में नैमित्तिक खेतिहर श्रमिकों के प्रति परिवार की आय प्रति व्यक्ति ८४ रुपये प्रति वर्ष है।

१९६१ की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार द्वितीय योजना के प्रथम चार वर्षों में प्रति व्यक्ति आय २७५.६० रुपये से बढ़कर २७६ रुपये प्रति वर्ष हो गई है। स्पष्ट है कि खेतिहर मजदूरों की आय बहुत ही कम है। उनको साल में छः महीने तो काम ही नहीं मिलता।

खाद्य-उत्पादन की वृद्धि के लिये आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, कृषीय ऋण और औजार जुटाये जायें।

माननीय मंत्री ने कराधान प्रस्तावों में कुछ रियायतों की घोषणा की है। मैं उनको बधाई देता हूं, पर कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों पर और ज्यादा जोर दिया जाना चाहिये था।

अप्रत्यक्ष कराधान की आलोचना मेरी समझ में नहीं आती। अन्य सभी देशों में, कहीं कहीं तो ७० प्रतिशत तक, अप्रत्यक्ष कराधान होता है। आन्तरिक संसाधनों की अपर्याप्तता का कारण हमारी कृषि का अपर्याप्त विकास ही है।

यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि अगले पांच वर्षों में हमें सरकारी औद्योगिक परियोजनाओं से ४४० करोड़ रुपये की आय होगी।

हमारे देश में सेना-कर्मचारियों की निवृत्ति-आयु बहुत कम है। निवृत्त सेना-कर्मचारियों को असैनिक सेवाओं में काम करने का अवसर दिया जाना चाहिये। अशोका होटल में हम इसका लाभ देख चुके हैं। उससे असैनिक सेवाओं में अनुशासन की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा।

मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री नागी रेड्डी** (अनन्तपुर) : तृतीय योजना काल का यह पहला वित्त विधेयक है। इससे विदेशी और देशी एकाधिकारियों को ही प्रसन्नता हुई है। माननीय मंत्री उनका ही प्रतिनिधित्व करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मोरारजी देसाई : मैं उनका नहीं, सूरत निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां एक भी एकाधिकारी नहीं है।

†श्री नागी रेड्डी : यह वित्त विधेयक एकाधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है। उनको इससे प्रसन्नता हुई है। स्टाक एक्सचेंजों ने इस पर हर्ष प्रकट किया है।

सामान्य जनता का इस आय-व्ययक से निराशा हुई है।

सरकार ने पिछले चार वर्षों में एकाधिकारियों को कर सम्बन्धी अनेक रियायतें दी हैं। एकाधिकारी इसे अपनी सैद्धान्तिक विजय मानते हैं, और अधिक रियायतों की मांग कर कर रहे हैं। विभिन्न वित्त निगमों के जरिये सरकार निजी क्षेत्र को अधिकाधिक धन जुटाती जा रही है।

निर्यात संवर्धन की बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन निर्यात-व्यापार की वृद्धि में मुख्य कठिनाई यह है कि दूसरे देश निर्यात प्रतियोगिता में हमसे आगे हैं। वे हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। पाश्चात्य देशों के एकाधिकारी उसमें कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं।

यह सोचना गलत है कि हमारा निर्यात व्यापार इसलिये नहीं बढ़ पाता कि हमारी आन्तरिक खपत अधिक है।

साथ ही, यह धारणा भी गलत है कि जनता पर कर बढ़ाकर, और इस तरह आंतरिक मूल्य बढ़ाकर निर्यात संवर्धन किया जा सकता है।

हमारी गलती यह है कि हमने कुछ पूंजीवादी एकाधिकारी देशों का सहारा लिया है।

पूंजीवादी देशों की अर्थ-व्यवस्था के अपने आंतरिक अन्तर्विरोध हैं। वे यदि हमारे निर्यात खपाने लगें, तो उनका व्यापार-संतुलन बिगड़ जाता है। उनकी पूरी अर्थ-व्यवस्था में संकट पैदा होने लगता है।

दूसरी ओर समाजवादी देश हैं। वे हमारे साथ आयात और निर्यात दोनों ही के लिये तैयार हैं। उनके यहां इससे ऐसी आंतरिक कठिनाइयां पैदा नहीं होतीं। इसलिये हमें समाजवादी देशों के साथ ही अपना निर्यात व्यापार बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये। वैसे उनके साथ हमारा व्यापार क्रमशः बढ़ भी रहा है और उसकी अपार संभावनायें मौजूद हैं?

अमरीका से हमें ट्रौम्बे स्थित फैक्टरी के लिये जो ऋण मिला है, वह बिना शर्त नहीं है। मैंने अमरीकी दूतावास द्वारा जारी किया हुआ एक संवाद-पत्र देखा है। उनका जोर है इस ऋण की भावी संभावनाओं पर, क्योंकि करार की एक शर्त यह है कि भारत सरकार अपने देश के उर्वरक कारखानों में निजी अमरीकी पूंजी लगाने की अनुमति देगी।

यदि वित्त मंत्री देश को उस दिशा में ले जायेंगे, तो वह हमारे लिये घातक होगा। आशा है वित्त मंत्री इसमें सावधानी से आगे बढ़ेंगे।

†श्री मी० रु० मसानी (रांची-पूर्व) : सभापति महोदय, अपना भाषण प्रारम्भ करने के पूर्व मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह मेरी बातों का उत्तर अवश्य दें क्योंकि पिछली बार उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुझे माननीय मंत्री की सच्चाई और

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मी० रु० मसानी]

ईमानदारी में पूर्ण विश्वास है परन्तु कभी कभी बहस के जोश में वह ऐसी बातें कहे जाते हैं जो उनको शोभा नहीं देती हैं । मैं आशा करता हूं कि इस बार वह सद्‌भावना बनाये रखेंगे ।

पिछली बार बजट पर चर्चा के दौरान हमने अप्रत्यक्ष कराधान का विरोध किया था। आज मैं मुख्यतः प्रत्यक्ष कराधान के उपायों के सम्बन्ध में ही निवेदन करूंगा । सब से पहले मैं अधिक आमदनी पर अतिरिक्त कर का उल्लेख करूंगा जिसकी दर १ लाख रुपए से अधिक अर्जित आय पर ५ प्रतिशत से बढ़ा कर १० प्रतिशत कर दी गई है । यह तर्क बेकार है कि वह केवल तीन करोड़ रुपए है क्योंकि हमारे देश में प्रत्यक्ष करों का भार पहले ही बहुत अधिक है । स्वयं तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि हमारे प्रत्यक्ष कर इतने अधिक हैं कि अब उनके बढ़ाए जाने की गुंजाइश ही नहीं रह गई है। इसके बावजूद ऐसा किया जा रहा है । इसके विपरीत ब्रिटेन में हाल में इस सम्बन्ध में कुछ छूट दी गई है जिससे बहुत से लोगों को राहत मिली है । परन्तु हमारे यहां जो कर लगाए जा रहे हैं उनसे व्यापारियों, मैनेजरों, व्यवसायियों और उच्च असैनिक अधिकारियों को सब से अधिक कठिनाई होगी जिनसे बचत करने तथा देश के उत्पादक कार्यों में उसे लगाने की उम्मीद की जा सकती है । इस प्रकार ब्रिटेन का बजट इस मामले में प्रगतिशील कहा जायेगा, और हमारा बजट प्रतिगामी कहा जाएगा ।

मैं इसका निर्देश इसलिए कर रहा हूं कि इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न सन्निहित है कि अधिक आय देश के लिए अच्छी है या बुरी ? इस देश में साम्यवादियों तथा अर्ध-साम्यवादियों द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है कि अधिक आय देश के लिए बुरी है । इस प्रचार के पीछे ईर्ष्या की भावना है जिसे समाजवाद के शानदार नाम से पुकारा जाता है ।

अच्छी कराधान व्यवस्था क्या है ? अमरीका की आर्थिक विकास समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह विचार व्यक्त किया है कि कर इतने होने चाहिएं कि सरकार का खर्च चल सके। परन्तु यह आवश्यक है कि कर इतने अधिक न हों कि नागरिकों की पूंजी निर्माण करने की प्रेरणा नष्ट न हो जाये। हम सभी लोग यह मानते हैं कि इस समय पूंजी निर्माण भारत की परम आवश्यकता है । चूंकि हमारे देश में ८५ से ९० प्रतिशत तक उत्पादन नागरिकों द्वारा किया जाता है इसलिए पूंजी निर्माण भी मुख्यतया वही करते हैं, सरकार नहीं । हमारे पूंजी निर्माता व्यापारी, वकील, डाक्टर, इंजीनियर तथा उच्च असैनिक अधिकारी ही हैं क्योंकि वही अपनी आय में से कुछ बचाकर उद्योगों में विनियोजित कर सकते हैं। परन्तु उन पर अधिक कर लगा कर पूंजी निर्माण के कार्य में बाधा डाली जा रही है । पूंजी निर्माण लाभ पर निर्भर करता है । यदि लाभ नहीं होगा तो पूंजी कहां से बनेगी ।

इस प्रत्यक्ष कराधान का देश के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ? राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक गवेषणा परिषद् ने इस सम्बन्ध में अध्ययन किया है । उसने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि औद्योगिक विकास और लाभ की दर कम होती जा रही है । पिछले दस वर्षों में लाभ बहुत कम हो गया है । इसके बावजूद यदि हमारे उद्योग जीवित हैं तो उसका कारण हमारे लोगों की उद्यम की भावना है । दूसरी बात यह सामने आई है कि बचत की दर स्थिर हो गई है और सरकार के भरसक प्रयत्नों के बावजूद वह ८ प्रतिशत के आसपास ही टिकी हुई है । अतः प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया गया है कि सरकार को बचत की दर बढ़ाने के सम्बन्ध में ध्यान देना चाहिए ।

जहां तक पूंजी और शक्ति के केन्द्रीयकरण का प्रश्न है, प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि लोगों को पूंजी का संचय करने दिया जाए। अतः प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई है कि अतिरिक्त कर की सीमा बढ़ा दी जाए ताकि वह अधिक उच्च स्तर पर लागू हो। परन्तु खेद है कि सरकार ने इस निष्कर्ष के बिल्कुल विपरित करना ही ठीक समझा है और उसके पक्ष में "समता" और "समाजवाद" की दुहाई दी जाती है। परन्तु मेरा निवेदन है कि समता विकास और प्रगति के संदर्भ में असंगत है। पिछले ३० या ४० वर्षों के अनुभव से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। स्टालिन ने १९३२ में ही यह घोषित कर दिया था कि समता एक बुर्जुआ धारणा है जो आदिम समाज के ही योग्य है और उसका समाजवाद के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है। यही कारण है कि रूस में मैनजरों को मजदूरों से कहीं अधिक वेतन दिया जाता है तथा उनकी आमदनियों में जितना अन्तर है वह ब्रिटेन और अमरीका से भी अधिक है। वास्तव में रूसी गहुत यथार्थवादी हैं और उन्होंने यह जान लिया है कि जीवन में असमानता आवश्यक है और समस्त इतिहास इस बात का साक्षी है कि असमानता के बिना मनुष्य की प्रगति असंभव है। अतः यह एक आवश्यक बुराई है जिसको सहन करना ही होगा।

हाल में एक रूसी विचारक श्री कोसीगिन भारत आए थे। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि राज्य के उपक्रमों में कर्मचारियों को उतने अच्छे वेतन नहीं मिलते हैं जितने कि गैर-सरकारी उद्योगपति देते हैं। परन्तु इस देश में उनके अनुयायियों के विचार सर्वथा भिन्न हैं। श्री भूपेश गुप्त ने राज्य सभा में कहा कि राज्य के उद्योग क्षेत्र के बाहर के लोगों के वेतन कम कर के असैनिक कर्यचारियों के स्तर पर कर देने चाहिएं। जाहिर है कि वह देश की प्रगति नहीं चाहते हैं। खेद है कि कांग्रेस दल के सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया। मेरा विचार है कि यदि हम राज्य के उद्यमों में कार्यदक्ष मैनेजर चाहते हैं तो हमें उनको अधिक वेतन देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाल में ब्रिटेन में डा० बीचिंग की नियुक्ति के सम्बन्ध में जब कामन्स-सभा में उनको दिये जाने वाले २६,००० रुपये के मासिक वेतन का विरोध किया गया था तो सरकार ने यही उत्तर दिया था कि बिना अच्छा वेतन दिये हमें योग्य व्यक्ति नहीं मिल सकते हैं। वास्तव में समाजवाद की सही भावना यही है—समृद्धि की ओर बढ़ना, निर्धनता की ओर नहीं।

यदि हम विदेशों की ओर दृष्टि डालें तो ज्ञात होगा हमारे देश में संभवतः सर्वाधिक कर भार है। हमारे यहां आज १,०६,००० रुपये की आय वाले व्यक्ति को अपनी अर्जित आय का ५३.१ प्रतिशत करों के रूप में देना पड़ता है जब कि ब्रिटेन में ४६.२ प्रतिशत, पश्चिम जर्मनी में ३५.५ प्रतिशत, फ्रांस में २५.९ प्रतिशत, अमरीका में २३.१ प्रतिशत, कनाडा में २७.१ प्रतिशत और जापान में ३६.८ प्रतिशत देना पड़ता है। केवल नार्वे एक ऐसा शदेश है जहां हमारे देश से अधिक कर हैं। इसीलिए, फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक आफ न्यूयार्क की कार्यकारिणी समिति के सभापति श्री रिचार्ड पर्किस ने यह कहा था भारत में कर की दर सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि इसी करण विदेशी पूंजी भारत में नहीं आती है। कहना नहीं होगा कि इस समय हमें अपने देश के विकास के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता है ताकि यहां अधिकाधिक उद्योग खुलें और हमारे लोगों को रोजगार मिल सके। अतः हमें विदेशी पूंजी आकर्षित करने का उपाय करना चाहिए न कि उसे आने से रोकने का।

†श्री नथवानी (सोरठ) : वित्त विधेयक में ६० करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर लगाए गए हैं। उनकी आलोचना में यह कहा गया है कि अप्रत्यक्ष कर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि जनसाधारण के लिए उनका भार असहनीय हो गया है जब कि धनवान व्यक्ति प्रत्यक्ष कराधान से बिल्कुल बच जाते हैं। यदि हम दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं पर कराधान के प्रभाव की जांच करें तो ज्ञात होगा कि पिछले दस वर्षों में देशानांकों पर अप्रत्यक्ष कराधान का प्रभाव लगभग $^1/_2$ प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसलिए श्रमिक वर्ग की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं पर उत्पादन शुल्कों के परिणामस्वरूप पिछले पांच वर्षों में ५ रुपये का औसत निकलता है। क्या इसे बहुत अधिक कहा जा सकता है? यह ठीक है कि उनका कुछ भार अवश्य पड़ता है परन्तु उनको बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता है।

यह कहा गया है कि जहां तक प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि का सम्बन्ध है, उनमें उतनी वृद्धि नहीं हुई है। मैं इस भ्रांति को दूर कर देना चाहता हूं। यदि हम गत वर्ष के बजट प्राक्कलनों की इस वर्ष के प्राक्कलनों से तुलना करें तो ज्ञात होगा कि १९६०–६१ के बजट प्राक्कलन में प्रत्यक्ष करों का कुल कराधान से अनुपात ३१·२ प्रतिशत है और वस्तुओं तथा सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर ६८·८ प्रतिशत होते हैं। इस वर्ष के वित्त विधेयक में यद्यपि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि हुई है फिर भी उसका प्रतिशत गत वर्ष के बराबर ही है। जो लोग यह कहते हैं कि प्रत्यक्ष कराधान की दरों में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है वे यह भूल जाते हैं कि पिछले तीन वर्षों में हमने अर्जित आय पर प्रत्यक्ष कर न केवल बढ़ाए हैं वरन् आय का कुल योग लगाने की प्रणाली समाप्त कर दी है जिसका परिणाम यह हुआ है कि आयकर और समवाय आदि पर कर के रूप में हमारे प्रत्यक्ष कराधान में ठोस वृद्धि हुई है।

परन्तु मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्यक्ष कराधान में सुधार की गुंजाइश नहीं है। मेरा विचार है कि अब समय आ गया है कि हमें अपने कर के ढांचे का तीसरी पंच-वर्षीय योजना की आवश्यकताओं के अनुसार पुनरीक्षण करना चाहिए। धन-कर, व्यय कर, उपहार-कर और सम्पदा शुल्क से हमें जो धन मिला है उस से उन के लगाने का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है क्योंकि उन में हमने बहुत सी छूटें और रियायतें दे दी थीं। परिणाम स्वरूप इन सब करों से हमें जो धन मिला वह नगण्य है। मेरा विचार है कि इन करों में आवश्यक सुधार कर के उन के उपबंधों को कड़ा बनाया जाना चाहिए। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो यह कहते हैं कि उन्हें सर्वथा समाप्त ही कर देना चाहिए। मेरा सुझाव है कि यदि हम अभी सम्पदा शुल्क और उपहार कर के विधान को एक दूसरे से जोड़ नहीं सकते तो दो वर्ष की अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष तो कर ही सकते हैं और इस अवधि से पूर्व दिए गए उपहारों पर भी कर लगाया जाना चाहिए।

जहां तक बोनस का संबंध है, वित्त मंत्री ने कहा कि वह उसे खत्म कर नहीं सकते। यदि हम इस कर के इतिहास पर नजर डालें तो ज्ञात होगा कि यह कर अतिरिक्त लाभांशों पर लगाए गए कर की योजना के अंग के रूप में लगाया गया था। अब चूंकि वह कारण समाप्त हो गया है अतः सरकार को इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

†मूल अंग्रेजी में

अंत में मैं जीवन बीमा निगम के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । प्राक्कलन समिति ने यह सिफारिश की है कि सरकार निगम की विनियोजित की जाने वाली पूंजी अपने हाथ में ले ले। इस के समर्थन में दो तर्क पेश किए गए हैं: प्रथमतः उस से योजना कार्यक्रम में सहायता मिलेगी और दूसरे उस से उद्योगों के विकेन्द्रीकरण और देश के सामाजिक विकास का उद्देश्य अधिक अच्छी तरह पूरा हो सकेगा । परन्तु मेरा विचार है कि यह प्रस्ताव बीमा व्यवसाय के लिए अहितकर है । यदि उसे क्रियान्वित किया गया तो बीमा व्यवसाय की जड़ पर कुठाराघात होगा। व्यापार प्राप्त करने और विनियोजन का कार्य एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है । यदि प्राक्कलन समिति विकेन्द्रीकरण और सुनियोजित कार्यक्रमों के हित के लिए उत्सुक है तो अधिनियम में इस के लिए पर्याप्त उपबन्ध है कि सरकार निगम को पूंजी लगाने के संबंध में निदेश दे सके ।

†श्री च० द० पांडे (नैनीताल): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने कल जिन छूटों की घोषणा की थी उनका लोगों ने स्वागत किया है । मेरा विचार है कि वित्त मंत्री ने थोड़े से लाभ के लिए बहुत सी वस्तुओं पर कर लगा दिए हैं। यह ठीक नहीं है और जिस वस्तु से कम से कम १ करोड़ रुपए न मिलते हों उस पर कर न लगाना ही अधिक अच्छा होगा । जब भी कोई कर लगाया जाता है तो उसका असर यह होता है कि वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ जाते हैं। यदि १ करोड़ रुपए का कर लगाया गया है तो उपभोक्ता को ३ करोड़ रुपए अधिक देने पड़ेंगे । अतः मैं वित्त मंत्री से यह अपील करूंगा कि कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि उपभोक्ता पर करों का उतना ही भार पड़े जितना कि सरकार को धन मिलता है । लोग कराधान के उतने विरुद्ध नहीं हैं जितने कि उस के परिणामस्वरूप होने वाली मूल्य वृद्धि के ।

यदि हम पिछले दिन तीन या चार वर्षों के बजट प्राक्कलन देखें तो ज्ञात होगा कि एक ओर तो हम अपनी आय के बारे में कम अनुमान लगाते हैं और दूसरी ओर व्यय का अनुमान लगाते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष १९५९-६० में आय कर और कस्टम शुल्क से १३२ करोड़ की आय का अनुमान लगाया गया था और उत्पादन शुल्कों से ३२४ करोड़ रुपए का । परन्तु वास्तविक वसूली क्रमशः १५६ करोड़ रुपए और ३६० रुपए हुई । इस प्रकार क्रमशः २४ और ३६ करोड़ रुपए की अधिक आय हुई। यही स्थिति व्यय के संबंध में भी है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आय और व्यय के इस अन्तर के कारण कुछ राशि आवश्य बचनी चाहिए और यदि ऐसा नहीं होता है तो कोई गड़बड़ अवश्य है ।

जब मैं १९५०-५१ में संसद में आया था तो बजट केवल ३०० करोड़ रुपए का था जो अब बढ़ते बढ़ते १,०२३ करोड़ रुपये का हो गया है । इस से मालूम होता है कि हमारे लोगों की कर देने की क्षमता बहुत अधिक है । केन्द्र के अतिरिक्त वे राज्यों और नगरपालिकाओं को भी कर देते हैं। तीनों प्रकार के कर मिलाकर प्रतिव्यक्ति ७५ रुपए पड़ते हैं। मेरा विचार है कि ३०० रुपए की प्रतिव्यक्ति आय पर ७५ रुपये प्रति व्यक्ति कर बहुत अधिक है । संसार के किसी भी देश में इतना कर नहीं होगा । परन्तु हम इतने कर इसलिए दे रहे हैं कि हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री च० द० पांडे]

कहा जाता है कि हमारा उत्पादन बढ़ रहा है। यह ठीक है कि कुछ चीजों में हमारा उत्पादन बढ़ा है, जैसे दियासलाई, मशीनें, रेफरेजरेटर, साईकिलें आदि । परन्तु ये बहुत छोटी वस्तुयें हैं। खाद्यान्न, इस्पात, सीमेंट, कपड़ा, कोयला और उर्वरकों के संबंध में हम उत्पादन लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके हैं । खाद्यान्न में हमारा लक्ष्य ८ करोड़ टन था परन्तु हम ७ करोड़ ५० लाख टन ही उत्पादन कर सके। इस्पात का लक्ष्य ४५ लाख टन था परन्तु वास्तव में २२ लाख टन ही उत्पादन हो सका। सीमेंट का लक्ष्य १ करोड़ ३० लाख टन का था परन्तु ८० लाख टन ही प्राप्त किया जा सका। यही स्थिति कपड़ा, उर्वरकों और कोयले के उत्पादन की भी है । ये कमियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनमें प्रगति न होने से अन्य दिशाओं में की गई प्रगति व्यर्थ जाएगी । हमें रुपया देने में कोई एतराज नहीं है परन्तु लक्ष्य भी तो पूरे होने चाहिए ।

दूसरी आवश्यक बात यह है कि जो कुछ भी खर्च किया जाये वह ठीक ढंग से हो और अपव्यय न हो। हम प्रतिवर्ष सरकार का ध्यान अपव्यय की ओर आकर्षित करते हैं परन्तु इस दिशा में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है । विभिन्न सम्मेलनों, गोष्ठियों, बैठकों और यात्राओं पर बहुत अधिक व्यय किया जाता है । सरकार को प्रत्येक कार्य मितव्ययता से करने का प्रयत्न करना चाहिए । बहुत से प्रकाशन बिल्कुल बेकार होते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि केवल आवश्यक कार्य किए जायें ।

अंत में मैं आय कर के संबंध में कुछ निवेदन करूंगा । वित्त मंत्री को मध्य वर्ग के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए क्योंकि उसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अतः ३००० रुपए की जो सीमा रखी गई है वह ठीक नहीं है । सरकार ने एक ओर तो कुछ वेतन वृद्धि की है परन्तु दूसरी ओर आयकर की छूट की सीमा कम कर के उस लाभ को खत्म कर दिया है । सरकार को इस वर्ग की विवशताओं को महसूस करना चाहिए । उन से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे मजदूरों की तरह रहने लगें । मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

†**श्री गोरे** (पूना) : वित्त मंत्री महोदय ने इस बार वित्त विधेयक द्वारा सभी छोटे बड़ों को अपने जाल में फंसाने का प्रयत्न किया है । शब्द जाल द्वारा सबको सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। यह नीति ठीक नहीं है कही जा सकती। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के सभी चीनी के कारखानों में काफी मात्रा में चीनी उपलब्ध होती है । इस चीनी से काफी आय हो सकती है, परन्तु इसे नष्ट किया जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसे इस के लिए कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि इसका समुचित उपयोग हो सके।

बिजली से चलने वाले करघों पर भी कर लगा दिया गया है । अकेले महाराष्ट्र में बिजली के अधिकृत अथवा अनधिकृत ५० हजार करघे हैं। उन्हें इस से बड़ी भारी हानि पहुंच रही है । इस उद्योग के अधिकांश भाग में एक से चार तक करघे हैं । इस सम्बन्ध में जो यह धारणा फैली है, वह गलत है कि जो छोटे छोटे कारखाने तीन पालियों में चल रहे हैं, वे बहुत लाभ उठा रहे हैं । उन्होंने इस प्रकार के सभी कारखानों

†मूल अंग्रेजी में

पर कर लगाया जाना चाहिए । वास्तविकता यह है कि इन कारखानों की आय बहुत ही कम है और उन पर कर लगाना अन्यायपूर्ण है। यदि इस लघु उद्योग पर भारी कर लगाये गये तो उनके सामने एक ही मार्ग होगा कि ये सब कारखाने बन्द कर दिये जांय । कुछ स्थानों पर यह कारखाने बन्द भी कर दिये गये हैं।

यदि केवल उन कारखानों को कर से मुक्त कर दिया गया जो कि केवल एक ही पाली चलाते हैं तो इस से केवल सूरत के लोगों को लाभ होगा । ऐसा करने से वित्त मंत्री के सम्बन्ध में यह धारणा पैदा होगी कि वह पक्षपात कर रहे हैं।

इस दिशा में एक बड़ी मजेदार उल्लेखनीय बात यह है कि जिन कारखानों में जितने ही कम बिजली वाले करघे हैं, उन पर कर का प्रतिशत उतना ही अधिक है । मेरा निवेदन यह है कि सरकार को इस समस्या पर पुनः गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। करों में इस प्रकार संशोधन करना चाहिये कि महाराष्ट्र के फलते फूलते उद्योग का सारा नाश न हो ।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया) : मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह अपना प्र ति-रक्षा विभाग संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दे। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि यदि हमने इस दिशा में पग उठाया तो द क्षण-पूर्व और द क्षिण प श्चमी ए शिया के देश भी इस ओर अग्रसर होंगे । मेरा निवदन यह है कि यदि हम पूर्णतः निशस्त्रीकरण करना चाहते हैं, राष्ट्र संघ को विश्व की प्रतिरक्षा सेवाओं को अपने मातहत कर लेने के बाद वह कार्य करना चाहिये । इससे यह लाभ होगा कि चीन अथवा पाकिस्तान के साथ अधिक अच्छे ढंग से बातचीत हो सकेगी। सभी प्रकार की प्रतिरक्षा का उत्तर-दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ पर आ जायेगा ।

इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि आज जो स्थिति है, इसमें निःशस्त्रीकरण आवश्यक है । यह बात तो स्वयं सिद्ध है कि यदि युद्ध आरम्भ हो गया तो कोई भी देश अपने आपको इससे अछूता नहीं रख सकेगा । कोई भी युद्ध की लपेट से बच नहीं सकेगा । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमें क्यूबा के मामले में रूस का समर्थन करना चाहिये । यदि हम चाहते हैं कि विश्व सरकार का लक्ष्य, जिसके लिये रूस प्रयत्नशील है, प्राप्त किया जाये तो हमें रूस का साथ देना चाहिये । इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता ही नहीं है ।

†**श्री बसुमतारी** (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां): वित्त मंत्री ने अपना कतथ उत्तरदायित्व खूब निभाया है इसके लिये मैं उनको मुबारकवाद देता हूं। मेरा निवेदन है कि इसमें सन्देह नहीं कि देश में काफी कार्य हुआ है, फिर भी राज्यों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असम्मानतायें हैं। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि आसाम सभी प्रकार से पिछड़ा हुआ राज्य है । इसमें सब से अधिक चाय पैदा होती है । परन्तु यह एक ठोस तथ्य है कि उसे जितनी सहायता सरकार से प्राप्त होनी चाहिये उतनी प्राप्त होती नहीं । सरकार को अपेक्षित सहायता देनी चाहिये ।

आदिम जाति के लोगों के संबंध में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इन लोगों की आर्थिक दशा शोचनीय है । ये लोग अभी तक अपनी पुरानी अवस्था में ही रह रहे हैं। सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी इन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ । इन लोगों की यह आम शिकायत है कि हमारे लोग स्नातक होने के बावजूद भी एक प्रतिशत से अधिक गजटेड पदों पर नियुक्त नहीं हो सके । आदिम जाति के लोग उन्हीं क्षेत्रों में आदिम जाति के समझे जाते हैं जिनमें वे 'आदिम जाति' घोषित किये जाते हैं । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उसे इन लोगों की समस्याओं की जांच करनी चाहिये ताकि ये लोग प्रगति करने और आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री रामशरण** (मुरादाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान तीन चार बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं ।

पहली बात तो यह है कि जैसा कि और माननीय सदस्यों ने भी कहा है, कि हमारी आय का बहुत बड़ा हिस्सा अप्रत्यक्ष करों से आता चला जा रहा है । यह मात्रा बढ़ती ही जाती है । इस साल के बजट से मालूम होता है कि दो अप्रत्यक्ष करों यानी कस्टम्स और एक्साइज द्वारा ६१.३२ प्रतिशत के करीब आय हुई और उसमें भी उत्पादन कर यानी एक्साइज से ४२, ४७ परसेंट के लगभग आय हुई । अप्रत्यक्ष करों का असर यह होता है कि जितना कि गवर्नमेंट के पास रुपया आता है उससे कहीं अधिक उपभोक्ताओं से खास तौर पर जो साधारण लोग हैं उनसे वसूल किया जाता है । मिसाल के तौर पर आप देखें कि मिट्टी के तेल पर जो कर लगाया गया है उसका असर गरीब से गरीब आदमी पर पड़ेगा । वैसे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि फाइन क्वालिटी के मिट्टी के तल पर कर लगाया गया है जो कोर्स क्वालिटी का है उस पर नहीं लगाया गया है, लेकिन फिर भी ३० रुपया फी किलो लिटर कर लगाने के कारण एक टिन की कीमत में दस बारह आने की वृद्धि हुई है और गरीब आदमी जो चार आने में एक बोतल तेल लेता था उसके लिये उसको अब साढ़े चार आने देने पड़ते हैं । पहले जो घटिया तेल का दाम बढ़ गया था गरीब आदमी को अभी भी ५० प्रतिशत की कमी की घोषणा होने पर भी उसी दाम पर मिलता है । यह खुशी की बात है कि कल वित्त मंत्री जी ने कहा है कि कोशिश यह की जायगी कि घटिया किस्म का तेल ज्या दा से ज्यादा मंगाया जाय और उसी कीमत पर वह लोगों को मिले जिस कीमत पर पहले मिलता था । तो मेरा सुझाव है कि कोई ऐसा उपाय जरूर होना चाहिये कि जितना अप्रत्यक्ष कर गवर्नमेंट को वसूल करना हो उतना या उससे कुछ ही अधिक उपभोक्ताओं से लिया जाए ।

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं खास तौर पर ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि कल वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है उससे लोगों को बहुत राहत मिली है और उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं । उस घोषणा से विशेष तौर पर बहुत से छोटे काम करने वालों को राहत मिली है । कुछ शहरों में जहां पर कि पीतल या कांसे के बरतन बनते हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश में, वहां तीन प्रकार के व्यापारी काम करते हैं । कुछ तो बड़े बड़े व्यापारी हैं जो कि अपनी मिलों में शीट और सरकिल बनाते हैं और उनसे बरतन बना लेते हैं । उनको शीट्स और सरकिल्स पर ३०० रुपया पर मीट्रिक टन के हिसाब से एक्साइज दे ने में आसानी होती है ।

दूसरे प्रकार के व्यापारी वे हैं, जो जाब वर्क करते हैं, दूसरों का काम करते हैं । उनको कठिनाई इसलिये नहीं होती है कि वे जितना काम करते हैं, दूसरों से उतना ही वसूल कर लेते हैं । लेकिन जो तीसरे प्रकार के व्यापारी हैं, वे एक या दो भट्टियां रखते हैं और गुल्ली बनाते हैं । वे जाब वर्क करने वालों के पास जाकर शीट्स और सर्कल्ज बनवाते हैं । उनको न तो इस बात की सुविधा है और न समय ही है कि वे वहीं पर उनको काटें और बर्तन बनाने का प्रयत्न करें । उन पर ज्यादा कर पड़ जाता है, क्योंकि कर बिना काटे हुये शीट्स और सर्कल्ज पर लगता है जबकि बड़े व्यापारियों पर शीट्स और सर्कल्ज पर कटे होने पर पड़ता है । इसमें छोटे और बड़े व्यापारियों में बड़ी असमानता हो जाती है । यह बड़ी खुशी की बात है कि कल वित्त मंत्री जी ने यह घोषणा की कि छोटे व्यापारियों पर ३०० रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से जो कर लगाया गया है, उसमें उनको २५ प्रतिशत का रीबेट दिया जायेगा, यानी ३०० रुपये की जगह २२५ रुपये वसूल किये जायेंगे

†मूल अंग्रेजी में

लेकिन यह मालूम हुआ है कि जब सरकारी अधिकारियों ने इस संबंध में एक्सपेरीमेंट किये तो उनको पता चला कि शीट्स और सर्कल्ज को काटने के बाद ४० प्रतिशत और कुछ बतनों में ५० प्रतिशत तक, कतरन होती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस रीबेट को २५ परसेंट से ४० परसेंट कर दिया जाय, तो छोटे काम करने वालों और बड़े काम करने वालों में समानता हो जाती है। अब भी जो कमी रह गई है, आशा है कि उसको पूरा करने की कोशिश की जायगी और छोटे उद्योग-धंधों को जो राहत दी गई है, उसमें वृद्धि की जायगी।

**†श्री मोरारजी देसाई** : उन्होंने मांगा ही २५ प्रतिशत था।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कहते हैं कि उन्होंने २५ परसेंट ही मांगा था।

**एक माननीय सदस्य** : और वे दे दिया गया।

**श्री राम शरण** : उनका जो रिप्रेजेंटेशन आया है, जो कि वित्त मंत्री जी के पास भेजा गया, उसमें उन्होंने ४० प्रतिशत की मांग की है।

**†श्री मोरारजी देसाई** : जब मेरे साथ उनकी चर्चा हुई, तो मैंने १५ परसंट का कहा। उन्होंने कहा कि अगर २५ परसेंट कर दिया जाये, तो हमें सन्तोष होगा। उन्हें २५ परसेंट दे दिया गया। जहां तक मांगने का सबंध है, वह ४० परसेंट क्या, ६० परसेंट मांग सकते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस बात का इल्म माननीय सदस्य को नहीं है।

**श्री राम शरण** : उनको जो २५ परसेंट रीबेट दिया गया है, उससे उन लोगों को जरूर राहत मिलेगी, लेकिन मेरा कहना यह है कि यदि इसमें १५ और बढ़ता, तो बड़ और छोटे व्यापारियों में समानता हो जाती।

अब मैं गुड़ और खांडसारी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आजकल गन्ने की स्थिति भयानक हो गई है। मिलों में तीस या पैंतीस प्रतिशत गन्ना खप सकता है। उसके बाद बाकी गन्ने की खपत खांडसारी और गुड़ के द्वारा होती है। इस पर पिछले वर्ष ३ रुपये से अधिक उत्पादन कर लगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हुई। लेकिन कुछ समय के बाद वित्त मत्री जी ने उस कर को कम्पाउंड कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह कर ३ रुपये २४ पैसे के बजाय २ रुपये से कुछ कम हो गया और इस प्रकार से खंडसारी वालों को कुछ सहूलियत हुई। लेकिन खंडसारी का जो पहला प्रासेस है, उसके अलावा भी दूसरे प्रासेस से खंडसारी तैयार की जाती है। पिछले वर्ष उस दूसरे प्रासेस को भी सहूलियत दी गई थी, लेकिन इस वर्ष नहीं दी गई है और इस वजह से दूसरे प्रासेस में जो ड्यूटी पड़ती है, वह कई गुना ज्यादा पड़ती है, क्योंकि उसमें खांड बहुत कम प्रतिशत निकलती है।

यह उत्पादन कर तो केन्द्रीय सरकार ने लगाया है। इस के अलावा यू० पी० सरकार ने हर बेज पर २०० रुपये प्रति बेज, हर क्रेशर पर ३०० रुपये फी क्रेशर और हर सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर १०० रुपये फी सेंट्रीफ्यूगल मशीन के हिसाब से कर लगाया है। इस के अतिरिक्त ४ नये पैसे फी मन के हिसाब से परचेज टैक्स और लगाया गया है। इस प्रकार से इस छोटे उद्योग-धंधे का काम करने वालों का कास्ट आफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है, जिस की वजह से उन की खरीदने की शक्ति कम हो गई है और वे गन्ना बहुत कम खरीद सके और इसलिये बहुत सारा गन्ना, जो फैक्ट्रीज नहीं खरीद सकीं, बेकार हो गया और इस वक्त उस को खरीदना मुश्किल हो गया। एक्साइज ड्यूटी में इस वर्ष कोई वृद्धि नहीं की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगले वर्ष उसको कम कर

† मूल अंग्रेजी में

[श्री राम शरण]

दिया जाये, ताकि देश में जो गन्ना होता है, फैक्ट्रियों के अलावा गुड़ और खंडसारी वाले उसकी खपत कर सकें ।

हमारा सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय नौ वर्ष से काम कर रहा है । वह भी इस बात को महसूस करता है कि इस देश में जो बैकवर्ड, उपेक्षित या अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, उनका स्तर अभी तक ऊंचा नहीं किया जा सका है और उन को अभी तक कोई फायदा नहीं पहुंच सका है । इस विभाग का ज्यादातर सम्बन्ध राहत देने से रहा है । अगर किसी को फायदा पहुंच सका है, तो बड़े बड़े काश्तकारों को, या ऐसे लोगों को, जिन के पास कुछ है । उनकी स्थिति को तो कुछ सुधारा जा सका है, लेकिन अनप्रिविलेज्ड या बैकवर्ड लोगों का सहायता नहीं हो सकी है । उस विभाग ने हाल ही में श्री जयप्रकाश नारायण के सभापतित्व में एक स्टडी ग्रुप बनाया है, जिसमें इस सदन के सदस्य भी हैं, और उसको यह बताने के लिये कहा है कि पिछड़े लोगों की स्थिति किस प्रकार सुधारी जा सकती है ।

गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने कई साल पहले खादी कमीशन की नियुक्ति की थी । उसने जो कार्य किया है, वह एक लाख गांवों में पहुंच सका है । खादी कमीशन ने अपने कार्य से लगभग १६ लाख स्पिनर्ज और २ लाख कारीगरों, कुल १८ लाख व्यक्तियों को, कुछ न कुछ सहारा या सहूलियत पहुंचाई है । लेकिन फिर भी गरीबी और बेकारी की प्राबलम हल नहीं हुई है । अभी हाल में जो नैशनल इन्कम की एस्टिमेट सम्बन्धी रिपोर्ट मिली है, उससे पता चलता है कि हमारे देश में प्रति-व्यक्ति आमदनी ३०० रुपये के करीब है । लेकिन जो सैम्पल सरवे किया गया है, उससे पता चलता है कि करोड़ों ऐसे व्यक्ति हैं, जिनकी आमदनी १०० रुपये प्रति व्यक्ति से भी कम है । उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जाये, यह बहुत बड़ा समस्या है ।

अभी हाल में एक नई योजना आचार्य विनोबा भावे की सलाह से सर्वसेवा संघ ने देश में शुरू की है, जिसका नाम है नया मोड़ । उस योजना को सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय ने भी अपनाने का फैसला किया है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में तीन हजार इस प्रकार की इकाइयां होंगी, जिन में हर इकाई में पांच हजार व्यक्तियों का एक क्षेत्र लिया जायेगा और उसको स्वावलम्बी बनाने का प्रयत्न किया जायेगा, यानी खाना, कपड़ा और दूसरी जरूरत की चीजों को वहां ही मुहैया करने का प्रयत्न किया जायेगा । उसका केन्द्र कृषि होगा । कृषि का विकास कर के, कृषि का उत्पादन बढ़ा कर और दूसरे उद्योग धंधों को बढ़ाने का प्रयत्न किया जायेगा, ताकि उस क्षेत्र को अच्छे से अच्छा बनाया जा सके । अगले पांच वर्षों में इस प्रकार के तीन हजार क्षेत्र कायम किये जायेंगे । सामुदायिक विकास मंत्रालय ने भी अपने ब्लाक्स में इस प्रकार के एक हजार क्षेत्र स्थापित करने का निश्चय किया है, जिसका अर्थ यह है कि देश भर में इस प्रकार के चार हजार क्षेत्र स्थापित होंगे ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी आर्थिक नीति और औद्योगिक नीति इस प्रकार की होनी चाहिये कि न केवल हमारे देश के लोगों की आर्थिक भलाई हो, उन को थोड़ी राहत का नाम मिल जाये और इस देश में व्याप्त बेकारी और अर्द्धबेकारी को दूर किया जाये, बल्कि हमारे देश का इन्टेग्रेटिड डेवेलपमेंट हो, समा विकास हो और इस देश के लोगों की, जो कि ज्यादातर देहात में रहते हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक और हर प्रकार से उन्नति हो, जिससे उनका जो जीवन बने ऐसा बने कि वे समझें कि हम स्वतन्त्र देश के नागरिक हैं और हर तरह से सुखी हैं । इस लक्ष्य की प्राप्ति में यदि हम अपनी औद्योगिक और आर्थिक नीति से सहायक हो सके तो यह बहुत बड़ा कार्य होगा । यही अन्तिम निवेदन मैं वित्त मंत्री जी से करना चाहता हूं ।

**श्री राम सेवक यादव** (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रकार की सरकार, चाहे वह साम्यवादी हो या समाजवादी या मौजूदा सरकार जैसी सरमायेदार सरकार हो, के दो कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य तो जन-सुरक्षा का होता है और दूसरा जन सेवा का। जन सुरक्षा में जान माल की रक्षा आती है। वैसे तो जन सुरक्षा का सीधा सम्बन्ध राज्य सरकारों से है परन्तु गृह मंत्रालय भी अपने दायित्व से नहीं बच सकता है। जब हम इसको देखते हैं तो पाते हैं कि देश में अराजकता और अरक्षता की भावना बढ़ी है और इस हद तक बढ़ी है कि अब तो भाषावाद और साम्प्रदायिकता के नाम पर आए दिन सारे देश में दंगे होते रहते हैं, कत्ल इत्यादि होते रहते हैं। पिछले १२–१४ साल में भाषा-विवाद और साम्प्रदायिकता को बराबर बढ़ावा मिला है। अब तो इन दिनों अखबारों में यह चर्चा भी चल पड़ी है कि सत्तारूढ़ दल साम्प्रदायिकता को नष्ट करने के लिये बहुत बेचैन हो उठा है और उसको मिटाने के लिये शायद वह कुछ कानून इत्यादि बनाने का भी विचार कर रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सत्तारूढ़ दल चाहता है कि देश में से भाषावाद का अन्त हो और साम्प्रदायिकता का अन्त हो तो वह इनके कारणों को खोजने का प्रयत्न करे और इन कारणों को खोज चुकने के बाद उनका निवारण कर इन दोनों समस्याओं को हल करे। परन्तु मैं समझता हूं कि उसने बजाये इन समस्याओं को हल करने के इनको और भी बढ़ावा दिया है और यहां तक ही बस नहीं है, वह इससे आगे भी बढ़ा है। उसने जहां तक साम्प्रदायिकता का प्रश्न है, मुस्लिम लीग जैसी साम्प्रदायिक तथा प्रतिक्रियावादी संस्था से गठबंधन भी किया है। उधर एक और प्रतिक्रियावादी दल है जिसका नाम गणतन्त्र परिषद् है उसके साथ भी गठबन्धन करके, इस समस्या को सत्तारूढ़ दल ने बढ़ावा दिया है। इन समस्याओं की ओर ध्यान शायद इस वास्ते गया है और साम्प्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाने की बात इसलिये चली है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अल्पसंख्यकों के मनों पर यह धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि केवल सत्तारूढ़ दल, यानी कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जो असाम्प्रदायिक है और इस वजह से अल्पसंख्यकों और खासतौर से मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिलें और चुनावों में उसकी भारी विजय हो। सत्तारूढ़ दल के सामने देश का प्रश्न कम है, अपनी ही स्थिति को मजबूत बनाये रखने और सत्ता को हाथ से न जाने देने का प्रश्न अधिक है। सत्ता से चिपके रहने की ओर ही इस संस्था का ध्यान सदैव रहा है।

जहां तक जन सेवा के कार्यों का सम्बन्ध है, उसके अन्तर्गत पांच बातें आती हैं, भोजन, कपड़ा, मकान, दवा तथा शिक्षा। अगर हम इस कसौटी पर मौजूदा सरकार को परखें तो पता चलेगा कि दो दो योजनाओं के कार्यान्वित होने के बाद भी इस दिशा में वह असफल ही असफल रही है। जहां तक शिक्षा नीति का प्रश्न है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। जो शिक्षा नीति है, वह अस्थायित्व को कायम रखने वाली है और स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करती है। हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज हैं ऑफ स्टेट पालिसी उनमें यह कहा गया है कि दस वर्ष के अन्दर प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी जायगी, सब को साक्षर बना दिया जायेगा। लेकिन दस वर्ष बीत गये हैं, इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। अंग्रेजी राजकाज की आज भी जबान बनी हुई है और सरकारी नौकरियों में भरती के लिये जो इम्तहान लिये जाते हैं, वे सब अंग्रेजी माध्यम से ही लिये जाते हैं। अंग्रेजी को कायम रखने के लिये आज सदन में और बाहर दलीलें दी जाती हैं कि अंग्रेजी में ज्ञान का भण्डार है और खासतौर पर विज्ञान के लिये तो इसको छोड़ा ही नहीं जा सकता है। मैं इस सदन का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रूस, जर्मनी, फ्रांस, जापान इत्यादि देशों ने जो विज्ञान के क्षेत्र में तथा दूसरे क्षेत्रों में तरक्की की है, वह क्या अंग्रेजी को रख कर ही की है। और तो और रूस ने जो समस्त संसार को चकाचौंध कर दिया इधर १८,००० मील की रफ्तार से मानव को अन्तरिक्ष में भेज कर और उसको सुरक्षित वापिस धरती पर ला कर। यह

†मूल अंग्रेजी में ·

[श्री राम सेवक यादव]

कहना कि अंग्रेजी के सहारे ही विज्ञान आदि क्षेत्रों में हम है तरक्की कर सकते हैं, गलत है। ऐसी धारणा भ्रामक है और इस तरह की धारणा फैला कर अपने देश का बहुत नुक्सान किया है। मैं समझता हूं कि अंग्रेजी से चिपके रह कर हमने विज्ञान के क्षेत्र में भी कोई खास तरक्की नहीं की है।

एक अंग्रेजी के पक्ष में यह भी दलील दी जाती है कि हमारा विदेशों से सम्बन्ध कैसे चलेगा, उनसे सम्पर्क कैसे बढ़ेगा। इस दलील में भी कोई वजन नहीं है। और जो देश हैं जहां पर अंग्रेजी भाषा का चलन नहीं है, क्या उनके ताल्लुकात दूसरे देशों से नहीं हैं, बाहरी दुनिया से नहीं हैं। उनके ताल्लुकात बड़ी अच्छी तरह से चल रहे हैं। इस वास्ते यह जो दलील दी जाती है यह भी सही नहीं है।

एक दलील यह दी जाती है कि दक्षिण भारत के लोग हिन्दी को पसन्द नहीं करते हैं और चाहते हैं कि अंग्रेजी जारी रहे। मैं कहना चाहता हूं कि दक्षिण भारत की जनता अंग्रेजी नहीं चाहती है कि जो कामकाज है, वह जनभाषा में चलाया जाए। एक डेढ़ फीसदी अंग्रेजीदां जो उच्च सरकारी नौकरियों पर हैं, राजनीति पर छाये हुए हैं, व्यापार पर छाये हुए हैं, उनकी यह आकांक्षा हो सकती है, लेकिन जहां तक आम जनता है वह चाहती है कि कामकाज जनभाषा में हो।

यह भी कहा जाता है कि दक्षिण के लोग समझते हैं कि अगर हिन्दी को राजकाज की भाषा बना दिया गया तो केन्द्र की नौकरियों में उनका आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर इस तरह का कोई भय है, कोई डर है तो सरकार इसका भी निवारण कर सकती है और वह इस तरह से कि दक्षिण वाली लोगों को आबादी के अनुसार केन्द्र की सभी नौकरियों में चार क्लास और सेक्रेटेरियट नौकरियों में ले सकती, उनको किसी प्रकार के संरक्षण प्रदान कर सकती है। उनको यह भी निश्चय करवा दिया जाए कि उत्तर के लोग जिनकी भाषा हिन्दी है, वे भी अनिवार्य रूप से दक्षिण भारत की कोई न कोई भाषा सीखेंगे और उसमें उनको इम्तहान पास करना होगा। अगर कोई डर है या भय है कि उत्तर के लोग नौकरियों में छा जायेंगे, तो उसका इस प्रकार से निवारण किया जा सकता है।

लेकिन प्रश्न तो यह है कि क्या वाकई में हम समस्या को हल करना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि असलियत यह है कि हम समस्या को हल करना नहीं चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो अंग्रेजीदां हैं और जिनकी संख्या २५–३० लाख से अधिक नहीं है, जिस तरह से वे राजनीति, व्यापार इत्यादि पर आधिपत्य जमाये बैठे हैं, उसी तरह से आगे भी आधिपत्य जमायें बैठे रहे और ४२–४३ करोड़ जनता को अपने ही देश में बेगाना बनाये रखे और वह अपने घरों से ही बेदखल रहे।

जहां तक शिक्षा पद्धति का सम्बन्ध है, इसमें भी कुछ सुधार नहीं हुआ है। आज दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियां चल रही हैं, एक बुनियादी शिक्षा पद्धति और दूसरी पब्लिक स्कूलों की शिक्षा पद्धति। शिक्षा में जहां तक बुनियादी शिक्षा पद्धति का सम्बन्ध है, उसके साथ गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है और इस वास्ते इस शिक्षा पद्धति का गांधी जी का नाम लेकर के बहुत ज्यादा प्रचार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम बुनियादी शिक्षा पद्धति की ओर बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि एक ओर पब्लिक स्कूल हैं और दूसरी ओर बेसिक स्कूल हैं। इन पब्लिक और बेसिक स्कूलों को चलाने वाले कौन हैं? बेसिक स्कूल जिला परिषदें,

जिला बोर्ड और स्थानीय इकाइयां चलाती हैं। यहां पर एक विद्यार्थी पर एक रुपया डेढ़ रुपया या दो रुपये से अधिक खर्च नहीं आता है। कहीं पर तो बैठने की व्यवस्था नहीं होती, कहीं पर इमारत नहीं होती और कहीं पर बच्चों के पास किताबें नहीं होतीं और गरीब लोगों के बच्चों के लिये भोजन इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं होती। दूसरी तरफ जो पब्लिक स्कूल हैं, जो देहरादून, ऊटी, नैनीताल, दिल्ली इत्यादि में हैं उनमें एक बच्चे पर कहीं ३५०, कहीं ३००, कहीं २०० और कहीं १५० रुपये मासिक खर्च किया जाता है और इन्हीं के लड़कों की तरफ सरकार द्वारा ध्यान दिया जाता है। इस सब का अर्थ यह हुआ कि दो तरह के नागरिक हम बना रहे हैं, एक पब्लिक स्कूलों से निकलने वाले जो कि पहले दर्जे के नागरिक होंगे और दूसरे अन्य स्कूलों से निकलने वाले जो कि दर्जा दो के नागरिक आसानी से कहे जा सकते हैं। अगर बुनियादी तालीम में हमारी सरकार की दिलचस्पी होती तो सारे हिन्दुस्तान में एक ही तरह की तालीम दी जाती दो तरह की तालीम का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जहां तक बेसिक शिक्षा का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि मंत्रियों का और सरकार का उस ओर कोई ध्यान नहीं है। अगर आप पता लगायें तो मालूम होगा कि गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, अन्य मंत्रिगण और यहां तक कि बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी सब अपने बच्चों को इन पब्लिक स्कूलों में, देहरादून, ऊटी, नैनीताल इत्यादि में भेज सकते हैं। अगर बेसिक स्कूल गरीब लोगों के बच्चों के लिये अच्छे हो सकते हैं, तो इनके बच्चों के लिये भी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन यहां तो दोहरी नीति चल रही है। जो लड़के पब्लिक स्कूलों से निकलेंगे वे तो शासक बनेंगे, बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, राजनीति में आगे आगे चलेंगे व्यापार में आगे आयेंगे और इन गरीब लोगों पर शासन करके इन पर कृपा करेंगे।

शिक्षा मन्त्री महोदय कहते हैं कि पब्लिक स्कूलों में कोई भी विद्यार्थी जाकर दाखिल हो सकता है, किसी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन पब्लिक स्कूलों में इतना भारी खर्च हो, फीस इतनी अधिक हो और खास प्रकार की ड्रेस भी प्रेस्क्राइब्ड हो, सूट बोट हो, गले में नकटाई भी हो, टाईकोट हो तो किस गरीब का बच्चा इन स्कूलों में जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ३५४ लड़कों को छात्रवृत्तियां दी गई है, वजीफे दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से किसानों के वे लड़के हैं किस मध्यम वर्ग के लड़के हैं हैं जिनको वजीफे दिये गये हैं? मैं समझता हूं कि ये बड़े-बड़े लोगों के, सैक्रेटीज, अण्डर सेक्रेट्रीज इत्यादि के ही लड़के हैं जिनको वजीफे दिये गये हैं।

जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, संविधान में कहा गया है कि १९६५ के बाद अंग्रेजी चली जाएगी। लेकिन अब तो दूसरा ही फैसला हो गया है अब कहा गया है कि १९६५ के बाद भी अंग्रेजी को हिन्दी के साथ साथ बनाये रखा जाएगा। इसके बने रहने का सीधा सा अर्थ यह है कि अंग्रेजी कभी जाने वाली नहीं है क्योंकि यह सरल सा सिद्धान्त है और सब इसको जानते हैं कि जब जेब में दो तरह के सिक्के हों, एक खोटा और दूसरा असली तो जब तक जेब में खोटा सिक्का रहता है तब तक असली सिक्का बाजार में नहीं चलता। इसलिये जब तक अंग्रेजी का खोटा सिक्का देश में बना रहता है तब तक हिन्दी नहीं चल सकती।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

अब मैं आपका, मंत्री महोदय का और सदन का ध्यान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो रिपोर्ट अथवा प्रतिवेदन है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में इस बात पर चिन्ता प्रकट की गई है कि विश्वविद्यालयों में ऐसे विद्यार्थी चले आये हैं जिनको वहां

[श्री राम सेवक यादव]

नहीं आना चाहिए था। कौन से लोग चले आये हैं? आजादी के बाद देश में कुछ जागरण हुआ इसके फलस्वरूप गांवों के किसानों के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे, यूनिवर्सिटी में पहुंचे। यह सही है कि जिन लोगों के बच्चे पैदा होते ही अंग्रेजी के ए बी सी डी के खिलौनों के साथ खेलते हैं उनके बराबर मध्यम वर्ग या किसान वर्ग के बच्चों का अंग्रेजी के ज्ञान नहीं हो सकता। चूंकि १२ या १४ वर्ष की आयु के बाद वे अंग्रेजी पढ़ना आरम्भ करते हैं इसलिये वे उनके बराबर आकर अंग्रेजी में अच्छे नम्बर नहीं पा सकते हैं। चूंकि वे लोग यूनिवर्सिटी में चले आये हैं, किसी तरह से गरीबों के बच्चे वहां चल आये हैं, इसलिये आज एक समस्या खड़ी हो गई है और कहा जाता है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है। कारण यह बतलाया जाता कि देहात के लोगों के बच्चे जिनका अंग्रेजी का स्तर ऊंचा नहीं है वे वहां पर चले आते हैं। कहा जाता है कि जब तक उन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है तब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा। लेकिन शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा होगा, इसका जो सही उपाय है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। आज विदेशी बोली के माध्यम से सारी पढ़ाई लिखाई होती है। गाव के बच्चे जो दस या बारह साल के बाद अंग्रेजी किताब देखते हैं, वे कभी भी अंग्रेजी में अच्छे नम्बर नहीं ला सकते। पिछले साल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में फेल होने वाले विद्यार्थियों में से ६० या ७० फीसदी विद्यार्थी वही हैं जो कि अंग्रेजी में फेल हुए। इस अंग्रेजी की परीक्षा में फेल होने के कारण आज उन पर यूनिवर्सिटी में जाने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस चीज का सही इलाज किया जाय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो सिफारिश की है कि ऐसे विद्यार्थियों पर रोक लगाई जाये, उसको नहीं माना जाना चाहिये और समय आ गया है कि जिन गरीबों के वोटों से चुन कर हम यहां पर आए हैं, जिन गरीबों का यह देश है, उनको पढ़ने लिखने का पूरा अवसर मिले। आज उनके विश्वविद्यालय में पढ़ने पर रोक लगाई जाये यह अच्छी बात नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि आज हमारी शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, लेकिन लेकिन जब तक मातृभाषा में इस देश के विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई नहीं होती तब तक अपने देश में न वैज्ञानिक अच्छे निकल सकते हैं और न शिक्षा शास्त्री अच्छे निकल सकते हैं और न किसान ही अच्छे निकल सकते हैं।

अन्त में मैं जो हमारा केन्द्रीय शिक्षण संस्थान है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। दिल्ली का केन्द्रीय शिक्षण संस्थान आखिर क्या है, उसका उद्देश्य क्या था जब वह कायम किया गया? उसका उद्देश्य यह था कि सारे भारत में माध्यमिक शिक्षा का एकीकरण होगा। उस के जरिये कोई ऐसी चीज होगी, कोई गवेषणा होगी, जिस के द्वारा सारे देश में एक रूपता लाई जायेगी। लेकिन वह आज क्या कर रहा है? वहां पर नाटक होते हैं। आज वह एक तरह से अमरीकी मिशनरियों और ईसाइयों की मनेस्ट्री सी बन गया है, गिरजा बन गया है। वहां पर फूलों की प्रदर्शनी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जिस मकसद के लिये उसे कायम किया गया था वह उसके द्वारा पूरा नहीं हो रहा है। इसलिये मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य से यह केन्द्रीय शिक्षण संस्थान कायम किया गया था, वह उसकी पूर्ति करे और उसमें मिशनरियों का आधिपत्य न रहे। आप कहते हैं कि वहां हिन्दी का प्रसार होता है, हिन्दी को काफी तरक्की उसके द्वारा मिलेगी, लेकिन यदि आप वहां पर छपी पुस्तकों के विवरण मंगायें वहां पर प्रयोग होने वाली पुस्तकों के विवरण मंगायें, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर बजाय हिन्दी के प्रश्रय

देने के अंग्रेजी को प्रश्रय दिया जा रहा है। उस के पीछे एक और भी बड़ी बात हो सकती है कि शायद दूसरी चीजों को छोड़ कर उसे बिल्कुल एक अमरीकी लोगों का अड्डा बना दिया जाये।

अब मैं जो लोग अंग्रेजी के सिलसिले में गांधी जी का नाम लिया करते हैं उन के लिये गांधीजी के कुछ कोटेशन रख कर समाप्त कर दूंगा। गांधी जी ने ३०-७-३८ को हरिजन सेवक में लिखा था :

"यदि शिक्षा का माध्यम धीरे धीरे बदलने के बजाये एक दम बदल दिया जाये तो बहुत ही शीघ्र हम देखेंगे कि आवश्यकता को पूरी करने के लिये पाठ्य पुस्तकें भी प्राप्त हो रही हैं और अध्यापक भी। और अगर हम ईमानदारी से कार्य करना चाहते हैं तो एक ही साल में हमें यह मालूम हो जायेगा कि विदेशी माध्यम और संस्कृत के आवश्यक तत्व सीखने के प्रयत्न में राष्ट्र का समय और शक्ति नष्ट करने में हमें भागीदार नहीं होना चाहिये। बेशक सफलता की शर्त यह है कि सरकारी दफ्तरों में अगर प्रान्तीय सरकारों का अपनी अदालतों पर अधिकार या प्रभाव हो तो उन अदालतों में भी प्रान्तीय भाषायें तुरन्त जारी कर दी जायें। यदि इस सुधार की आवश्यकता में हमारा विश्वास हो तो उस में हम तुरन्त सफल हो सकते हैं।"

फिर टेकनिकल शिक्षा की बात कही जाती है। उस के संबंध में गांधी जी हरिजन सेवक में २५-८-४६ को लिखते हैं :

"यह कहना बिल्कुल गलत है कि मातृ भाषा के जरिये टेकनिकल तालीम देने के लिये बड़ी तैयारी और खोज की जरूरत होगी। जो यह दलील पेश करते हैं वे नहीं जानते कि हमारे गांवों की बोलियां हर तरह की बातों को समझाने वाले शब्दों और मुहावरों से भरी हुई हैं। टैकनिकल तालीम के लायक शब्दों की खोज में हमें संस्कृत और फारसी की शरण में नहीं जाना पड़ेगा। जब मैं चम्पारन में रहता था तब मैं ने देखा कि गांव के लोग एक ही विदेशी शब्द या मुहावरों की सहायता लिये बिना अपने विचार बड़ी आसानी से पूरी तरह से समझा सकते थे। उन्होंने मोटर के लिये अपना ही नाम हवागाड़ी ढूंढ निकाला था। मेरा खयाल है कि यूनिवर्सिटो के विद्वान भी उस से ज्यादा सुन्दर नाम नहीं गढ़ सकते।"

लड़कों को उनकी ही बोली में पढ़ाया जाये, इस के बारे में गांधी जी के कैसे मार्मिक विचार थे। उनको उन्होंने सन् १९४२ में हरिजन सेवक में लिखा था :

"अब वह जमाना नहीं रहा कि जब विद्यार्थी जो कुछ मिलता था उसी में सन्तुष्ठ रह लिया करते थे। अब तो वे बड़े बड़े तूफान खड़े कर लिया करते हैं। छोटी छोटी बातों के लिये भूख हड़ताल भी कर लिया करते हैं। अगर ईश्वर उन्हें बुद्धि दे तो वे कह सकते हैं कि हमें अपनी मातृ भाषा में पढ़ाओ।"

अन्त में मैं एक पत्र और पढ़ना चाहता हूं जो कि गांधी जी ने श्री अनुसूया प्रसाद पाठक को लिखा था ११ नवम्बर, १९४७ को, जो कि शायद उनका आखिरी पत्र था। वे लिखते हैं :

"आपका पत्र आज प्राप्त हुआ। मैं ने उसे पढ़ा। तुम जानते हो कि हिन्दी का प्रचार उन १८ आइटम में से है जिसे मैं पसन्द करता हूं और मैं समझता हूं कि बिना राष्ट्र भाषा

[श्री राम सेवक यादव]

के भारत की आजादी बेकार है । भाषा के विषय में भारत पहले जैसा आज भी गुलाम है । इसे मैं पूरी स्वतंत्रता नहीं समझता । यह मेरी राय है । जब तक अंग्रेजी राष्ट्र भाषा रहती है । भारत गुलाम रहेगा ।"

दो शब्द और कह कर मैं समाप्त करना चाहता हूं । अब मैं खाद्य समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

**श्री ब० प्र० सिंह** (मुंगेर) : सभापति महोदय, इस समय देश में किसानों की संख्या ७० प्रतिशत है परन्तु उनकी आय राष्ट्रीय आय की ५० परसेंट है । ३० प्रतिशत आबादी ही आज ५० प्रतिशत है, आज हम किसानों के संबंध में बहुत ही सी बात सोचते हैं और उनकी अवस्था सुधारने की बात सोचते हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि आज सब से उपेक्षित वर्ग किसानों का है । आज सब से कम आय किसानों की है वह ही एक व्यक्ति है जिसकी ५०० है केवल । डोमेस्टिक सर्वेन्ट्स की आय इस वक्त ४०० रु० है । आज तक हम किसानों को हर एक प्लेट फार्म से बराबर विश्वास दिलाते रहे हैं कि उन की आर्थिक अवस्था सुधारी जायेगी स्वराज्य होने पर । कांग्रेस के प्लेटफार्म से और बाहर भी यही बात कही गई कि उनकी जमीन की मालगुजारी आधी की जायेगी । लेकिन आज अवस्था क्या हो रही है । जमीन की मालगुजारी आधी करने के बजाय सरकार ऐसा सोच रही है कि वह बढ़ाई जाये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर उस के दुगुनी और तिगुनी तक बढ़ाये जाने की बात है । मैं कहता हूं कि आजकल जमीन की लगान का जो आधार है वह ५० प्रतिशत पर है । लेकिन आरम्भिक काल में, मनु के समय में जमीन के बारहवें हिस्से का आधार था, गौतम के समय में वह दसवां हिस्सा हो गया और कौटिल्य के समय में वह छवां हिस्सा रह गया । लेकिन आज उसकी मालगुजारी की आय ५० प्रतिशत के आधार पर है आप किसी दूसरे वर्ग को ले लिजिये । अगर किसी की आय ३,००० रु० है तब उसे राज्य कर देना पड़ता है परन्तु अगर किसान दस बिसवां जमीन भी जोतता है तो भी उसको लगान के रूप में राज कर देना पड़ता है सोशलिस्ट पैटर्न के नाम पर समानता लाने के लिये सरकार को चाहिये कि जमीन की लगान को बिल्कुल समाप्त कर दे । जिस तरीके से एक व्यापारी या एक नौकरी पेशे आदमी को जब वह ३००० सालाना या उस से ज्यादा आमदनी करता है तब टैक्स देना पड़ता है, उसी तरह से जो किसान अपनी खेती से ३००० या उस से ज्यादा की आय करे उस से ही टैक्स लिया जाना चाहिये । लेकिन आज ऐसा नहीं होता । आप चाहते हैं कि हमारे देश में पैदावार बढ़े । लेकिन इस स्थिथि में पैदावार कैसे बढ़ सकती है, जब देश में सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है उस समय किसानों की सारी की सारी पूंजी ही समाप्त हो जाती है लेकिन उन के लगान की माफी की उस समय कोई गुंजाइश नहीं होती । इसलिये मैं समझता हूं कि देश का सब से अधिक उपेक्षित वर्ग किसान **वर्ग** है **और** यदि किसानों को दूसरों के समान-स्तर पर लाना चाहते हैं तो उनको आपको सुविधाएं देनी होंगी ।

आप सोशलिस्ट पैटर्न की बात करते हैं । कांग्रेस ने इसको पास कर दिया है लेकिन आपने अभी तक यह तय नहीं किया है कि सोशलिस्ट पैटर्न आ जाने पर हमारे जीवन स्तर में क्या अन्तर

रहेगा । कुछ लोग कहते हैं कि लोगों की आय में १ और ६ से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि १ और २० तक अन्तर हो इससे ज्यादा न हो । मैं थोड़ी देर के लिये १ और २० की बात भी मान लेता हूं, लेकिन सरकार को इस बारे में कोई फैसला तो करना चाहिये । आज केन्द्रीय सरकार के एक कर्मचारी के लिये अधिक से अधिक ३००० रुपया का मासिक वेतन रखा गया है और एक चपरासी को ३० रुपया मासिक वेतन दिया जाता है । तो आप देखें कि यह १ और १०० का अनुपात हो जाता है । इसको देखते हुए मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे यहां सोशलिस्ट पैटर्न का क्या स्वरूप होगा ।

आप यह भी कहते हैं कि हम लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं । इस बारे में मैंने प्लानिंग मिनिस्टर से लिखा-पढ़ी भी की है और बात भी की है और पार्लियामेंट में बोला भी हूं और सुझाव दिये हैं कि एक नागरिक का निम्नतम जीवन स्तर निश्चित किया जाये । जो नीचे के स्तर के हैं उनको आप ऊपर उठाइये और जो ऊपर के स्तर के हैं उनको नीचे लाइये तो आप असमानता को दूर कर सकेंगे । लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है । मैंने पार्लियामेंट में इसके बारे में कई बार कहा और प्रश्न भी किये और सरकार ने बताया कि दूसरी पंच वर्षीय योजना में इसका निश्चय किया जायेगा लेकिन आज दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल समाप्त होने जा रहा है लेकिन सरकार अभी तक कुछ निश्चय नहीं कर सकी है । इससे लगता है कि सरकार गरीबों के जीवन स्तर को उठाने और सोशलिस्ट पैटर्न लाने के काम में बहुत अधिक समय लेगी ।

शिक्षा को आप लीजिये । विधान में कहा गया है कि दस वर्ष के अन्दर ६ से १४ वर्ष तक के बच्चों के लिए सारे देश में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी जायेगी लेकिन आज आप कहते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर सकेंगे । शिक्षा तो अत्यन्त आवश्यक चीज है लेकिन उसमें भी आपकी प्रगति इतनी धीमी है । इससे मालूम होता है कि आप किसानों को शिक्षा के प्रति कितने उदासीन हैं । मेरा निवेदन है कि जैसा विधान में कहा गया है उसके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये ।

अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि देश में शिक्षा के कितने रूप चलते हैं । पहले हमने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया था । लेकिन आज उसमें कोई प्रगति नहीं हो रही है । बिहार में सब से पहले बुनियादी शिक्षा का प्रयोग शुरू किया गया लेकिन आज वहां उसका नाम नहीं है । हम देखते हैं कि आप एक अच्छी चीज को लोगों के सामने रखते हैं लेकिन उसको चला नहीं पाते ।

दूसरी बात मैं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । आज आप स्वास्थ्य के लिये देश के अन्दर इतना पैसा खर्च करते हैं लेकिन दूसरी तरफ नशाखोरी भी चल रही है । जो अस्वस्थ करते हैं हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं । उन्होंने कहा था कि यदि एक घंटे के लिए मुझे शासन की जिम्मेदारी मिल जाय तो सब से पहला काम मैं करूंगा कि देश के अन्दर से नशा बन्द कर दूंगा । लेकिन आज कांग्रेस के शासन को १३ साल हो गये फिर भी अभी तक इस देश के अन्दर नशाखोरी जारी है । हमारे यहां बिहार में जब कांग्रेस का शासन शुरू हुआ था तब यह कह कर एग्रीकल्चर टैक्स लगाया गया था कि नशाखोरी बन्द करने से जो घाटा होगा उसकी पूर्ति इस टैक्स से की जायेगी, लेकिन शराबखोरी वहां अभी भी चालू है और फिर भी एग्रीकल्चर टैक्स लग रहा है ।

आज देश की पर कैपिटा इनकम २५७ रुपया है तो किसानों की पर कैपिटा इनकम केवल ११० रुपये ही है । आज यह देखते हुए कैसे यह बात समझें कि किसानों की अवस्था सुधारी जा रही है

[श्री ब० प्र० सिंह]

और उनका जीवन स्तर बढ़ाया जा रहा है। मुझे इसमें ऐतराज नहीं है कि आप जमीन पर सीलिंग लगायें लेकिन किसान के लिये जो बुनियादी चीज है उसकी तो व्यवस्था करें। लेकिन जो आप वायदा करते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते। आपने वायदा किया था कि आप दस साल के अन्दर ६ से १४ वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर देंगे लेकिन वैसा नहीं किया गया। आप देखें कि साक्षरता किसानों के लिये कितनी आवश्यक चीज है अब आप कहते हैं कि तीसरी योजना के अन्त तक केवल ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों के लिये आप अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर सकेंगे।

मैं समझता हूं कि जिस तरह से सरकार के शासन का व्यय बढ़ता जा रहा है अगर इसी तरह से आगे बढ़ता गया तो सुधार की योजनायें जहां की तहां रखी रह जायेंगी। आज आपको कम्युनिटी डेवेलपमेंट से बहुत आशा है लेकिन जो देहात के रहने वाले हैं वह जानते हैं कि इसमें क्या काम हो रहा है। आज उस कार्यक्रम का रुपया एडमिनिस्ट्रेशन पर ही अधिक खर्च किया जा रहा है। अगर सरकार चाहती है कि वास्तव में कुछ सुधार का काम करे तो उसको शासन व्यय की एक सीमा निश्चित कर देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि शासन व्यय १५ या २० प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो जनता के सुधार की बातें कागज पर ही रह जायेंगी और वास्तव में काम नहीं हो पायेगा।

आज आप देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ी-बड़ी सिंचाई की योजनाएं बना रहे हैं। यह ठीक है। लेकिन साथ ही साथ छोटी योजनाओं की ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये। हम समझते हैं कि हमको देश में गल्ले की पैदावार बढ़ानी चाहिये। लेकिन समझ में नहीं आता कि आप कम्युनिटी डेवेलपमेंट के सिलसिले में इतने मकानात क्यों बना रहे हैं। उनको देख कर ऐसा मालूम पड़ता है कि बादशाह शाहजहां की आत्मा हमारे प्रधान मंत्री में उतर आयी है कि वह इतने इतने विशाल मकान बनवा रहे हैं। जो मकान सौ वर्ष से काम के लायक था उसको तोड़ कर नया मकान बनाया जाता है। मैं समझता हूं कि यदि उस रुपये को मकान पर न लगा कर उससे नहर आदि का निर्माण किया जाता तो उससे ज्यादा लाभ होता।

मैं समझता हूं कि अगर विदेशों से देश के अन्दर गल्ला न भी मंगाया जाये तो हम अन्न के मामले में आत्म निर्भर हो सकते हैं। हमको चाहिये कि हम स्टेण्डर्ड आफ कल्टीवेशन निश्चित कर दें। हम यह निश्चित कर दें कि एक किसान को प्रति एकड़ इतना पैदा करना चाहिए, यदि वह उतना पैदा नहीं करता तो उसकी जमीन छीन ली जानी चाहिये। अगर ऐसी व्यवस्था की जायेगी, जैसी कि इंगलैंड मे है, तो हमारा उत्पादन बढ़ सकता है और हम अन्न के मामले में आत्म-निर्भर हो सकते हैं।

हमारा ख्याल है कि आज देश में वास्तव में किसान जितना उपेक्षित और कोई वर्ग नहीं है। उसकी ओर आपका विशेष ध्यान जाना चाहिये। उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य आदि के सम्बन्ध में आपको विशेष व्यवस्था करनी चाहिए।

आज भ्रष्टाचार और करप्शन बहुत बढ़ गया है। उसका अन्दाजा लगाना कठिन है। आज एक एक मुकदमा दस दस साल तक चलता रहता है और किसान समझ नहीं पाता कि क्या करे। ऐसी अवस्था में मेरा निवेदन है कि अपने वित्त मंत्री से और उनके द्वारा सरकार से निवेदन है कि यदि वह वास्तव में किसान का हित करना चाहता है और उसको दूसरे वर्गों के साथ समान स्तर पर लाना चाहते हैं तो उसको शिक्षा के सम्बन्ध में जो वायदा किया है कि दस साल के अन्दर ६ से १४ वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी जायेगी, उस वायदे को पूरा करें।

**श्री विश्वनाथ राय** (सलेमपुर) : सभापति जी, इस देश में जो लोग लगभग साढ़े पांच लाख गांवों में रहते हैं और देश की आर्थिक व्यवस्था के आधार हैं, यों तो वे उपेक्षित, पिछड़े और निर्धन हैं, लेकिन फिर भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में उन्होंने राष्ट्रीय आय का लगभग पचास प्रतिशत से कुछ अधिक भाग दे कर देश को लाभ पहुंचाया है। यद्यपि गत दस वर्षों में देश में अन्न या खेती का उत्पादन चालीस प्रतिशत के करीब बढ़ा है, लेकिन उस हिसाब से राष्ट्रीय आय बढ़ाने वाले लोगों का जीवन स्तर नहीं ऊंचा हुआ है। इसका कारण यह हो सकता है कि देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन एक मुख्य कारण यह भी है कि किसान जिन परिस्थितियों में काम करता है, उन में उस को अपने परिश्रम के हिसाब से लाभ उठाने और उपार्जित फल का उपभोग करने का अवसर नहीं मिलता है। हमारे देश में ऐसी प्रथा है, समाज का ढांचा इस प्रकार का है कि गांवों के लोगों का शोषण होता है और उन को उन के परिश्रम से उपार्जित वस्तुओं के उपभोग से वंचित कर दिया जाता है। यह सही है कि जमींदारी और ताल्लुकेदारी प्रथा समाप्त कर दी गई है, लेकिन उस के बदले व्यवसाय की या साहूकारी की ऐसी प्रथा आज भी देश में मौजूद है, जिस से देश के सब से ज्यादा लोगों का जिन की संख्या लगभग ८० प्रतिशत है शोषण होता है। १९६१ की जन-गणना के जो आंकड़े हैं, उन से प्रकट होता है कि इस देश में केवल कृषि पर आश्रित रहने वाले ७१ प्रतिशत आदमी हैं। ६ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो खेती से सम्बन्धित व्यवसाय या ग्रामीण उद्योग-धंधो में लगे हुए हैं। हम देखते हैं कि जिन २० प्रतिशत लोगों का जीवन-स्तर पहले से ऊंचा था, वे और भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन खेती और गांवो से सम्बन्धित ८० प्रतिशत भारतीय लोगों का जीवन-स्तर अब भी संतोषजनक नहीं है। इसका एक कारण तो शोषण हो सकता है। सरकार ने अब तक गांवों में सुधार करने और उन का विकास करने का जो प्रयास किया है, उस में दो एक बड़ी मुख्य बातों की ओर ध्यान नहीं गया है। इस में चाहे सामुदायिक विकास मंत्रालय की उदासीनता रही हो, या कोई और कारण हो, लेकिन आप जानते हैं कि जब ग्रामीण अपनी चीज को, खेत की पैदावार को पैदा करता है, तब उस को माल-गुजारी देने और जीवन की आवश्यकीय वस्तुओं को खरीदने के लिये अपने उत्पादन को बेचने के लिये विवश होना पड़ता है। आज भी सरकार ने ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं किया है, जिस से किसान को अपनी चीजों का उचित मूल्य मिल सके। यह ठीक है कि गन्ने जैसी चीज को बिकवाने का प्रबन्ध हुआ है, लेकिन अन्न सम्बन्धी अन्य चीज़ों के सम्बन्ध में ऐसा प्रबन्ध नहीं हो सका है। मैं विशेषकर वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में गांवों के लिये बैंकिंग की सुविधा देने के बारे में वह कोई व्यवस्था करें ताकि गांवों में उचित सूद पर कर्ज़ा मिल सके। आज भी गांवों में कई जगह २५ प्रतिशत तक सूद लिया जाता है। यही कारण है कि परिश्रम करने पर भी, उन के द्वारा राष्ट्रीय आय बढ़ाये जाने पर भी और अन्न की पैदावार में वृद्धि किये जाने पर भी किसानों का स्तर ऊंचा नहीं हो सका है। न केवल आर्थिक ढांचे में शोषण की प्रवृत्ति होने के कारण उन की हालत गिरी हुई है, बल्कि प्रकृति भी उन के विरुद्ध जाती है—उस से भी उन को नुकसान होता है। जब अन्य देशों में कृषि के बारे में इन्शोरेंस आदि का प्रबन्ध है, तो क्या भारत में, जबकि देश काफ़ी आगे बढ़ा है और बढ़ रहा है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में ऐसा प्रबन्ध नहीं हो सकता है? यह बात माननीय मंत्री जी से सम्बन्ध रखती है और इसलिये उन को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

दो चार रोज पहले जब यहां पर मांगों के बारे में बहस हो रही थी, कुछ माननीय सदस्यों की तरफ से यह कहा गया कि किसान कैश क्राप्स की तरफ, उन क्राप्स की तरफ, जिनसे उनको पैसा मिलता है, जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वे ऐसा करने के लिये विवश हैं। जब उनको अन्न का उचित मूल्य नहीं मिलता है और जीवन की आवश्यकीय वस्तुयें खरीदने के लिये पर्याप्त धन

[श्री विश्वनाथ राय]

नहीं मिलता है, तो किसान विवश हो कर गन्ने की तरफ जाते हैं, या तेज पैदा करने वाले अन्नों की तरफ जाते हैं। ऐसी हालत में उनको इस बात के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि वे कैश क्राप्स की खेती और एकरेज बढ़ा रहे हैं।

गन्ने के विषय में कृषि मंत्री ने कुछ कहा था। सारे हिन्दुस्तान में जितनी जमीन में खेती होती है, उस के १.५ या १.६ परसेंट में गन्ने की खेती होती है, लेकिन सारी खेती से जो आय होती है उसका ५ प्रतिशत केवल गन्ने से होता है, जो कि किसान देश को देता है। इसका अर्थ यह है कि गन्ने की खेती का एकरेज तो कम है, लेकिन उसकी तुलना में उससे होने वाली आय अधिक हो रही है। उससे केवल राष्ट्रीय आय में ही वृद्धि नहीं हुई, बल्कि पहली पंचवर्षीय योजना में सीधे शासन को ३०.५७ करोड़ रुपया सैस के रूप में प्रदेशीय सरकारों को मिला था। दूसरी योजना में ४८.०७ करोड़ रुपया मिला और तीसरी योजना में लगभग ६० करोड़ रुपया सैस के रूप में मिलना है। यह केवल सैस की बात मैंने कही है। अगर एक्साइज ड्यूटी को भी मिला लें, तो दूसरी योजना में २५० करोड़ रुपया केन्द्रीय और प्रदेशीय सरकारों को गन्ने और चीनी पर लगे करों के रूप में मिला और तीसरी पंच वर्षीय योजना में उनको ३६० करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन उसके मुकाबले में गन्ने के सुधार और उन्नति के लिये अभी तक जो कार्यक्रम है, उसके लिये केवल १०० करोड़ रुपया तृतीय पंच वर्षीय योजना में रखा गया है, जो कि एक्साइज ड्यूटी और सैस का केवल २८ प्रतिशत है। और फिर यह रुपया केवल गन्ने के सुधार के लिये ही नहीं है, बल्कि उससे सड़कें भी बनेंगी और सिंचाई के साधनों की भी व्यवस्था होगी। सिंचाई का सम्बन्ध तो कृषि और गन्ने से है, लेकिन सड़कों का उपयोग केवल कृषि और गन्ने के लिये नहीं होता है, बल्कि अन्य कामों में भी होता है। इसलिये गन्ने या उससे सम्बन्धित साधनों के विकास के लिये २८ प्रतिशत से भी कम व्यय किया जायेगा। ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आता कि गन्ने की खेती बढ़ाने के लिये किसानों को दोष क्यों दिया जाता है। अगर वे बढ़ाते भी हैं, तो वे सरकार को रुपया भी दे रहे हैं, हालांकि जितना वे दे रहे हैं, उसकी अपेक्षा उसकी उन्नति की ओर कम ध्यान दिया जा रहा है और कम पैसा लगाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात आपके द्वारा और वित्त मंत्री के द्वारा कृषि मंत्री को कहना चाहता हूं। यदि उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में पिछड़ा हुआ है, तो वह इस कारण नहीं है कि वहां के लोग काम नहीं करते, या वहां की आबोहवा उसके लिये उपयुक्त नहीं है, या वे लोग सुस्त हैं, बल्कि इस कारण कि पूर्वी उत्तरी प्रदेश और उत्तरी बिहार के जिन क्षेत्रों में गन्ने की खेती अधिक होती है, जहां चीनी की मिलें अधिक हैं, जहां चीनी आज से नहीं, शताब्दियों से बन रही है और देश के दूसरे भागों में भेजी जाती रही है, वहां के लोग गरीब हैं और वहां प्रति वर्ग-मील जन-संख्या बहुत अधिक है। मेरे अपने जिले में लगभग ११०० आदमी एक वर्ग-मील में रहते हैं। इतनी घनी आबादी होने पर भी—और यद्यपि हिमालय से कुछ लाभ भी है—और प्राकृतिक विपत्तियों, बाढ़ आदि से हानि पहुंचने पर भी वहां के किसान राष्ट्रीय आय में योग दे रहे हैं। इसलिये यह कहना कि गन्ने के सम्बन्ध में दक्षिण में ही बैल्ट है, ग़लत है। अगर वहां पर बैल्ट होता, तो जब कृत्रिम तरीके से सहायता देने के साधन नहीं थे, जब अपने प्रयास, अपनी मोटी बुद्धि और अपने परिश्रम से काम हो रहा था, तो दक्षिण में इस विषय में प्रगति क्यों नहीं हुई? मैं किसी प्रति-द्वंद्विता के दृष्टिकोण से यह बात नहीं कहता हूं। कृषि मंत्री ने जो कुछ कहा, उसके सम्बन्ध में मैं यह कह रहा हूं कि यह बात ग़लत है कि गन्ने का बैल्ट वहीं है जहां मेरा क्षेत्र है, उस के बारे में यह सही है। ब्रिटिश साम्राज्य के समय प्लानिंग नहीं था, योजना नहीं थी तब वे फैक्ट्रियां कायम हुईं। आज उन किसानों की तरफ अगर आप विशेष ध्यान देंगे, अगर उनकी सुविधा का खयाल

रखेंगे, उनके सामने जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे तो यह उद्योग बहुत तरक्की कर सकता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके इस पनपते उद्योग को जो कि देश में दूसरे नम्बर का उद्योग है और जिस में लगभग २ करोड़ किसान लगे हैं और करीब डेढ़ लाख मजदूर जिसमें काम करते हैं, धक्का लगेगा, इन लोगों को धक्का पहुंचेगा। इन लोगों ने चीनी के उत्पादन को बढ़ाने में भरसक योग दिया है। अंग्रेजों के वक्त में सात लाख टन चीनी पैदा हुआ करती थी जो अब बढ़ कर २९ लाख टन के करीब होने लग गई है। यह कहा जाता है कि इतनी चीनी होने की संभावना है लेकिन मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से इतनी चीनी तैयार होगी। पंचवर्षीय योजना में गन्ना उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया था उस की पूर्ति करीब करीब हो गई है।

मैं एक विशेष समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर लगभग ९० प्रतिशत आदमी गन्ने की खेती करते हैं, जहां पर हिन्दुस्तान की चीनी मिलों की कुल संख्या का बहुत बड़ा भाग स्थित है। मेरे जिले में जहां पर लोग कैश क्राप्स बोकर के अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के सामान खरीदते हैं, उनकी तरफ आपका विशेष ध्यान जाना चाहिये। वहां पर हमें देखना यह है कि जो गन्ना उत्पादक हैं, उनको उचित समय पर अपने गन्ने का मूल्य मिलता है या नहीं मिलता है। यह समस्या आज से नहीं कई सालों से लोगों के सामने है जिसके कारण उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर इस उद्योग धंधे को बढ़ाना है और राष्ट्र के हित में चलाना है तो आपको यह भी देखना होगा कि जो करोड़ों लोग इस उद्योग को चलाने में सहायक होते हैं, उनको भी लाभ पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। उनके लिये आपको पूंजी की व्यवस्था करनी होगी। कर्जे की बात को आप छोड़ दें, कितने सूद पर वे कर्जा लेते हैं, इसको भी आप छोड़ दें। मैं तो केवल इतना ही कहता हूं कि जिस तरह से अन्य वस्तुओं के उत्पादकों को उनकी वस्तु के बिकने के वक्त दाम मिल जाता है उसी तरह से इनके बिके हुऐ गन्ने का मूल्य भी इनको समय पर मिल जाना चाहिये आपको इसके लिये उचित व्यवस्था करनी चाहिये। यह कह कर कि मिल मालिकों के पास पैसा नहीं होता है काम नहीं चल सकता है। वे कहीं से पैसा ले सकते हैं। जब उनके पास चीनी है तो उनका जो लाभ है, वह सुरक्षित है और उसका जो परसेंटेज है, वह सुरक्षित है। उसमें ·१ या ·२ की कमी हो जाये तो दूसरी बात है वर्ना उन को पूरा लाभ मिलता है। इन मिल मालिकों ने पिछले बीस सालों में बहुत मुनाफा कमाया है। जिनके पास एक एक फैक्ट्री थी, उनके पास आज दो दो और तीन तीन हो गई हैं। मैंने देखा है कि मेरे जिले में जिसके पास पहले एक फैक्ट्री थी, आज तीन फैक्ट्रियां हैं ये सब मुनाफे से स्थापित हुई हैं। बाढ़, सूखा, जाड़ा इत्यादि प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करते हुए किसान गन्ना पैदा करता है, और इतना होने पर भी उसको बिके हुए गन्ने का मूल्य ठीक समय पर नहीं मिलता है। दूसरी ओर जो मिल मालिक हैं उसका जो लाभ है वह निश्चित है, सुरक्षित है और उस पर कोई संकट नहीं आ सकता है। करोड़ों रुपया किसानों का हर साल बकाया बचा रहता है इन मिल मालिकों की तरफ। जो इनको मिलता है वह भी कई कई महीनों के बाद मिलता है। जब इनको रुपया नहीं मिलता है तो इनको विवश होकर के २०–२५ प्रतिशत सूद पर रुपया उधार लेना पड़ता है। इस तरह की बातों का होना हमारी सरकार के लिये शोभनीय नहीं है। अब हम तृतीय योजना शुरू करने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस ओर आप विशेष ध्यान दें ताकि उनको अपने गन्ने का मूल्य समय पर मिल जाया करे।

अब मैं सिंचाई के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। द्वितीय योजना के समाप्त होते होते गण्डक योजना आरम्भ हो रही है जो कि बहुत लाभकारी और सस्ती है। उसके साथ साथ कुछ

[श्री विश्वनाथ राय]

और भी योजनायें हैं जो चल सकती हैं जिनकी ओर जल तथा विद्युत मंत्रालय का ध्यान जाना चाहिये । नेपाल की तरफ से जो नदियां आती हैं उनके जल का उपयोग हो सकता है । आप जानते हैं पानी से कितना लाभ उठाया जा सकता है, जितना उसका उपयोग किया जा सका है दूसरी योजना के अन्त तक वह केवल २६ प्रतिशत ही हो सका है और इतने पानी को इस्तेमाल करने की ही योजनायें बनी हैं तृतीय योजना के अन्त तक ३५,३६ प्रतिशत का ही उपयोग हो सकेगा । मैं चाहता हूं कि आप इस ओर और अधिक ध्यान दें । प्रकृति ने आप को जो नदियों के रूप में वरदान दिया है, उन के पानी का आप पूरा उपयोग करें और उससे बिजली पैदा करें । मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की तरफ आपका विशेष ध्यान जाये । हमारे कृषि मंत्री जी ने अभी परसों तरसों कहा था कि पंजाब का आदमी अगर उसको थोड़ी सी भी बिजली मिल जाती है तो बहुत ज्यादा उससे लाभ उठाता है, जब कि दूसरे प्रान्तों के आदमी ऐसा नहीं करते हैं । परन्तु इसका निर्णय तो तभी होता जब हम को भी बिजली दी गई होती और उस बिजली का हम उपयोग नहीं करते । यहां तो कुछ मिला ही नहीं । प्रथम योजना खत्म हो गई , द्वितीय खत्म हो गई कुछ दिया ही नहीं गया । एक रिहांड योजना है । उसका कुछ काम आगे बढ़ा है किन्तु अब तीसरी योजना में उसके बारे में कोई खास खबर ही नहीं है । ऐसी हालत में हमारी परीक्षा नहीं ली जा सकती है। अगर उत्तर प्रदेश की परीक्षा लेनी है तो शूगर केन से जिसने उसे पैदा करके दिखा दिया है और जो चीनी पैदा करके दिखा दी है, उस से आप लें । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाये ।

†**श्री प० ला० बारूपाल** (बीकानेर रक्षित–अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, जो वित्त विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं । मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कुछ वस्तुओं के ऊपर से कर हटा लेने की घोषणा कर दी है ।

कुछ समस्यायें हैं जिन की ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे देश को आजाद हुए आज लगभग १४ वर्ष होने जा रहे हैं । इन १४ वर्षों में हमारे देश में भिन्न-भिन्न हिस्सों में तरक्की के काम हुए हैं, निर्माण कार्य हुए हैं । परन्तु कुछ बातें हैं, जो मैं कहना चाहता हूं । हमारे देश की जो राजभाषा हिन्दी होगी, ऐसा घोषित किया गया था । संविधान द्वारा इस को मान्य कर लिये जाने पर भी आज हिन्दी की दुर्गति हो रही है, इस को देख कर दुःख हुए बगैर नहीं रहता है । मैं महसूस करता हूं कि आज हिन्दी की स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसी कि हिन्दू समाज में विधवा स्त्री की होती है, जिसके प्रति सामाजिक कार्य में उपेक्षा बरती जाती है । ऐसे ही आज राजकीय कार्यों में हिन्दी की उपेक्षा की जाती है । यही गति रही तो मैं समझता हूं कि जो हमने वादे किये हैं, संविधान के अन्दर जो यह कहा है कि हिन्दी राष्ट्र की भाषा होगी, वे कैसे हम पूरे करेंगे ।

माननीय सदस्यों की तरफ से विचार प्रस्तुत किये जा रहे हैं । कोई कहता है कि हर राज्य की भाषा वहां की मातृ भाषा होनी चाहिये और कोई कुछ कहते हैं । जहां तक मातृ भाषा का सम्बन्ध है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं । मेरा सुझाव यह है कि किसी भी प्रदेश की चाहे जो भाषा हो, मातृ भाषा हो या कोई और, उसकी जो लिपि हो वह देवनागरी होनी चाहिये, जिस लिपि में वह लिखी जायें वह देवनागरी हिन्दी में लिखी जायें । अगर यह आप नहीं कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि बापूजी की भावना के साथ ही साथ संविधान की भावना के भी आप विरुद्ध जायेंगे ।

राजस्थान की ही मैं आप को बात बतलाता हूं। पांच प्रतिशत आदमी भी गांवों में पढ़े हुए नहीं हैं। हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से बुनकरों की सहायता के लिये पांच-पांच सौ रुपये खड्डियां आदि खरीदने की बात चली थी। उन को इस की खरीद के लिये पांच सौ रुपया सहायता या अनुदान के रूप में दिया जाना था। हमारे वहां के समाज कल्याण अधिकारी महोदय ने बुनकरों को अंग्रेज़ी में लिखकरके एक नोटिस भेजा कि बराये मेहरबानी आप ये सामान सात दिन के अन्दर अन्दर खरीद करके बिल और बाउचर हमको पेश कर दो। ऐसा करने पर आप को रुपये दे दिये जायेंगे। यह जो नोटिस था वह हरिजनों और अनपढ़ लोगों को भेजा था। उन को गांवों में पढ़ा लिखा कोई मिला नहीं जिससे वह उस नोटिस को पढ़वा सकते। वे मेरे पास आये और मैंने उनको बताया कि इसमें लिखा है कि अगर सात दिन के अन्दर अन्दर यह सामान नहीं खरीदा और हम को बिल बाउचर नहीं दिये तो रुपया लैप्स हो जायेगा, वापिस जमा हो जायगा। उन को कहा गया कि आप को सामान खरीदना चाहिये और बाउचर पेश करना चाहिये और तब जा कर के रुपया मिलेगा। उन गरीब आदमियों के पास इस सामान को खरीदने के लिये अगर रुपया होता तो वे भीख क्यों मांगते फिरते, क्यों आप को दरख्वास्तें देते फिरते। यह है वह व्यवहार जो हमारी जनता के साथ किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान इस ओर जाये।

जिस राज्य से मैं आता हूं वह प्राकृतिक दृष्टि से तीन हिस्सों में बंटा हुआ है। गंगानगर नहरी हिस्सा है, जैसलमेर, बीकानेर रेगिस्तानी और उदयपुर इत्यादि पहाड़ी। गंगानगर के इलाके को छोड़ करके, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उस सारे क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में हरिजनों के अलावा उच्च जातियों जैसे ब्राह्मण, राजपूत, जाटों तथा अन्य जातियों तक की यह हालत है कि उनको वक्त पर खाने को नहीं मिलता है। वहां की हालत बहुत खराब है, हर दूसरे तीसरे साल वहां अकाल पड़ता है। वहां पर वर्षा नहीं होती है। इसका नतीजा यह है कि देश के अन्य भागों में तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है, लेकिन वहां के लोगों का जीवन स्तर बजाये बढ़ने के नीचा हो गया है। उन इलाकों में कुछ सड़कें निकलीं, और कुछ बातें इस तरह की हुईं, लेकिन वहां हुआ क्या? वहां लोगों को कुछ आमदनी नहीं होती है। जो ऊन वगैरह और घास फूस लकड़ी पहले लाया जाता था वह ऊंटों गाड़ियों पर लाया जाता था और उस का पैसा उन लोगों को मिला करता था। अब वह पैसा ट्रक वाले और बस वाले ले लेते हैं। नतीजा यह होता है कि वहां के रहने वालों को खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि पहले वहां पर भले ही आमदनी कम थी लेकिन चीजें इतनी सस्ती थीं कि लोगों को कष्ट कम होता था। मैंने खुद बाजरा १८ सेर का खरीदा है, १६ सेर का गेहूं खरीदा है, डेढ़ रुपये मन मोठ, सवा सेर का घी खरीदा है, ३॥। सेर का तिल्ली का तेल खरीदा था, ४ सेर की चीनी खरीदी है, ८ सेर का गुड़ खरीदा है। उस समय गरीब थोड़ा सा कमाता था लेकिन काम चला लेता था। आज वह परेशान है क्योंकि उस के पास पैसा नहीं है। नतीजा यह हुआ है कि वह भूख से तड़प रहा है और रोटी तक के लिये इधर उधर हाथ फैलाता है। परन्तु वह समस्या हल नहीं हो रही है। इस मुल्क के अन्दर आज यह परेशानी है।

कुछ भाइयों ने राजस्थान नेहर के बारे में कहा। मैं समझता हूं कि राजस्थान नेहर से काफी अनाज पैदा होगा, और किसानों को काफी कीमत भी मिलेगी परन्तु कब, थोड़ी देर पहले बहुत से लोगों ने सुझाव दिये ग्रामों के अन्दर उद्योग धन्धों को फैलाने के बारे में हमारे कई भाइयों ने भी ग्रामोद्योग के विषय में कहा। मैंने भी एक बुनकर के घर में जन्म लिया है। मैं अब खेती का काम करता हूं। लेकिन मेरे बाप दादा बुनाई का काम भी करते थे। लेकिन खादी और ग्रामोद्योगों की अवस्था हमारे जिले के अन्दर ऐसी अच्छी नहीं है कि वहां के बुनकरों को काम सीधे मिल सके। वहां पर खादी संस्थायें कुछ लोगों से काम करवाती हैं जिसका नतीजा यह होता है कि जो उचित पैसा मिलना चाहिये, उनको वह नहीं मिलता। पहले १६रु०

[श्री प० ला० बारूपाल]

सेर ऊन की कताई मिलती थी लेकिन आज उन का औसत ८ रु० सेर का पड़ता है । ४ आ० रोज कतीनों को दिया जाता है और १२ आ० रोज मुश्किल से बुनकरों को मिलता है। और यह भी समय से मिल जाये तो ठीक है, लेकिन काम समय से नहीं मिलता है । खादी कमीशन की संस्था की ओर से जिस तरह से काम होता है उसमें उन कतीनों का औसत मुश्किल से डेढ़ आना या पांच पैसा रोज पड़ता है और बुनकरों को ८ आ० रोज पड़ता है क्योंकि उनको बराबर काम नहीं मिल पाता है । इस तरह से इस मंगहाई के जमाने में उनका काम किस तरह से चल सकता है ?

एक तरफ सरकार कहती है कि सहकारिता को प्रोत्साहन दिया जाय और हमारी पंचायतों को अधिक अधिकार दिये जायें तथा उन के द्वारा काम कराया जाय लेकिन जो सहकार समितियां हरिजनों और बुनकरों की हैं, उनकी हालत यह है कि जो सहकारी समितियां बनी हुई हैं उनके द्वारा खादी संस्थायें काम नहीं करवाती हैं । जो व्यक्तिगत आदमी उसके पास जाते हैं उनसे वह काम करवाते हैं । इस तरह से मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से काम चल सकता है । आज जो सहकार समितियां बनी हुई हैं उन को प्रमाण पत्र देने में उपेक्षा बरती जा रही है । खादी कमीशन जो खादी संस्थायें खादी बनाने का काम नहीं करती हैं उनको प्रमाण पत्र दे देता है परन्तु जो स्वयम् कातते हैं, स्वयम् बुनते हैं, खादी पैदा करते हैं, उनको प्रमाण पत्र नहीं देते हैं । वह समझते हैं कि यदि उन लोगों को प्रमाण पत्र दे दिया गया तो उनकी जो बीच की दलाली है, या जो पैसा उन को मिलने वाला है वह खत्म हो जायेगा । हो सकता है यह सब जगह न होता हो लेकिन हमारे यहां होता है । हमने खादी के उत्पादन के लिये प्रयत्न किया, हमें खादी से प्रेम है, फिर भी मैं चाहता हूं कि जो श्रम करने वाला है उस के श्रम का फल उस को सीधा मिलना चाहिये ।

**स्वामी रामानन्द तीर्थ** (औरंगाबाद): जो कतीन हैं, उन को सब जगह एक सा रेट मिलता है । वह रेट सुनिश्चित है । कोई संस्था या व्यक्ति नहीं है जो उस में कोई हेर फेर कर सके ।

**श्री प० ला० बारूपाल** : मैं स्वामी जी से कहना चाहता हूं कि मैंने खुद पता किया है । श्री ऋषि राज नौटियाल खुद गये थे जो कि खादी प्रमाण समिति के सदस्य हैं । मैंने इस की इन्क्वायरी कराई है । दूसरी जगह की बात आप कह सकते हैं, लेकिन हमारे बीकानेर में इसी तरह होता है ।

**स्वामी रामानन्द तीर्थ** : सारे देश में एक ही तरह से खादी बनाने का काम होता है ।

**श्री प० ला० बारूपाल** : यहां हमारे हाफिज जी विराज रहे हैं, इसलिये अब मैं कुछ राजस्थान नहर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । जैसा मैंने निवेदन किया इरिगेशन डिपार्टमेंट से, हमारे यहां पंजाब की जो घग्घर नदी है उसकी बाढ़ से प्रतिवर्ष १० करोड़ रु० की फसल का नाश हो जाता है । मैं चाहता हूं कि हाफिज जी पंजाब सरकार को लिखें कि वह अपने पानी को ठीक तरह से रक्खें । अगर हम को पानी देना है तो ठीक तरह से दें, हम को रुलाने के लिये न दें । हमारे चौधरी साहब कहते थे कि जब हमारा पानी निकलता है, गांव के पास से बहता है, तो लोग रोते हैं । इसमें रोने की बात नहीं है । पानी का अच्छा प्रबन्ध किया जाये और उससे अधिक लाभ उठाया जाये । यह नहीं होना चाहिये कि जो पानी दिया जाये उससे बजाये अच्छी फसल होने के जो दूसरी फसल होती है वह भी नष्ट हो जाय । इसलिये मैं समझता हूं कि घग्घर नदी पर जल्दी ही कोई बांध बांध कर अच्छी तरह से पानी दिया जाये ।

राजस्थान को जितना पैसा दिया जाता है, वह बहुत कम है । राजस्थान का रियासती राज्य के समय से शोषण हुआ है । जहां कहीं कोई प्रगति हुई भी है तो वह उन थोड़े हिस्सों में हुई है जहां

---

†मूल अंग्रेजी में

राजाओं की रंग रलियां होती थीं या उनके ऐश व आराम की जगह होती थी। वही पर सारा डेवेलपमेंट हुआ है, बाकी गांवों की कोई प्रगति नहीं हुई है। अगर राजस्थान की प्रगति करनी है तो उसकी ठीक से सहायता करनी पड़ेगी। आज वित्त मन्त्री महोदय कहते हैं कि उन्होंने राजस्थान को काफी पैसा दे दिया है। ठीक बात है, लेकिन वे राजस्थान नहर का पैसा भी उसी में जोड़ लेते हैं। दूसरी चीजों को भी उसमें जोड़ लेते हैं। यह चीज़ ठीक नहीं है। राजस्थान नहर तो आप को वहा लानी ही पड़ेगी। उसे वहां से निकालना ही होगा। यह सारे मुल्क का काम है। ५५ वर्ष के बाद जब बुढ़ापा आयेगा तो जवानी बीच में आयेगी सो राजस्थान नहर पर तो आप को पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। अगर आप उस पर पैसा राजस्थान में नहीं खर्च करेंगे तो आखिर उस नहर को ले कहां जायेंगे? इसलिये राजस्थान नहर के लिये पैसा देकर दूसरी प्रकार के कामों के लिये भी पैसा देना चाहिये।

वहां पर खाद कारखाना अभी नहीं बनाया जा रहा है। मैंने सुना है कि इस तरह की चाल चली जा रही है कि उस को अब थर्ड प्लैन में न रख कर फोर्थ प्लैन में रखने की बात चल रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस तरह से राजस्थान की उपेक्षा न करें। राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। जहां तक पंचायती राज्य और सहकारिता की बात है, पंचायती राज्य के सम्बन्ध में वहां पर बहुत अच्छी प्रगति हुई है। और आज लोग समझने लगे हैं कि उन के हाथ में कुछ अधिकार आये हैं। पंचायती राज्य से लोग अपने को ऐसा समझने लगे हैं कि वे खुद मुख्तार हैं और उन का अपना राज्य है। आज अफसर हमारे पास आ कर बैठते हैं। गांव के लोग एक समय में जिस के नीचे रहते थे अब वही आदमी आ कर उन के पास बैठता है और गांव की समस्याओं को सुलझाने के लिये अपना योगदान दे रहा है।

राजस्थान के अन्दर छोटे छोटे उद्योग धन्धे भी खोले जायें। वहां पर रेलवे लाइनें भी बहुत कम हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप राजस्थान नहर को कामयाब बनाना चाहते हैं तो उस से पहले उस एरिया में रेलवे लाइन लानी होगी।

**एक माननीय सदस्य** : तब आप के ऊंट बेकार हो जायेंगे।

**श्री प० ला० बारूपाल** : यहां पर ऊंट की बात नहीं है। मैं बीकानेर स्टेशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं अगर राजस्थान नहर बनेगी तो वहां तक ब्राडगेज लाइन ले जानी पड़ेगी। और बड़ी लाइन को ले जाने के लिये बीकानेर को उस से जोड़ना पड़ेगा. इसलिये जो वर्तमान स्टेशन है उस को वहां से हटाना पड़ेगा। अगर आप उस स्टेशन को वहां रक्खेंगे तो न इतने यार्ड बनेंगे और न लाइनें डाल सकेंगे इसलिये हमारे शहर का निर्माण कार्य है वह भी रुका हुआ है। रेलवे मंत्रालय और भारत सरकार जरूर कोई निर्णय करें कि इसे किस तरीके से किया जायेगा। इस स्टेशन पर जो सब से बड़ी समस्या है वह यह कि वहां कई बार गाड़ियां आती हैं और लालगढ़ तथा बीकानेर के बीच में कई बार फाटक बन्द हो जाता है। इसलिये लोगों का समय इतना बरबाद होता है जिस का कोई ठिकाना नहीं है।

मैं निवेदन करूंगा कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उन के सम्बन्ध में विचार किया जाये।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** (पुदुकोटे) : मंत्री महोदय ने एक व्यावहारिक आय-व्यक (बजट) प्रस्तुत किया इस के लिये वह मुबारकबाद के पात्र हैं। यह आय-व्ययक बताता है कि आगे भी इसी प्रकार के आय-व्ययक आयेंगे। परन्तु हमारे आयोजन को दृष्टि में रखते हुए ऐसा करना बड़ा ही आवश्यक है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि देश में प्रति व्यक्ति आय में समुचित बृद्धि नहीं हुई है। हमें इस बात का पूरा प्रयत्न करना है कि हम शीघ्र ही आत्म निर्भरता की स्थिति पर पहुंचे। विकास कार्यों से सम्बन्धित खर्चों के अतिरिक्त अन्य खर्चों को भी कम किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामनाथन चेट्टियार]

एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि हम ने योजना से जो आशा की थी वह पूरी नहीं हुई। बचत की दर बहुत ही कम रही है। इसे देखते हुए एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम कब तक विदेशी सहायता पर आश्रित रहेंगे। हमें योजना के हेतु देश के आन्तरिक संसाधनों की तलाश करनी चाहिये। परन्तु यह बात अब पूरी तरह समने रखनी चाहिये कि कर और नहीं बढ़ने चाहियें। वे तो पहले ही अपनी अधि तम सीमा तक पहुंच चुके हैं।

हथकरघों के प्रयोग में आने वाले धागे पर भी कर लगाया गया है। दक्षिण भारत में इस उद्योग पर इस की बहुत बुरी प्रतिक्रिया हुई है। दक्षिण भारत के लगभग ७५ प्रतिशत लोगों को इस उद्योग में ही रोजगार मिला हुआ है। उन्हें इस से बहुत भारी हानि उठानी पड़ेगी। मेरा निवेदन तो यह है कि इस उपकर के पीछे जो भावना है वह ही गलत है। ४० काउंट के धागे के पीछे जो छूट दी गई है उस से कोई लाभ की आशा नहीं हो सकती। स्थिति यह है कि दक्षिण भारत में इस से पूर्व ही इस काउंट का धागा प्रयोग में लाया जाता है। मेरा यह भी निवेदन है कि मिट्टी के तेल पर जो शुल्क लगाया गया है, उस पर पुनः विचार किया जाना चाहिये। यदि सम्भव है तो मैं यह अनुरोध करूंगा कि उसे हटा दिया जाय। योजना के लिये जितनी विदेशी मुद्रा का आवंटन किया गया है, उस का अधिक अच्छा उपयोग किया जाना चाहिये।

दूसरी पंच वर्षीय योजना के चौथे वर्ष तक के लिये १,२६८ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का आवंटन किया गया था परन्तु बड़े खेद की बात है कि केवल ७७९ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का लाभ उठाया गया। इस प्रकार ४८९ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बेकार गई जबकि हमें उस का सूद देना पड़ा है। मेरा आर्थिक कार्य विभाग से अनुरोध है कि वह इस का ध्यान रखे कि आवंटित विदेशी मुद्रा का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाये।

आप जानते हैं कि हाल में ही प्लाई बैंक समाप्त हो गया जब कि उस की पूंजी १२ करोड़ रुपये थी। मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक को इस संबंध में अधिक चौकन्ना रहना चाहिये जिस से इस प्रकार की दुर्घटनायें न हों।

अन्त में मैं राजस्व उगाहने वाले कर्मचारियों की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बड़ा सुन्दर काम किया है और पर्याप्त मात्रा में धन इकट्ठा कर के राजस्व की वृद्धि की है।

**श्रीमती कृष्णा मेहता** (जम्मू तथा काश्मीर): सभापति जी, मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देती हूं और वित्त मंत्रालय की आभारी हूं कि उन्हों ने पावर से चलने वाले करघों, पावर लूम्ज, पर से कुछ कर माफ कर दिया है और तीन चार करघों वाले यूनिटस को पूरी ऐग्जेम्प्शन दे दी है। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऊन के धागे पर खास ध्यान नहीं दिया गया है, जिस की वजह से कुछ परेशानी है। मेरी विनती है कि उस पर फिर से ध्यान दिया जाये। काश्मीर में गरम कपड़े की जरूरत होती है और वहां की जनता बहुत गरीब है। रफल एक किस्म का ऊन का धागा है, जो अक्सर पावरलूम से बनता है। इसलिये उस पर कर का बहुत असर पड़ेगा। मैं ने बजट के समय बोलते हुए शाल और कालीन के बारे में कहा था, लेकिन हम देखते हैं कि इस बारे में बहुत थोड़ा फायदा हुआ— कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। और शायद वह भी नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब शालें तैयार हो कर सारी स्टेटस में जाती हैं, तो उन पर स्टेटस का कर लग जाता है। इस कारण भी वे बहुत महंगी होती हैं। काश्मीर के लोग वही कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि वह सस्ता है। इस हालत में उन को बहुत दिक्कत हो जाती है। इस से विदेशी मुद्रा जो हम कमाते हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कुदरती तौर पर वे महंगी होंगी। इसलिये यह जो ऊनी धागे पर कर लगाया गया है यह ठीक नहीं है।

इससे जो लोग शाल बनाते हैं, उन को हानि होगी। उन को माल तैयार करके मार्किट में ही देना है और अगर वह मंहगा होगा तो चल नहीं सकता है। इस से बड़ी दिक्कत होगी। मैं वित्त मंत्री महोदय तथा उपमंत्री महोदया जो इस समय यहा बैठी हुई हैं, उन का ध्यान खास तौर पर शालों की तरफ दिलाना चाहती हूं और उन से प्रार्थना करती हूं कि इस पर दुबारा निरीक्षण किया जाना चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो काश्मीर की जनता को उस से बहुत फायदा होगा। वहां पर और कोई उद्योग नहीं है, यही छोटे-मोटे से उद्योग हैं और अगर ये भी खत्म हो गये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, कितनी वहां के लोगों को दिक्कत हो जायेगी।

आपने जो कैरोसीन आयल पर से ड्यूटी हटाई है, उस के लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं। इस से गरीब लोगों को बहुत फायदा होगा। मैं आप को बताऊं कि मैं उन इलाकों को देख कर आई हूं जहां के रहने वाले बेचारे लोगों को कभी कैरोसीन देखने को भी नसीब नहीं हुआ है। इतने वे अभागे हैं। हमारे भारत में ऐसे भी गांव हैं जहां कि जनता इतनी गरीब है कि जंगलों में एक खास किस्म की जो लकड़ी होती है, उस को जला कर रात को चर्खा कातना और कपड़ा बुनना इत्यादि सारे काम उस की रोशनी के सहारे करती है। इन बदकिस्मत लोगों के लिये मैं किस-किस चीज की आप से मांग करूं और अगर किसी चीज की मांग करूं भी तो मैं जानती हूं कि आप दे नहीं सकेंगे। लेकिन जहां पर भी गरीब लोगों के लिये कुछ हो सकता है और किया जा सकता है, वह किया जाना चाहिये। ऐसे-ऐसे भी देहात हैं जहां पर लोगों को चाय के वास्ते दूध तक नसीब नहीं होता है और वे पोस्त का दूध निकाल कर के चाय में डालते हैं। गरीब आदमियों की जो छोटी बड़ी जरूरतें हैं, उन को पूरा करने की तरफ आप का विशेष ध्यान जाना चाहिये।

इस मंत्रालय ने बहुत दृढ़ता से तथा योग्यता से देश की राष्ट्रीय आय बढ़ाने का प्रयत्न किया है। पहली दो योजनाओं में राष्ट्र की आय पांच प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ाने का संकल्प किया गया था। इस का मतलब यह हुआ कि सन १९४९---६६ के पंद्रह वर्षों में सारी वृद्धि लगभग ८० प्रतिशत हो सकेगी, ऐसी आशा की जाती है। मैं समझती हूं कि इस लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकेंगे और देश को उन्नत कर सकेंगे। इस बीच बहुत से तरक्की के काम हुए हैं और बहुत से होंगे और मैं आशा करती हूं कि हमारा हर मंत्रालय बड़ी मेहनत से देश को आगे बढ़ा सकेगा और एक वह दिन भी आयेगा जब गांधी जी का स्वप्न पूरा होगा।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुईं]

अब मैं काश्मीर की कुछ बातों की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहती हूं। काश्मीर एक ऐसा राज्य है, जहां पर कोई बड़ा कारखाना नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूं कि तीसरी योजना के दौरान में वहां कुछ कारखाने खोलने का प्रबन्ध आप की तरफ से किया जाये। अभी जड़ी बूटियों के फार्म खोलने की बात चल रही है। तीन फार्म खुलने जा रहे हैं। अगर उन तीन फार्म्ज में से एक फार्म काश्मीर में हो जाये, तो बहुत फायदा वहां की जनता को हो सकता है। अगर यह नहीं हो सकत है तो घड़ियों के जो कारखाने खुलने वाले हैं, उन में से एक काश्मीर में खोल दिया जाय तो उस से भी वहां की जनता को कुछ लाभ हो सकता है। अगर ऐस नहीं किया गया तो मैं समझती हूं कि जम्मू और काश्मीर के लोग बहुत पिछड़ जायेंगे। वहां पर कोई ऐसे उद्योग नहीं हैं जहां पर श्रमिक वर्ग के लोग जा कर काम ढूंढ़ सकें और अपने आप को ऊपर उठा सकें। मैं यह मानती हूं कि वहां की सरकार ने बहुत कुछ लोगों के लिये किया है। इस वर्ष का उस राज्य का बजट १६ करोड़ रुपये का है और इससे पहले कभी इतनी बड़ी राशि का बजट वहां पेश नहीं हुआ है। पहले पांच छः करोड़ का ही बजट हुआ करता था। इस का मतलब यह हुआ कि वहां तरक्की हो रही है। आप जानते हैं कि जम्मू काश्मीर में इतनी जमीन नहीं है कि हर एक किसान को जो खेती करना चाहता है दी जा सके। वहां पर बेरोजगारी है क्योंकि

[श्रीमती कृष्णा मेहता]

जमीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। वहां के श्रमिक बाहर हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में जाते हैं और वहां अपनी रोजी कमाते हैं। इसलिये यह जरूरी है कि वहां पर कारखाने हों जिन में कुछ हजार लोग, कुछ लाख तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि यह हो नहीं सकता है, काम पा सकें और उन की जो दिक्कतें हैं वे दूर हो सकें।

सामुदायिक योजना के अन्तर्गत बहुत सा काम देश में हुआ है। यह माना जा सकता है कि कुछ दिखाई नहीं देता है कि काम हुआ है और इस का कारण यह है कि गांवों की दशा बहुत खराब है। लेकिन फिर भी मैं समझती हूं कि सामुदायिक योजना द्वारा एक एक गांव में पहुंचा जा सकता है और और कुछ नहीं तो उन लोगों के दुःख दर्द को देखा जा सकता है। आगे चल कर एक ऐसा भी वक्त आयेगा जब कि इस के द्वारा बहुत अच्छा काम हो सकेगा। मैं आप के सामने जम्मू प्रान्त की ही बात रखती हूं। वहां कंडी के इलाके में बहुत से गांव ऐसे थे जहां पर पानी नहीं था और लोग छः छः मील से पानी लाते थे और जो पानी वे लाते थे उस में नारवे नाम का एक कीड़ा होता था और इस पानी को पी कर अक्सर वहां के लोगों को नारवे की बीमारी हो जाती थी। इस सामुदायिक योजना के अन्तर्गत वहां पर आज गाड़ियों में पानी भेजा जाता है। उन लोगों से पूछा जाये तो वे आप को बतायेंगे कि कितना लाभ उन को इस सामुदायिक योजना से पहुंचा है। मेरा यह कहना है कि जैसे-जैसे देश आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे उससे फायदा हो रहा है।

मैं काश्मीर का जिक्र करती हूं। अगर आप गर्म प्रान्तों को देखें तो पता चलेगा कि वहां के किसान का अगर पचास रुपया खर्च होता है तो काश्मीर के किसान का १५० रुपया खर्च होता है। सर्दी के मौसम में उनका जो खाना है वह भी ऐसा होना चाहिये कि सर्दी से वे अपने आप को महफूज़ रख सकें, कपड़े जो उनके हैं वे भी ऐसे होने चाहियें कि सर्दी से उनकी रक्षा हो सके और इस वास्ते उनको गर्म कपड़े चाहियें। उनकी तरफ मैंने आपका बार-बार ध्यान दिलाया है और कहा है कि इस तीसरी योजना में उन लोगों की तरफ आप अगर खास ध्यान नहीं देंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। चौदह साल हो चुके ह, वहां पर अभी तक रेलवे का प्रबन्ध नहीं हो सका है और इसका लोगों को बहुत गिला है। जम्मू पठानकोट से ७२ मील है। वहां पर भी अभी तक रेल नहीं पहुंची है। दस मील तक लाइन गई है और उसको बने हुए शायद चार वर्ष हो गए हैं। मैं चाहती हूं इस ओर आपका विशेष ध्यान जाए।

और भी छोटी-छोटी चीजें हैं जिनकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये। कामर्स इण्डस्ट्री मिनिस्ट्री की जो विकास शाखा है, उसने क्यों काश्मीर के लिये उद्योगों की कोई योजना नहीं दी है इस को आप देखें।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आज सुबह यहां एक प्रश्न ब्लड बैंक के बारे में हुआ था। ब्लड बैंक्स के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि वित्त मंत्री जी को चाहिये कि लैबोरेटरीज़ खोलने के लिये, सारे देश में, कुछ राशि अवश्य रखें। यहां पर हमारे देश में ब्लड रोगियों को न मिलने के कारण बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और इस वजह से कई जिन्दगियां खत्म हो जाती हैं। कई आदमियों ने इसको अपना व्यापार ही बना लिया है कि ब्लड देकर रुपया प्राप्त कर लिया जाए। २०-२२ रुपये लेने की खातिर वे अस्पतालों में चले जाते हैं और अपना ब्लड दे देते हैं और इस कारण से और कई बीमारियां उनको बाद में लग जाती हैं। यह ठीक तरीका नहीं है। रशिया का एक डाक्टर यहां आया था और उसने इस के बारे में अपने विचार प्रकट किये थे। उन्होंने बताया था कि रशिया में रोगी के मरने

के बाद से छः घंटे तक में उसका रक्त निकाल करके रख लिया जाता है, जिन्दा आदमी से रक्त बहुत कम लिया जाता है। वहां पर यह खयाल पाया जाता है कि जिन्दा आदमी का रक्त लेने से उसमें कमजोरी आ जाती है। मैं वित्त मन्त्री जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं और अगर हमारे देश में भी कोई इस तरह की व्यवस्था की जा सके तो इससे बहुत लाभ हो सकता है।

माननीय सदस्यों ने खादी के बारे में कुछ बातें कही हैं। शायद उनको यह मालूम नहीं है कि खादी की जो मजदूरी है वह खादी कमीशन द्वारा निर्धारित होती है और निर्धारित मजदूरी से कम कोई दे नहीं सकता है और न ही ज्यादा दे सकता है। यह जरूर है कि अगर मोटी बारीक हो तो थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। मैं नहीं समझ सकी हूं कि खादी के बारे में उन्होंने ऐसी बात क्योंकर कह दी। हमें देखना होगा कि खादी से आज कितना लाभ हो रहा है। लगभग १६ लाख आदमियों को हिन्दुस्तान में इस वक्त खादी द्वारा काम मिल रहा है। गरीब वर्गों को जो इससे लाभ हो रहा है और उनके लिये जो कुछ भी काम किया जा रहा है, उसके लिये मैं खादी कमीशन को धन्यवाद देती हूं।

अन्त में मैं उपमन्त्री महोदया से इतनी ही प्रार्थना करना चाहती हूं कि ऊनी धागे की तरफ उनका जरूर ध्यान जाए। यही काश्मीर में एक धंधा है और इसको वह अच्छी तरह से जानती हैं। वह यह भी अच्छी तरह से जानती हैं कि शाल बनाना, कालीन बनाना, यही एकमात्र काम वहां की बेचारी जनता करती है। अगर यह भी खत्म हो गया तो यह बड़ा भारी अन्याय होगा। इस लिये इस ओर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिये।

†**श्री जमाल ख्वाजा** (अलीगढ़) : मैंने वैदेशिक कार्य मन्त्रालय की मांगों पर श्री नाथ पाई का भाषण सुना। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इतना सुन्दर भाषण दिया। परन्तु भाषण पर मनन करने के बाद मुझे लगा कि उन्होंने चीन के साथ कार्यवाही करने के बारे में तो कोई सुझाव नहीं दिया है और इसलिये मेरे विचार में यही आया कि चीन के बारे में भारत सरकार की नीति एक दम ठीक है।

वित्त मन्त्री द्वारा दी गई रियायतों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा सुझाव है कि माननीय मन्त्री कृपा करके छोटे पैमाने पर औषधियों का निर्माण करने वालों को भी कुछ रियायतें दें। मुझे प्रसन्नता है कि छोटे पैमाने पर कांच का सामान बनाने वालों को कुछ रियायतें दी गई हैं।

आज हमारे सामने राष्ट्रीय एकता की समस्या विशाल रूप से खड़ी है। शासक दल तथा हमारे प्रधान मन्त्री का ध्यान इस ओर है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। मुझे प्रसन्नता है कि इस समस्या की ओर ध्यान दिया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि अनुसूचित जातियों की सुरक्षा पर सरकार जिस प्रकार ध्यान दे रही है उसी प्रकार उसको राष्ट्रीय एकता बनाने पर भी ध्यान देना चाहिये तथा कोई कार्यवाही करनी चाहिये।

कुछ वर्ष पहले सरकार ने प्रोफेसर गार्डनर मर्फी, एक समाजशास्त्री को भारत की सामाजिक दशा का अध्ययन करने के लिये भारत बुलाया था। उन्होंने इसके बारे में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। परन्तु खेद है कि उस प्रतिवेदन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस समस्या का अध्ययन करने के लिये समाजशास्त्रियों की एक समिति नियुक्त की जाये जो समाज में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक एकता लाने के बारे में सुझाव दे। इस प्रकार का कार्य करने वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता देकर सरकार को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जमाल ख्वाजा]

मेरा यह भी सुझाव है कि स्कूलों तथा कालिजों में इतिहास, भूगोल आदि के समान ही संस्कृति शास्त्र को भी विषय बनाया जाना चाहिये। इसके लिये उत्तम पुस्तकें लिखी जानी चाहियें जिससे हमारी जनता संस्कृति को ठीक प्रकार समझ सके। इसके अतिरिक्त हमारे भावी राष्ट्रजन जो इस समय छोटे हैं, के मन में संस्कृति के प्रति जागरूकता आ जाय।

†**श्री क० स० रामस्वामी** (गोबिचेट्टिपलयम): अध्यक्ष महोदय, हमें प्रसन्नता है कि हमारे देश में खेती तथा उद्योग में बड़ी प्रगति हो रही है। परन्तु जब हमारा ध्यान इनके मूल्यों की ओर जाता है तो बड़ी निराशा होती है। वस्तुओं के मूल्य ११ प्रतिशत बढ़ गये हैं। चावल के मूल्य ७ प्रतिशत बढ़ गये हैं। परन्तु गेहूं के मूल्य ११ प्रतिशत कम हो गये हैं। इससे किसानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिये हमें किसानों को न्यूनतम मूल्य दिलाने पर ध्यान देना चाहिए।

वित्त मन्त्रालय को वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय की निर्यात नीति पर भी ध्यान देना चाहिये खली का निर्यात किया जाता है परन्तु देश में खली के मूल्य शत प्रतिशत बढ़ गये हैं। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

किसानों को सहायता दी जानी चाहिये। उन्हें कम सूद पर ऋण दिया जाना चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मन्त्री ने उर्वरक के मूल्य कम करने की घोषणा कर दी है।

माननीय वित्त मन्त्री ने कल उत्पादन शुल्कों में कुछ छूट देने की घोषणा की है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हथ करघे के बने हुए कपड़ों को गरीब आदमी पहनता है इसलिये इसको सरकार जो १२ नये पैसे की छूट दी भी उसको कम नहीं किया जाना चाहिये।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि दक्षिण का वातावरण कपड़ा मिलों के लिये बड़ा उपयुक्त है। मद्रास राज्य में १३४ कपड़ा मिलें हैं जिनमें से ७४ मिलों की हालत बड़ी खराब है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये तथा दक्षिण में और कपड़ा मिलें खोलनी चाहियें।

राज्यों को अब तक आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। मेरा सुझाव है कि करों का आवंटन न केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाय अपितु राज्यों की कर देने की क्षमता के आधार पर भी किया जाना चाहिये।

हमारे पड़ौसी देश श्रीलंका में तमिल भाषा-भाषी लोग शासन और न्यायालयों में तमिल भाषा का प्रयोग हो इस के लिये लड़ रहे हैं। उनकी यह मांग उचित है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह अपनी सद्भावनाओं का प्रयोग करके तमिल भाषा-भाषी लोगों के इस झगड़े को शान्ति से निबटवा दे। सरकार को हथकरघा उद्योग को दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर घटा देनी चाहिये।

तीसरी योजना में सड़क तथा संचार व्यवस्था बनाये रखने के लिये सड़कों के निर्माण में अधिक धन लगाया जाना चाहिये। मेरा सुझाव है कि कोयम्बटूर तथा मैसूर को मिलाने वाली एक सड़क का निर्माण किया जाना चाहिये। चाम नगर से सत्यमंगलम तक एक रेलवे लाइन बनाने का काम भी आरम्भ किया जाना चाहिए।

†**श्री मि० सु० मूर्ति** (गोलगोंडा): घाटे को पूरा करने के लिये लगभग ६० करोड़ रुपये के कर लगाये गये हैं। इन में से ३०.६ करोड़ रुपये संघ उत्पादन शुल्क के द्वारा वसूल होंगे। संघ उत्पादन शुल्क तीन श्रेणियों में आते हैं। एक—दैनिक आवश्यकता की वस्तुयें, दो—प्रसाधन सामग्री तथा तीन

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक कच्चा माल । तीनों से क्रमशः ११ करोड़ रुपये, ३.५ करोड़ रुपये, तथा १६.४ करोड़ रुपये की आय होगी । इन शुल्कों के कारण उपभोक्ताओं की खरीदने की सामर्थ्य कम हो जायेगी, मुद्रास्फीति बढेगी तथा वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे । इसके अतिरिक्त उत्पादन लागत बढ़ जायेगी जिससे निर्यात की मात्रा भी कम हो जायेगी ।

हथकरघा उद्योग पर कर लगाया गया है । मैं बताना चाहता हूं कि इस उद्योग का नम्बर खेती के बाद दूसरा आता है । लगभग ७५ लाख व्यक्ति इस उद्योग में नियुक्त हैं । इसकी आय बहुत कम है इसलिये हालत भी नाजुक है । सरकार ने फिर भी इस उद्योग पर ६० लाख रुपये के कर लगाये हैं जो कुल करों की आय का सौवां भाग है । इस उद्योग को पहले रुपये में ६ नये पैसे छूट मिलती थी जिसको अब कम करके ३ नये पैसे कर दिया गया है । इससे जनता अब इसको खरीदना भी कम कर देगी क्योंकि मिल के कपड़े तथा हथकरघे के कपड़े के मूल्यों में अब कम अन्तर रह जायेगा । इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस कर को वापस ले ले क्योंकि इससे बहुत थोड़ा धन, केवल ६० लाख रुपया ही प्राप्त होगा जबकि इसके न लेने से ७५ लाख व्यक्तियों को लाभ होगा ।

आज जापान भारत से लौह अयस्क ले रहा है और इस प्रकार वस्तुयें बना कर विश्व में प्रतिस्पर्धा कर रहा है । क्या यह सम्भव नहीं कि हमारे देश में भी छोटे-छोटे इस्पात संयंत्र बनाये जायें जिससे समस्त देश में लोहे की वस्तुयें बनाई जाने लगें । जर्मनी के एक समवाय ने २ करोड़ रुपये की एक इस्पात योजना बनाई है जिसको मेरे विचार से आंध्र प्रदेश के कोत्ता बलासा में स्थापित कर देना चाहिये । आन्ध्र प्रदेश में एक दैवीइलैक्ट्रिकल कारखाना भी बनाया जाना चाहिये ।

†**श्री न० रं० घोष** (कूच बिहार) : मैं वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने कल कुछ रियायतों की घोषणा की है । इसके साथ साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि उन्होंने निर्यात बढ़ाने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है । उदाहरण के लिये आप चाय को लीजिय । आज पूर्वी अफ्रीका तथा श्रीलंका हमें विश्व के बाजार से निकालने के लिये प्रयत्नशील है । हमें इसकी ओर ध्यान रखना चाहिये । हम चाय के मूल्य सस्ते करके उसका निर्यात मोरक्को आदि देशों में कर सकते हैं । मेरी वित्त मन्त्री से प्रार्थना है कि वह इस पर विचार करें । यह बड़े खेद की बात है कि निर्यात की जाने वाली अन्य वस्तुओं पर लिया गया उत्पादन शुल्क तो लौटा दिया गया परन्तु चाय पर लिया गया । उत्पादन शुल्क निर्यात के समय नहीं लौटाया जाता है ।

पैक की गई चाय के प्रति माननीय वित्त मंत्री बड़े उदार हैं । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ९० प्रतिशत पैकेट चाय का व्यापार ही फर्में करती हैं । इन दोनों फर्मों की हालत बहुत अच्छी है और इन को किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है । उन्होंने खुली चाय पर कर लगाने की आवश्यकता इसलिये बताई कि खुली चाय खराब चाय होती है इसलिये इस की खपत रोकी जानी चाहिये । मैं उन को बताना चाहता हूं कि उन की धारणा गलत है । खुली चाय सस्ती होती है इसलिये गरीब मजदूर उस को पी पाते हैं ? पैकेट चाय यदि कम पीने लगें तो उन को अपना गुजारा चलाना असंभव हो जाय । इसलिये पैकेट की चाय पर से उत्पादन शुल्क नहीं हटाना चाहिये । मैं समझता हूं कि ऐसा करने पर ही निर्यात बढ़ पायेगा ।

वित्त मंत्री ने आय कर अधिनियम की धारा ७ के खण्ड (४) का संशोधन कर के प्रतिरक्षा सेवाओं के सैनिकों को कुछ छूट दी है । मेरा सुझाव है कि सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र सभी में इसी प्रकार की छूट देने की व्यवस्था कर देनी चाहिये ।

रेडियो व्यापारियों से प्रति दिन हमें प्रत्यावेदन मिलते हैं कि उन पर उत्पादन शुल्क न लगाया जाय और यदि लगाया जाय तो २०० रुपये तक की कीमत के रेडियो पर तो कर लगना ही नहीं चाहिये । मेरा भी यही कहना है उनकी इस मांग को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नारायणन कुट्टि मेनन (मुकुन्दपुरम) : श्रीमान्, उत्पादन शुल्कों का विश्लेषण करने पर पता लगता है कि इन का प्रसर मध्य वर्ग से ऊपर के वर्ग पर बिल्कुल पड़ने वाला नहीं है। परन्तु कल अपने मंत्रालय की मांगों के विवाद का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने बताया था कि वह स्वयं भी कभी मध्यम वर्ग के ही थे। मैं ने उन से उसी समय यह प्रश्न पूछा था कि तब आप ने इन की मजूरी बढ़ाने के बारे में क्या किया तो उन्होंने बताया कि १९३९ से १९६१ के मजूरी के आंकड़े उन के पास नहीं हैं।

मिट्टी के तेल पर उन्होंने उत्पादक शुल्क लगाया है और बताया है उन्होंने बढ़िया किस्म पर कर लगाया है। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि तेल समवाय घटिया किस्म का तेल बनायेंगे ही नहीं। वह सभी तेल बढ़िया बनायेंगे और जनता से कर वसूल करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि १९५०-५१ में मिट्टी के तेल से केवल २८ लाख रुपये कर के रूप में मिलते थे जो अब ८५० लाख रुपये हो गये हैं। इस से अनुमान लगाया जा सकता है कि मिट्टी के तेल पर कितना कर बढ़ गया है।

माननीय वित्त मंत्री ने कल बिजली के करघों पर कुछ रियायतों की घोषणा की है। मेरा सुझाव है कि कम से कम चार करघों का एक यूनिट माना जाना चाहिये और छूट की व्यवस्था करनी चाहिये। रेडियो पर उत्पादन शुल्क लगाया गया। मैं समझता हूं कि मध्यम वर्ग के लोगों को भी इस उत्पादन शुल्क का भार वहन करना पड़ेगा।

हथकरघा उद्योग की हालत बड़ी नाजुक है। वहां बना हुआ कपड़ा बेकार पड़ा है। बेरोजगारी है। परन्तु खेद है कि माननीय वित्त मंत्री ने इस बात को नहीं समझा और हथकरघे के सूत पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगा दिया।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

---

## सभा का कार्य

†अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक के लिये १५ घंटे नियत किये गये थे जिस में से ५१/२ घंटे समाप्त हो चुके हैं। माननीय संसद्-कार्य मंत्री का यह सुझाव है कि यदि सभा सहमत हो तो कल शुक्रवार को सारे दिन बैठ कर हम वित्त विधेयक को समाप्त कर दें और शनिवार को गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य ले लें।

किसी ने भी विरोध प्रकट नहीं किया इसलिये मैं समझता हूं कि मेरी बात से सभी सहमत हैं।

**इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २१ अप्रैल, १९६१/१ बैसाख, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

---

†मूल अंग्रेजी में

## दैनिक संक्षेपिका

**गुरुवार, २० अप्रैल, १९६१**

**३० चैत्र, १८८३ (शाक)**

**विषय** — **पृष्ठ**


प्रश्नों के मौखिक उत्तर ५७३९--६२

**तारांकित**
**प्रश्न संख्या**

| | | |
|---|---|---|
| १६३६ | रक्त दान . . . . | ५७३९–४० |
| १६३७ | हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापटनम | ५७४०–४१ |
| १६३८ | चीनी का नर्यात | ५७४१–४२ |
| १६३९ | टेलीफोन विभाग . | ५७४२–४३ |
| १६४० | ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज को ऋण | ५७४३--४५ |
| १६४२ | मूंगफली का मक्खन . . . . . | ५७४५ |
| १६४३ | एयर इंडिया इन्टरनेशनल के लन्दन टोकियो बोइंग मार्ग की रंगीन फिल्म . . . | ५७४५–४६ |
| १६४४ | अन्तर्राष्ट्रीय पत्तनों पर भोजन-प्रबन्धक | ५७४६--४८ |
| १६४५ | दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डाक्टर | ५७४८--५१ |
| १६४६ | कृषि-विश्वविद्यालय . | ५७५२--५४ |
| १६४९ | हसन-मंगलौर रेल सम्पर्क . . | ५७५४--५६ |
| १६५० | दिल्ली में पानी के दूषित होने की रोकथाम | ५७५६–५७ |
| १६५१ | भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड. | ५७५७--५९ |
| १६५२ | बर्मा से चावल . . . | ५७५९–६० |
| १६५३ | नहर संख्या ८ को मोड़ने के बारे में दिल्ली-पंजाब विवाद | ५७६१ |
| १६५४ | गाड़ियों में तीसरी श्रेणी के यात्रियों के सोने के लिये डिब्बे | ५७६१–६२ |

प्रश्नों के लिखित उत्तर ५७६३--६३

**तारांकित**
**प्रश्न संख्या**

| | | |
|---|---|---|
| १६४१ | स्कूल भोजन कार्यक्रम. . . | ५७६३ |
| १६४७ | ताम्बरम-विल्लूपुरम लाइन का विद्युतीकरण . | ५७६३ |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या

| | | |
|---|---|---|
| १६४८ | कलकत्ता पत्तन | ५७६३–६५ |
| १६५५ | अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक सम्मेलनों में भारतीय पदाधिकारी | ५७६५ |
| १६५६ | पटसन में आत्म-निर्भरता | ५७६५–६६ |

अतारांकित प्रश्न संख्या

| | | |
|---|---|---|
| ३५७२ | दिल्ली जंक्शन से गाड़ियों का देर से चलना | ५७६६ |
| ३५७३ | पंजाब में परिवार नियोजन | ५७६६–६७ |
| ३५७४ | पंजाब में चीनी के कारखाने | ५७६७ |
| ३५७५ | पंजाब को चीनी का संभरण | ५७६७ |
| ३५७६ | औरंगाबाद स्टेशन का नव-निर्माण | ५७६८ |
| ३५७७ | डाक तथा तार घर | ५७६८ |
| ३५७८ | बम्बई-आगरा सड़क | ५७६८ |
| ३५७९ | मध्य रेलवे पर स्टशनों के नामों का बदला जाना | ५७६८–६९ |
| ३५८० | रेलवे आउट-एजेंसियां | ५७६९ |
| ३५८१ | दक्षिण रेलवे पर स्टेशनों का विद्युतीकरण | ५७६९ |
| ३५८२ | अम्बाला में ऊपरी पुल | ५७७० |
| ३५८३ | पंजाब में परिवार नियोजन केन्द्र | ५७७० |
| ३५८४ | नई दिल्ली की सड़कों के नाम | ५७७० |
| ३५८५ | रेलवे दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति | ५७७१ |
| ३५८६ | रेनीगुन्टा-तिरुपति लाइन | ५७७१ |
| ३५८७ | कुठ को लोकप्रिय बनाना | ५७७१–७२ |
| ३५८८ | हिमाचल प्रदेश में बाग | ५७७२ |
| ३५८९ | सिंचाई और विद्युत् योजनायें | ५७७२ |
| ३५९० | थाईलैंड से मछली का आयात | ५७७२–७३ |
| ३५९१ | जापान से उर्वरक | ५७७३ |
| ३५९२ | उड़ीसा में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम | ५७७३ |
| ३५९३ | उड़ीसा में सामुदायिक विकास खण्ड | ५७७३ |
| ३५९४ | दिल्ली उपभोक्ता कोआपरेटिव स्टोर्स फैडरेशन | ५७७४ |
| ३५९५ | पंजाब के गावों में जल संभरण | ५७७४–७५ |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः) | | |
| अतारांकित प्रश्न संख्या | | |
| ३५९६ | ढकोली में फ्लैग स्टेशन | ५७७५ |
| ३५९७ | उड़ीसा में गैरसरकारी बस सेवा | ५७७५-७६ |
| ३५९८ | भू-संरक्षण के लिये अनुदान | ५७७६ |
| ३५९९ | एशियाई राजपथ परियोजना | ५७७६-७७ |
| ३६०० | डाक और तार वभाग के भतपूर्व महा निदेशक को दिये गये बंगले | ५७७७ |
| ३६०१ | कृषकों को राज-सहायता | ५७७८ |
| ३६०२ | पंजाब में मैडिकल कालिज | ५७७८ |
| ३६०३ | रिवाड़ी जंकशन पर पुल | ५७७८ |
| ३६०४ | पंजाब के गावों में बिजली लगाना | ५७७९ |
| ३६०५ | उड़ीसा बाढ़ नियंत्रण जांच समिति की रिपोर्ट | ५७७९ |
| ३६०६ | त्रिपुरा में बाजारों का विकास | ५७७९-८० |
| ३६०७ | असैनिक उड्डयन केन्द्र, इलाहाबाद | ५७८० |
| ३६०८ | डाक-तार गाइड | ५७८१ |
| ३६०९ | कुड्डलोर डिवीजन में डाकियों की भरती | ५७८१ |
| ३६१० | इम्फाल नगर का विस्तार | ५७८१-८२ |
| ३६११ | मनमाड़ में औजार और संयंत्र डिपो | ५७८२-८३ |
| ३६१२ | 'ड्राई फ्रीज' टीके | ५७८३ |
| ३६१३ | सिद्ध वैद्य प्रणाली | ५७८३-८४ |
| ३६१४ | सोमेश्वर और जावली स्टेशनों के बीच गाड़ी का पटरी से उतरना | ५७८४ |
| ३६१५ | मद्रास में बीज फार्म | ५७८४ |
| ३६१६ | मद्रास में लघु सिंचाई योजनायें | ५७८४-८५ |
| ३६१७ | मद्रास को गेहूं का सम्भरण | ५७८५ |
| ३६१८ | त्रिपुरा में कैंसर के रोगी | ५७८५-८६ |
| ३६१९ | दामोदर घाटी निगम | ५७८६ |
| ३६२० | सम्भलपुर-टिटिलागढ़ रेलवे लाइन के लिये श्रमिक | ५७८६ |
| ३६२१ | उड़ीसा में चावल और धान का फालतू स्टाक | ५७८६ |
| ३६२२ | दामोदर में बाढ़ | ५७८७ |
| ३६२३ | परदीप पत्तन | ५७८७ |
| ३६२४ | पर्यटन का विकास | ५७८७ |

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या


| | | |
|---|---|---|
| ३६२५ | सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति . | ५७८७—८८ |
| ३६२६ | उड़ीसा में सड़क परिवहन . | ५७८८ |
| ३६२७ | भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद | ५७८८—८९ |
| ३६२८ | पोलो क्लिनिक . . . . . . | ५७८९ |
| ३६२९ | होम्बल स्टेशन के निकट गाड़ी का पटरी से उतर जाना | ५७८९—९० |
| ३६३० | उखाड़ी गयी रेलवे लाइनें . . . | ५७९० |
| ३६३१ | पश्चिम रेलवे में जनता एक्सप्रेस का कुछ स्थानों पर रुकना बन्द किया जाना . . . . | ५७९०—९१ |
| ३६३२ | मद्रास राज्य में सिद्ध वैद्य प्रणाली . . | ५७९१ |
| ३६३३ | राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड, झिंझरपुर . . | ५७९१ |
| ३६३४ | होटल उद्योग . . . | ५७९२ |
| ३६३५ | आसाम में ग्लाइडिंग क्लब . . | ५७९२ |
| ३६३६ | दिल्ली में आदमी का गाड़ी के नीचे आ जाना . | ५७९३ |
| ३६३८ | देश के झरनों के नीरोगकारी गुण . | ५७९३ |
| ३६३९ | उड़ीसा में महामारियां . . | ५७९३ |


**विशेषाधिकार का प्रश्न** . . . . . ५७९४—९५

श्री ब्रजराज राय ने दिनांक १५ अप्रैल, १९६१ के ब्लिट्ज में प्रकाशित कुछ टिप्पणियों से पैदा होने वाले सभा के एक सदस्य के विशेषाधिकार के भंग होने का प्रश्न उठाने की सभा से अनुमति मांगी। अनुमति दे दी गई। इस पर श्री नाथ पाई ने इस विषय को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिये एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

**स्थगन प्रस्ताव** . . . . . . . ५७९५—९६

अध्यक्ष महोदय ने ओटावा में भारतीय उच्च आयोग के प्रथम सचिव श्री के० शंकर पिल्ले के, उस के कार्यालय के कमरे में गोली से मार दिये जाने के बारे में तीन स्थगन प्रस्तावों को, जिन की सूचना सर्व श्री हेम बरुआ, स० मो० बनर्जी, तथा तंगामणि, और श्री आसर ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

**मंत्री द्वारा वक्तव्य** . . . . . . ५७९६—९७

रेलवे उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) ने १९ अप्रैल, १९६१ को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के सिलीगुड़ी स्टेशन के निकट ६ डाउन नार्थ बंगाल एक्सप्रेस की दुर्घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया।

**विषय** **पृष्ठ**

**विधेयक—पारित** . . . . . . ५७९७-९८

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।

**विधेयक—विचाराधीन** . . . . . . ५७९९-५८३२

वित विधेयक, १९६१ पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

**शुक्रवार, २१ अप्रैल, १९६१/१ बैशाख, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि**

वित विधेयक, १९६१ पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा तथा उसका पारित किया जाना।

GIPND—LSIII—539 (Ai) LS—21-6-61—125.

| | पृष्ठ |
|---|---|
| श्री बसुमतारी | ५८०७ |
| श्री राम शरण | ५८०८—१० |
| श्री राम सेवक यादव | ५८११—१६ |
| श्री ब० प्र० सिंह | ५८१६—१८ |
| श्री विश्वनाथ राय | ५८१६—२२ |
| श्री प० ला० बारूपाल | ५८२२—२५ |
| श्री रामनाथन चेट्टियार | ५८२५–२६ |
| श्रीमती कृष्णा मेहता | ५८२६—२६ |
| श्री जमाल ख्वाजा | ५८२६–३० |
| श्री क० स० रामस्वामी | ५८३० |
| श्री मि० सू० मूर्ति | ५८३०–३१ |
| श्री न० रं० घोष | ५८३१ |
| श्री नारायणन कुट्टि मेनन | ५८३२ |
| सभा का कार्य | ५८३२ |
| दैनिक संक्षेपिका | ५८३३—३७ |

PLS 41 LIV. 49 61.
125

© १६६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७६ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।